



भारतीय संसद

राज्य सभा

विभाग-संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और
खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए निजी शैक्षिक संस्थानों सहित
शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के विशेष प्रावधान संबंधी भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(5)
का कार्यान्वयन

संबंधी

तीन सौ सत्तरवां प्रतिवेदन

(20 अगस्त, 2025 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया)

(20 अगस्त, 2025 को लोक सभा के पटल पर रखा गया)



राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली

अगस्त, 2025 /श्रावण, 1947 (शक)

वेबसाइट: <https://sansad.in/rs>
ई-मेल: rsc_hrd@sansad.nic.in

इस प्रकाशन का अंग्रेजी संस्करण भी उपलब्ध है

भारतीय संसद
राज्य सभा

**विभाग-संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और
खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति**

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए निजी शैक्षिक संस्थानों
सहित शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के विशेष प्रावधान संबंधी भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(5)
का कार्यान्वयन

संबंधी
तीन सौ सत्तरवां प्रतिवेदन

(20 अगस्त, 2025 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया)
(20 अगस्त, 2025 को लोक सभा के पटल पर रखा गया)



राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
अगस्त, 2025/ श्रावण, 1947 (शक)

विषय-सूची

पृष्ठ

1.	समिति का गठन	i-ii
2.	प्रस्तावना	iii
3.	संक्षिप्ताक्षर	iv-v
4.	प्रतिवेदन	1-29
5.	समिति की सिफारिशें - एक नजर में	30-36
6.	उपाबंध	37-93
7.	*कार्यवृत्त	

* बाद में जोड़े जाएंगे

**विभाग-संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और
खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति
(26 सितम्बर, 2024 को गठित)**

1. **श्री दिग्विजय सिंह - अध्यक्ष**
राज्य सभा
2. श्री बिकास रंजन भट्टाचार्य
3. सुश्री सुष्मिता देव
4. डा. सिकंदर कुमार
5. श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार
6. श्रीमती रेखा शर्मा*
7. डा. भीम सिंह
8. श्री हरभजन सिंह
9. श्री घनश्याम तिवाड़ी
10. श्रीमती संगीता यादव
लोक सभा
11. श्री बृजमोहन अग्रवाल
12. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम
13. श्रीमती रचना बनर्जी
14. श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया
15. श्री दर्शन सिंह चौधरी
16. श्री जितेंद्र दोहरे
17. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़
18. श्री अभिजीत गंगोपाध्याय
19. डॉ. हेमांग जोशी
20. श्री अमर शरदराव काले
21. श्री कालिपद सरेन खेरवाल
22. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
23. डॉ. संबित पात्रा
24. श्री रविशंकर प्रसाद
25. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी
26. श्री राजीव राय
27. श्री जिया उर रहमान
28. श्री करण भूषण सिंह
29. सुश्री बाँसुरी स्वराज

* दिनांक 23.01.2025 से नाम-निर्देशित।

30. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
31. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन

सचिवालय

डा. के. एस. सोमशेखर, अपर सचिव
श्री विमल कुमार, संयुक्त सचिव
श्री जे. के. मल्लिक, निदेशक
श्री विजय कुमार राय, अवर सचिव
श्री अश्विनी यादव, वरिष्ठ सचिवालय सहायक

प्रस्तावना

मैं, विभाग-संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष, समिति द्वारा इसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर एतद्द्वारा " अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए निजी शैक्षिक संस्थानों सहित शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के विशेष प्रावधान संबंधी भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(5) का कार्यान्वयन " के संबंध में समिति का 370वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. विभाग-संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति भारतीय संविधान के भाग III में अंतर्विष्ट अनुच्छेद 15(5) के आलोक में इस विषय की जांच कर रही है और वर्तमान प्रतिवेदन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए निजी शैक्षिक संस्थानों सहित शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के विशेष प्रावधान संबंधी भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(5) का कार्यान्वयन के संबंध में है। समिति उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी, ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, सोनीपत, अशोका विश्वविद्यालय, सोनीपत, शिव नाडर विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलुरु और मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी (एमएएचई), मणिपाल के कुलपतियों और प्रतिनिधियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती है, जिन्होंने समिति को विचार-विमर्श में आवश्यक जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराए और बहुमूल्य सहायता प्रदान की।

3. संदर्भ और सुविधा के लिए, समिति की सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में प्रस्तुत किया गया है।

4. समिति ने 18 अगस्त, 2025 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

नई दिल्ली

18 अगस्त, 2025

श्रावण 27, 1947 (शक)

श्री दिग्विजय सिंह

अध्यक्ष

विभाग-संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा
और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति

संक्षिप्ताक्षर

एबीपी	अकादमिक ब्रिज प्रोग्राम
एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एआईएसएचई	अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण
बीआईटीएस	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान
बी. ई.	अभियांत्रिकी स्नातक
बी.फार्म.	फार्मसी स्नातक
सीएफआईएस	केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान
सीयूएस	केंद्रीय विश्वविद्यालय
डीईआई	विविधता, समानता और समावेशन
ईडब्ल्यूएस	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
जीईआर	सकल नामांकन अनुपात
जीओआई	भारत सरकार
एचईएफए	उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी
एचईआई	उच्चतर शिक्षा संस्थान
आईआईईएसटी	भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईएमएस	भारतीय प्रबंध संस्थान
आईआईटीएस	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईआईटीएस	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईएसईआरएस	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान
आईओईएस	प्रतिष्ठित संस्थान
जेजीयू	जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी
एमएएचई	मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी
एम.ई.	अभियांत्रिकी-निष्णात
एम.एससी	विज्ञान-निष्णात
एनएएसी	राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद
एनसीआर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनईपी 2020	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
एनआईआरएफ	राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क
ओबीसीएस	अन्य पिछड़े वर्ग
पीएच.डी	डाक्टर ऑफ फिलासफी
पीपीपी	सार्वजनिक-निजी भागीदारी
आरएएफ	संशोधित प्रत्यायन ढांचा
एसएएआरसी	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ
एससीएस	अनुसूचित जातियां

एसईबीसीएस	सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग
एसईडी	सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित
एसटीएस	अनुसूचित जनजातियां
यूके	यूनाइटेड किंगडम
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

प्रतिवेदन

1.1 कल्याणकारी राज्य में सरकारों द्वारा की गई सकारात्मक कार्रवाई, विशेष रूप से आरक्षण के माध्यम से, समाज के कुछ समूहों द्वारा अनुभव किए गए ऐतिहासिक और निरंतर सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन और भेदभाव को दूर करने, अधिक अवसर और प्रतिनिधित्व प्रदान करके सामाजिक-आर्थिक समानता को बढ़ावा देने और इस प्रकार मानव और समग्र राष्ट्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक हस्तक्षेप है। 2005 में 93वें संशोधन के माध्यम से अधिनियमित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(5), राज्य को अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर, निजी संस्थानों सहित, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। यह प्रावधान ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को सक्षम करके समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके कार्यान्वयन का औचित्य इन समुदायों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक नुकसानों से बनी गहरी सामाजिक असमानताओं को दूर करने में निहित है। आरक्षण के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई को सक्षम करके, अनुच्छेद 15(5) शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, जो सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिससे समावेशिता को बढ़ावा मिलता है और अवसरों में असमानता कम होती है। यह प्रावधान सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य जाति और सामाजिक-आर्थिक कारकों द्वारा हाशिए पर पड़े समूहों के लिए समान अवसर प्रदान करना है, जिससे उन्हें मुख्यधारा के शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

1.2 अनुच्छेद 15(5) का कार्यान्वयन उन प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता के कारण और भी उचित है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को सीमित किया है। इसमें यह माना गया है कि संसाधनों तक पहुँच की कमी, गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा या सामाजिक-आर्थिक सहायता जैसी संरचनात्मक असमानताओं को ध्यान में रखे बिना योग्यता का आकलन केवल शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर नहीं किया जा सकता। केंद्रीय और निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को अनिवार्य बनाकर, जैसा कि केंद्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 में देखा गया है, यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि ये समुदाय उच्च शिक्षा तक पहुँच प्राप्त कर

सकें और तेजी से प्रतिस्पर्धी होते रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। योग्यता और संस्थागत क्षमता पर बहस जैसी चुनौतियों के बावजूद, इसका तर्क एक अधिक समतामूलक समाज के निर्माण में निहित है जहाँ शिक्षा सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का काम करती है।

1.3 उपरोक्त के मद्देनजर, समिति ने 5 अगस्त, 2025 को उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, अशोक विश्वविद्यालय, सोनीपत, ओ.पी. ज़िंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, सोनीपत, शिव नादर विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा और बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (बिट्स), पिलानी आदि के कुलपतियों के विचार सुने। समिति ने इस विषय पर 27 दिसंबर, 2024 को बेंगलुरु, कर्नाटक के अपने अध्ययन दौरे के दौरान अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलुरु और मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (एमएएचई), मणिपाल, कर्नाटक के प्रतिनिधियों के भी विचार सुने।

2. संविधान के अनुच्छेद 15 (5) के कार्यान्वयन पर शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के विचार:-

2.1 5 अगस्त, 2025 को समिति की बैठक के दौरान, उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव ने सूचित किया कि संविधान (तिरानवेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2005, अनुच्छेद 15 के साथ एक उप-खंड 5 जोड़ता है, जिसमें कहा गया है, "इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उप-खंड (छ) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए, विधि द्वारा, कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहाँ तक ऐसे उपबंध, अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न, शिक्षा संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हों या नहीं, प्रवेश से संबंधित है"।

2.2 तदनुसार, संसद ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त कुछ केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों का प्रावधान करने के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 (4 जनवरी, 2007 को अधिसूचित) और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2012 (20 जून 2012 को अधिसूचित) अधिनियम पारित किया।

2.3 संसद ने केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त कुछ केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण के प्रावधान, और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 भी अधिनियमित किया। इन दोनों अधिनियमों में परिभाषित "केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान" का अर्थ है:-

- (i) किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय;
- (ii) संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान;
- (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अंतर्गत मानद विश्वविद्यालय के रूप में घोषित कोई संस्थान, जिसका अनुरक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है या जिससे उसे सहायता प्राप्त होती है;
- (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालित या उससे सहायता प्राप्त करने वाली कोई संस्था, तथा खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी संस्था से संबद्ध, या खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी संस्था की घटक इकाई;
- (v) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई शैक्षणिक संस्था;

2.4 विभाग ने यह भी सूचित किया है कि उपरोक्त परिभाषा के अनुसार, भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन केवल निम्नलिखित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में किया जाता है:-

- (i) केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू)
- (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी),
- (iii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी),
- (iv) भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम),
- (v) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी),
- (vi) भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी) शिबपुर,
- (vii) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), और
- (viii) सभी केंद्रीय वित्तपोषित संस्थान (सीएफआई)।

2.5 विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य विधानमंडलों के अधिनियम द्वारा स्थापित निजी विश्वविद्यालय केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान के रूप में योग्य नहीं हैं। उपर्युक्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति निम्नलिखित विश्वविद्यालयों/संस्थानों पर लागू नहीं होती है:-

- (i) राज्य सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय (यहाँ राज्य सरकार अधिनियम के अनुसार आरक्षण लागू होगा);
- (ii) राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय (यहाँ राज्य सरकार अधिनियम के अनुसार आरक्षण लागू होगा);
- (iii) धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा घोषित सम विश्वविद्यालय संस्थान, लेकिन केंद्र सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (पूर्णतः या आंशिक रूप से) अनुदान प्राप्त नहीं कर रहा हो;
- (iv) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत)

2.6 विभाग ने समिति को यह भी सूचित किया है कि अशोक विश्वविद्यालय की स्थापना हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के तहत 2 मई, 2014 को जारी अधिसूचना संख्या वि. 24/2014 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा स्थापित उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु उपयुक्त विधायी प्रावधान करना भी राज्य सरकारों का दायित्व है। निजी विश्वविद्यालय भी राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। प्रतिष्ठित मानद विश्वविद्यालय (बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी; ओ. पी. ज़िंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और शिव नादर यूनिवर्सिटी) केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करते हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) के कार्यान्वयन हेतु कोई वैधानिक प्रावधान नहीं किया है।

2.7 उच्चतर शिक्षा में छात्रों की सामाजिक संरचना के संबंध में समिति द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में, विभाग ने सूचित किया है कि उच्च शिक्षा विभाग भारत में निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों सहित प्रत्येक मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) से छात्र नामांकन, संकाय इत्यादि पर डेटा एकत्र करने के लिए अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) कराता है। नवीनतम प्रकाशित डेटा शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए उपलब्ध है। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा डेटा स्वैच्छिक आधार पर प्रदान किया जाता है। निजी एचईआई द्वारा प्रदान की गई छात्रों की सामाजिक श्रेणीवार संख्या की जानकारी से पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का प्रतिनिधित्व कमोबेश निर्धारित मानदंडों के

अनुरूप है। 2022-23 (अनंतिम) के लिए नवीनतम उपलब्ध एआईएसएचई डेटा के अनुसार, सरकारी और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए श्रेणीवार नामांकन डेटा निम्नानुसार है:

तालिका-1

उच्चतर शिक्षा संस्थान का प्रकार	छात्र नामांकन (2022-23)			
	अजा	अजजा	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
सरकारी	29,93,282	15,55,088	68,24,725	1,82,93,157
निजी	37,94,161	12,69,663	1,02,19,295	2,55,20,082
कुल	67,87,443	28,24,751	1,70,44,020	4,38,13,239
	प्रतिशत			
सरकारी	16.4%	8.5%	37.3%	-
निजी	14.9%	5.0%	40.0%	-
कुल	15.5%	6.4%	38.9%	-

2.8 एनआईआरएफ फ्रेमवर्क में छात्रों की सामाजिक संरचना पर विचार के संबंध में समिति द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, उच्चतर शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) अपने "आउटरीच और समावेशिता" पैरामीटर के तहत सामाजिक-जाति संरचना को एक प्रमुख तत्व के रूप में शामिल करता है, जिसमें 100 अंक होते हैं और संस्थान के समग्र रैंकिंग स्कोर में 10% का योगदान देता है। इस पैरामीटर के तहत, एक उप-पैरामीटर जो 20 अंकों का होता है, यह मूल्यांकन करता है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के कितने छात्रों को संस्थागत निधियों, केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं और निजी प्रायोजकों से पूर्ण शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है। यदि कुल छात्र प्रवेश के 50% छात्रों को ऐसी प्रतिपूर्ति मिलती है, तो संस्थान इस उप-पैरामीटर में पूरे 20 अंक अर्जित करता है।

2.9 इसके अलावा, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) में सामाजिक-जाति संरचना के उपयोग के संबंध में समिति द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, विभाग ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) अपने प्रत्यायन ढांचे में संस्थान की सामाजिक-जाति संरचना को ध्यान में रखता है। मौजूदा संशोधित प्रत्यायन ढांचे (आरएएफ) में, नैक निम्नलिखित घटकों को शामिल करता है:

- i. पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए लागू आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षित श्रेणियों (एससी, एसटी, ओबीसी, आदि) के लिए भरी गई सीटों का प्रतिशत;
- ii. पिछले पाँच वर्षों के दौरान कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में आरक्षित श्रेणियों के लिए वर्ष-वार प्रवेश प्राप्त वास्तविक छात्रों की संख्या; और
- iii. भारत सरकार या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित कुल सीटों की संख्या और पिछले पाँच वर्षों के दौरान आरक्षित श्रेणी के लिए वर्ष-वार भरी गई सीटों की संख्या।

2.10 इसके अलावा, विश्वविद्यालय/उच्चतर शिक्षा संस्थान को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विशिष्ट दस्तावेज़ भी अपलोड करने होंगे:

- i. निर्धारित प्रारूप में संस्थागत डेटा (डेटा टेम्पलेट);
- ii. सार्वजनिक प्रकटीकरण के भाग के रूप में संस्थागत वेबसाइट पर प्रासंगिक जानकारी;
- iii. राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी पत्र की प्रति जिसमें राज्य के नियम के अनुसार विचार किए जाने वाले आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन, आदि) का उल्लेख हो (जहां लागू हो, अंग्रेजी में अनुवादित प्रति उपलब्ध कराई जाए); और
- iv. उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित और सक्षम प्राधिकारी द्वारा समर्थित श्रेणी को दर्शाने वाली अंतिम प्रवेश सूची।

2.11 समिति द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में, उच्चतर शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि अनुलग्नक-1 में दी गई सूची के अनुसार देश में 517 निजी विश्वविद्यालय हैं। अनुलग्नक-2 में दी गई सूची के और यूजीसी वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, आज की तिथि तक देश में लगभग 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 504 राज्य विश्वविद्यालय सार्वजनिक क्षेत्र में हैं।

3. निजी विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों के विचार

3.1 बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (बिट्स) - पिलानी, राजस्थान

बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (बिट्स), पिलानी के प्रतिनिधियों ने समिति को सूचित किया कि इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और यह 1946 से चली आ रही विरासत को आगे

बढ़ाते हुए, एक प्रमुख निजी डीम्ड विश्वविद्यालय है जो इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। संस्थान पिलानी (राजस्थान), गोवा, हैदराबाद, मुंबई में अपने पांच आवासीय परिसरों और दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में एक अंतरराष्ट्रीय अपतटीय परिसर के माध्यम से संचालित होता है। बिट्स पिलानी को 2020 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक प्रतिष्ठित संस्थान (आईओई) के रूप में नामित किया गया था, जिससे यह संस्थान आईओई दर्जा प्राप्त करने वाले पहले छह संस्थानों में से एक बन गया। आईओई ढांचा शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में बढ़ी हुई स्वायत्तता प्रदान करता है, जिससे वैश्विक नवाचार, पाठ्यक्रम में लचीलापन और अंतराष्ट्रीय सहयोग संभव होता है। संस्थान उद्यमिता के लिए एक जीवंत केंद्र के रूप में भी उभरा है, जिसमें 16 बिट्स छात्रों द्वारा स्थापित यूनिकॉर्न स्टार्टअप पारि-तंत्र पर इसके प्रभाव को उजागर करते हैं।

विश्व स्तरीय संस्थान योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा बिट्स-पिलानी, राजस्थान को 'प्रतिष्ठित संस्थान' के रूप में अधिसूचित किया गया है। नियामक ढांचा शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में बढ़ी हुई स्वायत्तता प्रदान करता है, जिससे वैश्विक नवाचार, पाठ्यक्रम में लचीलापन और अंतराष्ट्रीय सहयोग संभव होता है।

3.1.1 बिट्स, पिलानी की शुल्क संरचना निम्नानुसार है:-

तालिका-2

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक शिक्षण शुल्क संरचना और छात्रावास शुल्क
(प्रवेश वर्ष 2025)

कार्यक्रम	प्रवेश शुल्क (एकमुश्त)	वार्षिक ट्यूशन शुल्क	वार्षिक छात्रावास शुल्क
प्रथम डिग्री कार्यक्रम (बी.ई., बी.फार्मा., एम.एससी.)	60,500.00	5,50,000.00	65,400.00
अंतराष्ट्रीय छात्र प्रवेश योजना (सार्क) (बी.ई., बी.फार्मा., एम.एससी.)	1,47,300.00	8,25,000.00	1,29,500.00
अंतराष्ट्रीय छात्र प्रवेश योजना (गैर-सार्क) (बी.ई., बी.फार्मा., एम.एससी.)	1,47,300.00	14,01,000.00	1,29,500.00
2+2 अंतराष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम (बी.ई.)	60,500.00	8,72,700.00	65,400.00

उच्च डिग्री (एम.ई., एम.फार्मा.)	60,500.00	55,000.00	65,400.00
पीएच.डी. (पूर्णकालिक)	10,000.00	55,000.00	65,400.00
पी.एच.डी. (अंशकालिक)	10,000.00	1,10,000.00	-

3.1.2 समिति द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में कि क्या बिट्स, पिलानी छात्रों के प्रवेश और शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति में एससी, एसटी और/या ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षण की किसी नीति का पालन करता है, यह बताया गया कि बिट्स पिलानी छात्र प्रवेश या संकाय भर्ती में किसी आरक्षण नीति का पालन नहीं करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम, 2017 के खंड 15.0 के अनुसार, आरक्षण नीतियों की प्रयोज्यता विशेष रूप से सार्वजनिक आईओई से संबंधित है और बीआईटीएस पिलानी जैसे निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों तक विस्तारित नहीं है। प्रतिष्ठित संस्थानों (आईओई) ढांचे के तहत दी गई स्वायत्तता के अनुसार, बिट्स पिलानी में प्रवेश और संकाय नियुक्तियां पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और पहचान-तटस्थ चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से अकादमिक साख के आधार पर सख्ती से की जाती हैं।

3.1.3 पिलानी में श्रेणीवार छात्रों की वर्तमान संरचना के संबंध में समिति द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि बिट्स पिलानी छात्रों के प्रवेश के समय जाति-आधारित जनसांख्यिकीय आँकड़े अनिवार्य रूप से संकलित नहीं करता है। संस्थान की प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से शैक्षणिक निष्पादन पर आधारित है, तथा चयन के किसी भी चरण में जाति, समुदाय अथवा श्रेणी के पहचान-चिह्न न तो माँगे जाते हैं और न ही विचाराधीन रखे जाते हैं। तथापि, विद्यार्थियों द्वारा स्वेच्छा से घोषित आँकड़ों के आधार पर गत चार शैक्षणिक वर्षों की श्रेणीवार प्रवेश संरचना निम्नवत् प्रस्तुत की गई है:-

तालिका-3

प्रवेश वर्ष	सामान्य	ईडब्ल्यूएस	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	श्रेणी प्रकट करने वाले छात्र	कुल योग
2021-	2456	93	338	23	4	1213	4127

22							
2022-23	3803	199	619	17	8	81	4727
2023-24	3077	186	384	15	-	1119	4781
2024-25	3434	204	514	29	4	952	5137

इसके अतिरिक्त, बिट्स पिलानी संस्थान में अंतरराष्ट्रीय छात्रों का नामांकन निरंतर बढ़ रहा है, विशेषकर दुबई परिसर में, तथा संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम, सेमेस्टर विनिमय एवं '2+2 ड्युअल डिग्री' जैसे विशिष्ट अकादमिक मार्गों के माध्यम से। ये पहल एक बहुसांस्कृतिक शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा देती हैं और संस्थान के शिक्षण एवं अनुसंधान-तंत्र को और समृद्ध बनाती हैं।

3.1.4 समिति द्वारा संस्थान को उत्कृष्ट संस्थान (इंस्टीट्यूशन ऑफ़ एमिनेंस) घोषित किए जाने से प्राप्त प्रमुख लाभों के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सूचित किया गया कि भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा बी.आई.टी.एस. पिलानी को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा प्रदान किए जाने से संस्थान को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता एवं संस्थागत उत्कृष्टता में वृद्धि हेतु शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं रणनीतिक स्तर पर व्यापक स्वायत्तता प्राप्त हुई है। इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

- (i) पाठ्यक्रम, प्रवेश नीतियों, शुल्क संरचनाओं और संकाय भर्ती प्रक्रियाओं को डिजाइन और संशोधित करने की पूर्ण स्वतंत्रता, वैश्विक शैक्षणिक मानकों और नवाचार के प्रति जवाबदेही को सक्षम करना;
- (ii) अंतरराष्ट्रीय विस्तार: विदेशी परिसरों की स्थापना, वैश्विक अनुसंधान सहयोग को आगे बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रैंक किए गए संस्थानों के साथ शैक्षणिक समझौते करने के लिए लचीलापन;
- (iii) संस्थान-विशिष्ट समावेशन नीतियां: संस्थान के मूल्यों और सामाजिक प्रभाव लक्ष्यों के अनुरूप वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति और समावेशी शिक्षा तंत्र को डिजाइन और कार्यान्वित करने की स्वायत्तता;
- (iv) वैश्विक संकाय सहभागिता: संस्थान सक्रिय रूप से अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से संकाय की भर्ती करता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों से

दीर्घकालिक और विजिटिंग नियुक्तियां शामिल हैं, जिससे शैक्षणिक विविधता और वैश्विक प्रदर्शन में वृद्धि होती है ;

- (v) अंतरराष्ट्रीय छात्र समुदाय: बिट्स पिलानी अंतरराष्ट्रीय छात्रों की मेजबानी करता है, विशेष रूप से अपने दुबई परिसर में, और विनिमय कार्यक्रमों, अनुसंधान इंटरनशिप और ड्युअल डिग्री मार्गों के माध्यम से भागीदारी का विस्तार करना जारी रखता है;
- (vi) विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग;
- (vii) 2+2 ड्युअल डिग्री कार्यक्रम: छात्र दो वर्ष बिट्स पिलानी में और दो वर्ष साझेदार विदेशी विश्वविद्यालय में बिताते हैं, तथा दोनों संस्थानों से डिग्री प्राप्त करते हैं;
- (viii) संयुक्त पीएच.डी. और अनुसंधान कार्यक्रम: डॉक्टरेट के छात्र बिट्स और अंतरराष्ट्रीय साझेदार संस्थानों में किए गए सह-पर्यवेक्षित अनुसंधान से लाभान्वित होते हैं; और
- (ix) वैश्विक अनुसंधान साझेदारी: बिट्स ग्लोबल रिसर्च अलायंस के माध्यम से, संस्थान दुनिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त अनुसंधान, संकाय आदान-प्रदान और नवाचार -संचालित परियोजनाओं की सुविधा प्रदान करता है।

ये लाभ बिट्स पिलानी को उत्कृष्ट संस्थान जनादेश के मुख्य उद्देश्यों, अंतरराष्ट्रीय करण, अनुसंधान और शिक्षण में उत्कृष्टता, तथा संस्थागत स्व-शासन के साथ निकटता से जुड़ने में सक्षम बनाते हैं, जिससे यह वैश्विक रूप से प्रासंगिक, सामाजिक रूप से जागरूक शैक्षणिक नेता के रूप में स्थापित होता है।

3.2 ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय (जेजीयू), सोनीपत

3.2.1 यह संस्थान वर्ष 2009 में स्थापित हुआ और एक बहु-विषयक एवं अनुसंधान-केन्द्रित विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ है। इसके बारह संकाय विधि, व्यवसाय एवं प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय मामले, लोक नीति, ललित कला एवं मानविकी, पत्रकारिता, कला एवं वास्तुकला, बैंकिंग एवं वित्त, पर्यावरण एवं सतत विकास, मनोविज्ञान एवं परामर्श, भाषा एवं साहित्य तथा लोक स्वास्थ्य एवं मानव विकास पर केंद्रित हैं। मंत्रालय की दिनांक 04.11.2020 की अधिसूचना के अधीन इसे एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया था। जेजीयू मानता है कि विविधता, समानता और समावेशन (डीईआई) एक सतत प्रयास है और इस नीति का निरंतर मूल्यांकन एवं सुधार करेगा। विश्वविद्यालय परिसर समुदाय से प्रतिक्रिया प्राप्त करेगा और

सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन और समय के साथ निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए डीईआई के विशेषज्ञों से परामर्श करेगा।

3.2.2 ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा को शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्व स्तरीय संस्थान योजना के अंतर्गत 'उत्कृष्ट संस्थान' के रूप में अधिसूचित किया गया है। निजी शिक्षण संस्थान होने के कारण, ये यूजीसी (प्रतिष्ठित समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2017 (संशोधित) द्वारा शासित होते हैं। यह नियामक ढाँचा शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में बढ़ी हुई स्वायत्तता प्रदान करता है, जिससे वैश्विक नवाचार, पाठ्यक्रम में लचीलापन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग संभव होता है।

3.2.3 ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शुल्क संरचना निम्नानुसार है:-

तालिका-4

ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) की शुल्क संरचना				
क्रम सं.	स्कूल / संस्थान	पाठ्यक्रम	ट्यूशन शुल्क (प्रति छात्र) (वित्त वर्ष 2025-26) (भारतीय रुपये में)	छात्रावास शुल्क (प्रति छात्र) (वित्त वर्ष 2025-26) (भारतीय रुपये में)
1	जेजीबीएस	बीबीए (ऑनर्स)	4,50,000.00	3,35,000.00
		बीबीए (बिजनेस एनालिटिक्स)	4,50,000.00	3,35,000.00
		बीबीए (वित्तीय बाजार)	4,50,000.00	3,35,000.00
		बीबीए (पारिवारिक व्यवसाय)	4,50,000.00	3,35,000.00
		एकीकृत एमबीए और बीबीए	4,00,000.00	3,35,000.00
		एमबीए	6,00,000.00	3,35,000.00
2	जेएसएलएच	बीए (एलए और एच)	6,00,000.00	3,35,000.00
		बीए (ललित कला)	3,50,000.00	3,35,000.00
		बीए-पीपीई	4,00,000.00	3,35,000.00
		पीजीडीआरआई	5,00,000.00	3,35,000.00

3	जेएसजेसी	बीए (पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन)	4,00,000.00	3,35,000.00
		सामाजिक संचार	4,00,000.00	3,35,000.00
		बीए (फिल्म और न्यू मीडिया)	4,00,000.00	3,35,000.00
4	जेएसबीएफ	बी.कॉम (ऑनर्स)	4,00,000.00	3,35,000.00
		बी.कॉम (पूंजी बाजार)	4,00,000.00	3,35,000.00
		बी.कॉम (ग्लोबल)	7,50,000.00	3,35,000.00
		बी.कॉम (उद्यमिता एवं वित्त)	4,00,000.00	3,35,000.00
		एम.एससी. (व्यवहारिक वित्त)	3,00,000.00	3,35,000.00
5	जेएसएए	बी. आर्क	4,00,000.00	3,35,000.00
		जिंदल एडिलेड आर्किटेक्चर पाथवे; बीए (ऑनर्स) डिग्री (6 वर्ष)	5,00,000.00	3,35,000.00
		आंतरिक पर्यावरण जिंदल पाथवे (बी. डिजाइन) (वेस्टमिंस्टर) (5 वर्ष)	5,00,000.00	3,35,000.00
		बी. डिजाइन (वेस्टमिंस्टर) (5 वर्ष)	5,00,000.00	3,35,000.00
		बी. निर्मित (पर्यावरण)	4,00,000.00	3,35,000.00
		बी. डिजाइन (आंतरिक पर्यावरण जिंदल पाथवे)	4,00,000.00	3,35,000.00
		बी. डिजाइन (इमर्सिव डिजिटल)	4,00,000.00	3,35,000.00
6	जेएसईएस	बीए (पर्यावरण एवं सतत)	3,00,000.00	3,35,000.00
		बी.एससी. (पर्यावरण एवं सतत)	3,00,000.00	3,35,000.00
7	जेएसआईए	बीए (वैश्विक मामले)	3,75,000.00	3,35,000.00

		बीए (राजनीति विज्ञान)	3,50,000.00	3,35,000.00
		बीए (कूटनीति एवं विदेश नीति)	3,75,000.00	3,35,000.00
		एमए (कूटनीति कानून और व्यवसाय)	3,00,000.00	3,35,000.00
8	जेएसजीपी	बीए (इकोनॉमिक्स)	4,00,000.00	3,35,000.00
		एमए (सार्वजनिक नीति)	3,00,000.00	3,35,000.00
9	जेएसएलएल	बीए (अंग्रेजी)	3,00,000.00	3,35,000.00
10	जेएसपीएच	एमपीएच	2,50,000.00	3,35,000.00
11	जेजीएलएस	बीए (एलएलबी)	6,50,000.00	3,35,000.00
		बीबीए (एलएलबी)	6,50,000.00	3,35,000.00
		बी.कॉम (एलएल.बी)	6,50,000.00	3,35,000.00
		बीए (कानूनी अध्ययन)	4,00,000.00	3,35,000.00
		बीए (अपराध विज्ञान)	4,00,000.00	3,35,000.00
		बीए एआई और कानून	4,00,000.00	3,35,000.00
		एलएल.बी	6,50,000.00	3,35,000.00
		एलएलएम	4,00,000.00	3,35,000.00
12	जेएसपीसी	बीए (मनोविज्ञान)	4,50,000.00	3,35,000.00
		एम.एससी. परामर्श मनोविज्ञान	3,00,000.00	3,35,000.00
13	जिब्स	एम.ए. / एम.एससी. (अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान)	3,00,000.00	3,35,000.00

3.2.4 समिति द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में, जिसमें यह जानना चाहा गया था कि क्या ओ.पी. जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, सोनीपत, विद्यार्थियों के प्रवेश तथा शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और/अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के लिए किसी प्रकार की आरक्षण नीति का पालन करता है, समिति को सूचित किया गया कि यह संस्थान प्रवेश और नियुक्ति—दोनों में—विविधता, समावेशन तथा समान अवसर के मूल्यों को बनाए रखता है। सभी सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमियों से, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति सम्मिलित हैं, उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयास किए

जाते हैं। ओ.पी. जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय (जे.जी.यू.) विद्यार्थियों के प्रवेश तथा संकाय सदस्यों की नियुक्ति—दोनों में—समानता, समावेशन और भेदभाव-रहित व्यवहार के संवैधानिक सिद्धांतों का अनुपालन करता है। यद्यपि हम जाति-आधारित आरक्षण लागू नहीं करते, तथापि हम विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उदार वित्तीय सहयोग प्रदान करते हैं, जिसमें योग्यता-आधारित छात्रवृत्तियाँ, आवश्यकता-आधारित सहायता तथा विशेष फैलोशिप सम्मिलित हैं। सभी नियुक्ति एवं प्रवेश संबंधी निर्णय पूर्णतः योग्यता और संस्थागत आवश्यकताओं के आधार पर लिए जाते हैं, तथा जाति, धर्म, लिंग, रंग अथवा राष्ट्रीयता के आधार पर किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं रखा जाता। किसी भी संभावित पक्षपात से बचने के लिए, जे.जी.यू. अपनी नियुक्ति प्रक्रिया में जाति या धार्मिक पहचान संबंधी जानकारी की अपेक्षा नहीं करता है।

3.2.5 समिति द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि यूजीसी (प्रतिष्ठित समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2017 में केवल सार्वजनिक संस्थानों में छात्रों के प्रवेश में आरक्षण के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं।

3.2.6 ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत में छात्रों की वर्तमान संरचना के संबंध में समिति द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में, श्रेणीवार विवरण सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है:-

तालिका-5

वर्ग	प्रवेश वर्ष 2023-24	प्रवेश वर्ष 2024-25	प्रवेश वर्ष 2025-26 (जारी)
अन्य पिछड़ा वर्ग	257	291	253
अनुसूचित जाति	29	31	28
अनुसूचित जनजाति	23	19	29
सामान्य	3065	3017	2871
कुल छात्र	3374	3358	3181

3.2.7 समिति द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों से विद्यार्थियों को नामांकित करने में संस्थान द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों से संबंधित था, समिति को सूचित किया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के विद्यार्थी प्रायः उच्च शिक्षा संबंधी जानकारी तक सीमित पहुँच, वित्तीय कठिनाइयाँ तथा विद्यालय-स्तर पर शैक्षणिक सहयोग में असमानताओं

जैसी बाधाओं का सामना करते हैं। भौगोलिक स्थिति, डिजिटल पहुँच तथा सामाजिक परिस्थितियाँ भी उनके लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में अवसरों की खोज और उनका लाभ उठाने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। ओ.पी. जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय यह मानता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों को संरचनात्मक और सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है जो उच्च शिक्षा के अवसरों तक उनकी पहुँच को प्रभावित करते हैं। शैक्षणिक तैयारी में भी उल्लेखनीय असमानताएं हैं, विशेष रूप से स्कूल स्तर की सहायता और मार्गदर्शन में अंतराल के कारण। भौगोलिक दूरस्थता, असमान डिजिटल पहुँच और व्यापक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियाँ जैसे अतिरिक्त कारक छात्रों की उच्च शिक्षा संस्थानों में अवसरों की खोज और उन्हें आगे बढ़ाने की क्षमता को और सीमित कर देते हैं। इसलिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के इच्छुक छात्रों के आवेदनों की संख्या सामान्य वर्ग से प्राप्त आवेदनों की तुलना में कम है। योग्यता की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले छात्रों की संख्या और भी कम है। हालाँकि, जेजीयू समानता, समावेशिता और गैर-भेदभाव के आधार पर सभी छात्रों के लिए समान अवसर और पहुँच सुनिश्चित करता है।

3.2.8 समिति द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, जो ओ.पी. जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, सोनीपत को “इंस्टीट्यूशन ऑफ़ एमिनेंस” घोषित किए जाने से प्राप्त प्रमुख लाभों से संबंधित था, समिति को सूचित किया गया कि ओ.पी. जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय (जे.जी.यू.) देश की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है कि देश के भीतर उच्च-गुणवत्ता, वैश्विक मानकों पर आधारित शिक्षा की उपलब्धि हो। विदेश में अध्ययन के विकल्प के रूप में एक शैक्षणिक रूप से कठोर और अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रासंगिक व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित, जे.जी.यू. बहु-विषयी और उदार शिक्षा के उस मॉडल पर आधारित है जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के अनुरूप है, किन्तु राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में निहित है। जे.जी.यू. को “इंस्टीट्यूशन ऑफ़ एमिनेंस” का दर्जा प्रदान किए जाने से विश्वविद्यालय के लिए वातावरण अपेक्षाकृत सरल हुआ है, जिससे हम एक “गैर-लाभकारी विश्वविद्यालय” के रूप में अपने मूल कार्यों पर केंद्रित हो सकें, जो अकादमिक दृष्टिकोण से बहुलतावादी है, विविधता के सभी रूपों का उत्सव मनाता है, तथा शैक्षणिक स्वतंत्रता और सामाजिक रूप से प्रासंगिक शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। “इंस्टीट्यूशन ऑफ़ एमिनेंस” का दर्जा प्राप्त होने से हमें एक गंभीर उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में विश्वसनीयता भी प्राप्त हुई है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की उस अधिसूचना के अनुसार, जिसके अंतर्गत जे.जी.यू. को “इंस्टीट्यूशन ऑफ़ एमिनेंस” का दर्जा प्रदान किया गया, हम अब

“यू.जी.सी. (प्रतिष्ठित समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2017” की धारा 11.0 तथा धारा 11.1 से 11.6 के अंतर्गत प्रवेश एवं शुल्क संरचना, पाठ्यक्रम संरचना में लचीलापन, संकाय भर्ती, अकादमिक सहयोग, वित्तीय स्वायत्तता तथा निरीक्षण से संबंधित सभी यू.जी.सी. विनियमों एवं अन्य दिशा-निर्देशों से मुक्त हैं। उत्कृष्ट संस्थान के दर्जे ने विश्वविद्यालय को अधिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की है, जिसके परिणामस्वरूप वह अभिनव एवं लचीले पाठ्यक्रम तैयार एवं क्रियान्वित कर सकता है, स्वतंत्र एवं योग्यता-आधारित प्रक्रिया से संकाय की भर्ती कर सकता है, शीर्ष रैंक प्राप्त वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ सहयोगी साझेदारियाँ स्थापित कर सकता है, समकालीन चुनौतियों के अनुरूप अंतःविषयक कार्यक्रम प्रारंभ कर सकता है, अंतरराष्ट्रीय मानकों पर उच्च-प्रभावी अनुसंधान कर सकता है तथा सामाजिक रूप से वैश्विक शिक्षा प्रदान कर सकता है।

3.2.9. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) के कार्यान्वयन में आने वाली/अनुमानित चुनौतियों के संबंध में समिति द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, यह बताया गया कि अनुच्छेद 15(5) में उल्लिखित शैक्षिक समानता के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए संसाधनों तक पहुंच और शैक्षणिक तैयारी में संरचनात्मक और प्रासंगिक अंतरों को संबोधित करना आवश्यक है। संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम करना चाहिए कि समावेशन के प्रयास समग्र शैक्षणिक गुणवत्ता और संस्थागत लक्ष्यों के साथ संरेखित हों।

3.2.10 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) के कार्यान्वयन में चुनौतियों को दूर करने के लिए जेजीयू द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में समिति द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, समिति को सूचित किया गया कि जेजीयू भारत के संविधान और उच्च शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार एक समावेशी और विविध शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा। जेजीयू अनुच्छेद 15(5) के प्रावधानों से आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास जारी रखे हुए है। विश्वविद्यालय भारत के संविधान में निहित मूल्यों और उच्च शिक्षा में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक विविध, समावेशी और सामाजिक रूप से उत्तरदायी शैक्षणिक समुदाय के पोषण के लिए प्रतिबद्ध है।

3.2 शिव नाडर विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा

3.3.1 शिव नाडर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने समिति को सूचित किया कि दिल्ली-एनसीआर में स्थित शिव नाडर विश्वविद्यालय की स्थापना 4 अप्रैल 2011 को हुई थी। 3 अगस्त 2022 को, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इसे यूजीसी (प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2017 के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित संस्थान (आईओई) समविश्वविद्यालय के रूप

में अधिसूचित किया। यह एक व्यापक, बहु-विषयक और शोध-केंद्रित विश्वविद्यालय है। यह चार संकायों में 50 से अधिक शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करता है:

- i. इंजीनियरिंग स्कूल
- ii. प्राकृतिक विज्ञान स्कूल
- iii. मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान स्कूल
- iv. प्रबंधन एवं उद्यमिता स्कूल

3.3.2 इसके अतिरिक्त, सतत शिक्षा अकादमी, आजीवन शिक्षा और पेशेवर कौशल विकास को बढ़ावा देती है। यह विश्वविद्यालय अकादमिक उत्कृष्टता और अनुसंधान नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है। यह न केवल ज्ञान के प्रसार पर बल्कि बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, विद्वत्तापूर्ण निष्कर्ष और रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से इसके सृजन पर भी ज़ोर देता है।

3.3.3 शिव नाडर विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा को शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'विश्व स्तरीय संस्थान योजना' के अंतर्गत 'प्रतिष्ठित संस्थान' के रूप में अधिसूचित किया गया है। निजी शिक्षण संस्थान होने के कारण, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम, 2017 (संशोधित) द्वारा शासित होते हैं। इस नियामक प्रारूप से शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में अधिक स्वायत्तता मिलती है, जिससे वैश्विक नवाचार, पाठ्यक्रम में लचीलापन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संभव होता है।

3.3.4 समिति द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में, कि क्या शिव नाडर विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के प्रवेश और शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और/या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की किसी भी नीति का पालन करता है, यह सूचित किया गया कि 'प्रतिष्ठित संस्थान नियामक प्रारूप' का खंड 15 आरक्षण की बाध्यता को केवल सार्वजनिक प्रतिष्ठित संस्थानों तक सीमित करता है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें "वर्तमान में प्रभावी संसद के किसी अधिनियम के अनुरूप" आरक्षण लागू करना होगा। यूजीसी 'प्रतिष्ठित संस्थान विनियम 2017' के खंड 11.1.1 के अनुसार, 'घरेलू विद्यार्थियों का चयन एक पारदर्शी योग्यता-आधारित प्रणाली से किया जाएगा...' शिव नाडर प्रतिष्ठित संस्थान जैसे निजी प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए इन विनियमों के तहत प्रवेश या नियुक्तियों में आरक्षण का पालन करने की अनिवार्यता नहीं है।

3.3.5 शिव नाडर विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के वर्तमान श्रेणीवार संगठन के संबंध में समिति द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में विद्यार्थियों का संगठन निम्नानुसार बताया गया:-

ईडब्ल्यूएस : 9 , सामान्य: 2736, ओबीसी: 537, एससी: 48, एसटी: 29, कुल: 3359

3.3.6 संस्थान के संकाय के वर्तमान संगठन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणियों के संबंध में समिति द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, समिति को सूचित किया गया कि हालांकि संस्थान के लिए सामाजिक स्थिति के बारे में बताना अनिवार्य नहीं है, लेकिन संकाय स्वेच्छा से अपनी सामाजिक स्थिति की जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जिसे केंद्रीय डेटाबेस में दर्ज किया जाता है और यह निम्नानुसार है।

सामान्य: 70, ओबीसी : 19 , एससी: 1, अनुपलब्ध: 200, कुल: 290

3.3.9 प्रतिष्ठित संस्थान घोषित होने पर विश्वविद्यालय को मिलने वाले प्रमुख लाभों के संबंध में समिति द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, समिति को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम, 2017 के तहत एक निजी प्रतिष्ठित संस्थान नामित होने से एक संस्थान के रूप में हमारा स्तर बढ़ गया है। शिक्षा मंत्रालय की 3 अगस्त 2022 की राजपत्र अधिसूचना के खंड संख्या 10 (i) के तहत, और विशेष रूप से आईओई विनियम 2017 के खंड 11.1 से 11.6 के तहत, हमें महत्वपूर्ण नियामक स्वायत्तता भी प्रदान की गई है, ताकि हमें एनईपी 2020 को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। हालांकि, एक निजी संस्थान के रूप में हमें भारत सरकार से सार्वजनिक संस्थानों की तरह कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं मिलती है। अन्य सभी नियामक आवश्यकताएं, जैसे यूजीसी, एआईसीटीई (प्रासंगिक कार्यक्रमों के लिए), दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (डीईबी), वैधानिक अनुपालन और शुल्क वापसी दायित्वों सहित यूजीसी दिशानिर्देश, पहले की तरह ही हम पर लागू होते रहेंगे

3.4 अशोका विश्वविद्यालय

3.4.1 अशोका विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने समिति को सूचित किया कि यह 2014 से उदार (बहुविषयक) शिक्षा प्रदान करने पर बल देने में अग्रणी है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों का एक सम्पूर्ण विकसित व्यक्तित्व बनाने में मदद करना है जो कई दृष्टिकोणों से मुद्दों के बारे में गंभीरता से सोच सकें, प्रभावी ढंग से संवाद कर सकें और सार्वजनिक सेवा के लिए प्रतिबद्धता के साथ नेतृत्व कर सकें। अशोका शिक्षा मूलभूत ज्ञान, कठोर शिक्षणशास्त्र पर आधारित गहन शैक्षणिक शोध और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के व्यावहारिक अनुभव पर जोर देती है। 21 देशों, 28 राज्यों और

287 कस्बों और शहरों से आए 3276 छात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संकाय सदस्यों के नेतृत्व में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व स्तरीय अंतःविषय शिक्षा प्राप्त करते हैं।

3.4.2 विद्यार्थियों के प्रवेश और शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति में एससी, एसटी और/या ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षण की नीति के संबंध में समिति द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में, विश्वविद्यालय ने समिति को सूचित किया कि विद्यार्थियों के प्रवेश में, अशोका विश्वविद्यालय हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 35 के अनुसार योग्यता आधारित प्रवेश नीति का पालन कर रहा है। खंड 35 (3) के अनुसार: "विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए न्यूनतम 25% सीटें हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी, जिनमें से 10% सीटें हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी"। योग्यता आधारित प्रवेश नीतियां सभी आवेदकों के लिए लागू की गई हैं, चाहे वे हरियाणा के विद्यार्थी हों या सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी। अशोका विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया अत्यधिक पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण है और इसका उद्देश्य अधिनियम के अनुसार सामाजिक और आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना योग्यता और संसाधनों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों का चयन करना है।

3.4.3 अशोका विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के वर्तमान श्रेणीवार संगठन के संबंध में समिति द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, यह बताया गया कि विश्वविद्यालय श्रेणीवार विवरण एकत्र नहीं कर रहा है। आज की तिथि तक कुल विद्यार्थियों की संख्या 3276 है, कार्यक्रम-वार विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है:-

स्नातक कार्यक्रम (बीए (ऑनर्स) / बीएससी (ऑनर्स)): 2772

स्नातकोत्तर कार्यक्रम (एमए (ऑनर्स) / एमएससी (ऑनर्स)): 137

स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (वाईआईएफ): 144

पीएचडी कार्यक्रम : 223

3.4.4 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) के कार्यान्वयन में आने वाली/प्रत्याशित चुनौतियों के संबंध में समिति द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, यह बताया गया कि विश्वविद्यालय विविध विद्यार्थी समूह को बढ़ावा देने के तरीकों की सक्रिय रूप से खोज कर रहा है।

3.4.5 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अशोका विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों के संबंध में समिति द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में , समिति को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय हरियाणा के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। हरियाणा से आवेदकों की संख्या कम होने और जिन विद्यार्थियों को प्रवेश का प्रस्ताव दिया गया था, उनमें से सभी के प्रवेश न लेने के कारण सीटें खाली रह रही हैं। हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए योग्यता मानदंड कम करने के बाद भी, सभी सीटें नहीं भर रही हैं।

3.4.6 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अशोका विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों के संबंध में समिति द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में समिति को बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय हरियाणा के विद्यालयों तक सक्रिय रूप से पहुंच बना रहा है और विश्वविद्यालय से प्रवेश का प्रस्ताव प्राप्त करने वाले हरियाणा के विद्यार्थियों की संख्या हर साल बढ़ रही है।

3.5 अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने समिति को बताया कि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2010 में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा बेंगलुरु , कर्नाटक में एक राज्य निजी विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। विश्वविद्यालय का स्पष्ट सामाजिक उद्देश्य देश के लिए योगदान देने में सक्षम और सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध स्नातकों को तैयार करना है। विश्वविद्यालय की प्रकृति लोक हितैषी है और यह विद्यार्थियों को व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह भी बताया गया कि विश्वविद्यालय के 3800 से अधिक पूर्व छात्र हैं, जिनमें से अधिकांश भारत भर में सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हैं । अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, भोपाल ने 2023 में परिचालन शुरू किया और रांची में तीसरे विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई है।

3.5.1 सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए दृष्टिकोण

- (i) प्रवेश
- (ii) वित्तीय सहायता
- (iii) शैक्षणिक सहायता
- (iv) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सहायता

(v) व्यक्तिगत कल्याण (सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध)

3.5.2 प्रवेश

(i) सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को वरीयता

(ii) प्रत्येक विद्यार्थी को एक सोशियो- इकोनोमिक डिसएडवांटेज (एसईडी) सूचकांक दिया जाता है

क) लिंग, जाति, धर्म, पिता की शिक्षा, माता की शिक्षा, घरेलू व्यवसाय, घरेलू वार्षिक आय, क्षेत्र और राज्य के आधार पर

ख) प्रत्येक समूह के विद्यार्थियों के उच्चतर शिक्षा में प्रवेश की संभावना के संबंध में भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित सांख्यिकीय रूप से मजबूत पद्धति

ग) प्रत्येक छात्र के लिए एसईडी समायोजित प्रवेश अंकों की गणना करने के लिए प्रवेश परीक्षा के अंकों में एसईडी सूचकांक-आधारित अंक जोड़े जाते हैं

घ) संशोधित रैंकिंग सूची, जो वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के अंकों को बढ़ाती है। प्रवेश के प्रस्ताव इसी संशोधित प्रवेश सूची के आधार पर दिए जाते हैं।

3.5.3 वित्तीय सहायता- विद्यार्थियों को कई प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में शामिल हैं:

(i) शिक्षा और आवास शुल्क के लिए आवश्यकता-आधारित पूर्ण या आंशिक छूट;

(ii) भोजन और फील्डवर्क व्यय के लिए आवश्यकता-आधारित सहायता;

(iii) कैम्पस परियोजना हेतु सहायता; और

(iv) सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा बीमा - बाह्य रोगी और अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए चिकित्सा कवरेज।

3.5.4 शैक्षणिक सहायता

(i) प्रवेश से पहले

क. कई स्थानों पर और ऑनलाइन रूप से आयोजित किए गए 'ब्रिज' कार्यक्रम

ख. वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षण संस्थानों (हमारे संस्थान सहित) के लिए प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में सहायता करना

(ii) प्रवेश के बाद

क. शैक्षणिक सेमेस्टर की शुरुआत से पहले और सेमेस्टर के बीच शैक्षणिक तैयारी में मदद के लिए ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन कार्यक्रम

ख. एक समर्पित शैक्षणिक संसाधन केंद्र के माध्यम से भाषा, मात्रात्मक कौशल और कार्य-तत्परता के लिए निरंतर सहायता

3.5.5 दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सहायता- कई प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें शामिल हैं- बाधा-मुक्त आवागमन के लिए भौतिक अवसंरचना, शैक्षणिक सुविधाएँ और अतिरिक्त संस्थागत एवं सहकर्मी सहायता तंत्र, और शिक्षण एवं अधिगम के लिए विशिष्ट सहायता और सहायक प्रौद्योगिकियाँ (जैसे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए)। व्यक्तिगत कल्याण सहायता सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है।

3.5.6 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(5) राज्य को अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर, निजी संस्थानों सहित, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। विद्यार्थियों का श्रेणीवार संगठन इस प्रकार है:-

तालिका-6

शैक्षणिक वर्ष	प्रवेशित छात्रों की संख्या	छात्रों का प्रतिशत		
		एससी/एसटी	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
2022	652	15%	26%	59%
2023	845	21%	30%	49%
2024	860	18%	32%	50%

3.6 मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी (एमएएचई)

3.6.1 मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी (एमएएचई) के प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि 1 जून 1993 को "मानद विश्वविद्यालय" घोषित होने के बाद, यूजीसी ने एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) को मंजूरी दे दी है, जो एमएएचई के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज़ (नियम

और विनियम) है। अक्टूबर 2020 में, एमएएचई को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा "प्रतिष्ठित मानद विश्वविद्यालय संस्थान" का दर्जा प्रदान किया गया है।

3.6.2 आरक्षण के संबंध में प्रासंगिक खंड अर्थात् 1993 में एमएएचई को एक मानद विश्वविद्यालय घोषित करते समय यूजीसी द्वारा अनुमोदित एमओए (नियम और विनियम) का खंड 6.1 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“ अकादमी किसी भी लिंग और किसी भी नस्ल, पंथ, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए खुली होगी और सदस्यों, छात्रों, शिक्षकों, श्रमिकों या किसी भी अन्य संबंध में प्रवेश या नियुक्ति में धार्मिक विश्वास या पेशे के रूप में कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी ।” विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम, 2017 के खंड 15.0 के अनुसार , *“ सार्वजनिक प्रतिष्ठित संस्थान वर्तमान में लागू संसद के किसी भी अधिनियम के अनुसार प्रवेश और भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करेंगे। ”* इस प्रकार, एमएएचई एक स्व-वित्तपोषित निजी समवत विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित संस्थान होने के नाते, यहाँ आरक्षण नीति लागू नहीं होती है।

3.6.3 1993 से, एमएएचई ने जाति, पंथ, लिंग, धर्म, शारीरिक योग्यता/दिव्यांगता आदि के आधार पर विद्यार्थियों या संकाय/कर्मचारियों के लिए कोई आरक्षण न रखने की नीति अपनाई है। एमएएचई अखिल भारतीय स्तर पर और विदेशों से, किसी भी श्रेणी के लिए बिना किसी आरक्षण के, कर्मचारियों की भर्ती करता रहा है। इसलिए, एमएएचई ने भर्ती किए गए कर्मचारियों की जाति, पंथ, लिंग, धर्म आदि से संबंधित आँकड़े एकत्र नहीं किए हैं। हालाँकि, एमएएचई ने अपने कर्मचारियों का श्रेणीवार विवरण (28.12.2024 तक) निम्नानुसार प्रदान किया है:-

तालिका-7

श्रेणी	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या: 10,968	4,136 (37.7%)	5,747 (52.4%)	421 (3.84%)	664 (6.1%)

3.7 समिति ने नोट किया कि अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008) के मामले में, शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू करने वाले 93वें संविधान संशोधन की वैधता की जाँच की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इस संशोधन और केंद्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसमें केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान था। न्यायालय ने ओबीसी के भीतर "क्रीमी लेयर" को ये लाभ नहीं दिए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये लाभ ओबीसी के सबसे वंचित वर्गों तक पहुँचें और आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय की आवश्यकता को योग्यता के सिद्धांत के साथ संतुलित किया जा सके। इस आरक्षण को बरकरार रखते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने की राज्य की शक्ति को सुदृढ़ किया। इसके अलावा, आईएमए बनाम भारत संघ मामले में, उच्चतम न्यायालय ने 12 मई, 2011 को निजी गैर-सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनुच्छेद 15(5) को बरकरार रखा। अंततः, प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ मामले में, 29 जनवरी, 2014 को, उच्चतम न्यायालय ने पहली बार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) की संपूर्णता को स्पष्ट रूप से बरकरार रखा। अतः यह स्पष्ट है कि निजी शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए आरक्षण संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है।

3.8 समिति ने नोट किया कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2021-22 के अनुसार, 685 सरकार द्वारा प्रबंधित विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय-स्तरीय संस्थान (अर्थात्, 240 केंद्र सरकार के संस्थान और 445 राज्य सरकार के संस्थान) और 473 गैर-सहायता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय थे। तब से, निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में केवल वृद्धि हुई है, और वर्तमान में यूजीसी के अनुसार देश में 517 निजी विश्वविद्यालय हैं। डिग्री कॉलेजों में, एआईएसएचई रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, भारत के 45,473 कॉलेजों में से केवल 21.5% सरकारी संस्थान हैं, 13.2% निजी सहायता प्राप्त संस्थान हैं, और 65.3% निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान हैं। समिति का मानना है कि इन संख्याओं को देखते हुए, देश की बढ़ती जनसंख्या और विद्यार्थियों की संख्या तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में 50% जीईआर के लिए एनईपी के लक्ष्य को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के शिक्षण संस्थान सभी छात्रों को समायोजित करने में असमर्थ होंगे और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को समाज के प्रत्येक वर्ग के छात्रों को समायोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

3.9 समिति उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों 2025-26 संबंधी अपने 364 वें प्रतिवेदन से अपने अवलोकन की पुष्टि करती है, जहां इसने कहा कि "भारत में उच्चतर शिक्षा के दो अलग-अलग क्षेत्रों में बढ़ती प्रवृत्ति देखी जा रही है- एक बेहतर संकाय और संसाधनों वाले निजी और चुनिंदा सरकारी संस्थान हैं, और दूसरे वे अधिकांश उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं जो पूर्व के साथ तालमेल नहीं रख पा रहे हैं।" सार्वजनिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में एससी,एसटीऔरओबीसीके लिए आरक्षण का प्रावधान और निजी एचईआई में इस तरह के प्रावधान की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप इन समुदायों के छात्र अनुपातहीन रूप से उन सार्वजनिक संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं जो तालमेल नहीं रख पा रहे हैं। समिति इस बात पर जोर देती है कि शिक्षा इस देश में सामाजिक न्याय प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन होनी चाहिए, और नोट करती है कि निजी एचईआईमें आरक्षण की वर्तमान अनुपस्थिति उसी में बाधा बन सकती है।

3.10 समिति नोट करती है कि निजी विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली वार्षिक फीस बहुत ज्यादा है और समाज के वंचित वर्गों के छात्र इस फीस को वहन करने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए, समिति यह मानती है कि राज्य के लिए इन वर्गों के छात्रों को समायोजित करने और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) को पूरी तरह से लागू करने के लिए कानून के माध्यम से सकारात्मक कदम उठाना अनिवार्य है।

3.11 समिति नोट करती है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(5), जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित है, राज्य को स्पष्ट रूप से अधिकार देता है कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की योजना में निजी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों को शामिल कर सकता है। हालाँकि, निजी शिक्षण संस्थान वर्तमान में आरक्षण नीतियों को लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) को संसद द्वारा कानून बनाकर पूरे देश में पूरी तरह से लागू किया जाए। *समिति सिफारिश करती है कि निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 27%, 15% और 7.5% सीटें आरक्षित की जानी चाहिए।*

3.12 समिति हालांकि यह भी नोट करती है कि निष्पक्षता के हित में, निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण की पूरी वित्तीय व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। समिति यह भी नोटकरतीहै कि

शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)सी के तहत निजी स्कूलों में 25% आरक्षण की शुरुआत की गई है, जिसकी पूरी प्रतिपूर्ति स्कूलों द्वारा सरकार से की जानी चाहिए - यही वह मॉडल है जिसका पालन सरकार को निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में भी करना चाहिए।

3.13 समिति समुक्ति करती है कि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, निजी विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले कुल छात्रों में से 40% ओबीसी, 14.9% एससी और 5% एसटी छात्रों का प्रतिनिधित्व निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में है। हालांकि, ऊपर उल्लिखित निजी विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, उनमें भर्ती ओबीसी छात्रों की संख्या काफी कम है, जबकि उपर्युक्त विश्वविद्यालयों में एससी और एसटी छात्रों की संख्या बेहद कम है। बिट्स में, वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल 5,137 छात्रों में से लगभग 514 ओबीसी, 29 एससी और 4 एसटी हैं, जो ओबीसी के मामले में लगभग 10 प्रतिशत, एससी के मामले में 0.5 प्रतिशत और एसटी के मामले में लगभग 0.08 प्रतिशत है, हालांकि कुछ छात्रों ने अपनी श्रेणी घोषित नहीं की है। इसी तरह, ओपी ज़िंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में कुल 3,181 छात्रों में से 28 एससी और 29 एसटी हैं, जो 1 प्रतिशत से भी कम है। इसके अलावा, शिव नाडर विश्वविद्यालय में कुल 3,359 छात्रों में से एससी 48 और एसटी 29 हैं, जो क्रमशः 1.5 प्रतिशत और लगभग 0.5 प्रतिशत है। इसलिए, समिति उच्चतर शिक्षा विभाग को निजी सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कोटा लागू करने की सिफारिश करती है। साथ ही, विभाग को यूजीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और एससी/एसटी आयोग जैसे केंद्रीय निरीक्षण/निगरानी निकाय के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) के कार्यान्वयन की निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये संस्थान प्रवेश संबंधी आंकड़ों की वार्षिक रिपोर्ट दें।

3.14 समिति यह भी समुक्ति करती है कि आरक्षण का विस्तार करने के लिए सीटें बढ़ानी होंगी। हालांकि, कई निजी संस्थानों में गुणवत्ता से समझौता किए बिना और सामान्य श्रेणी की सीटों में कमी किए बिना एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के अतिरिक्त छात्रों को समायोजित करने के लिए कक्षाओं, छात्रावासों, संकाय आदि जैसे बुनियादी ढांचे का अभाव है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि केंद्र और राज्य सरकारों को निजी शैक्षणिक संस्थानों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए सीटें बढ़ाने, बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और आरक्षण लागू करने वाले संस्थानों में संकाय नियुक्त करने के लिए विशेष धन आवंटित करना चाहिए। केंद्र और राज्य

सरकारों को शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से संसाधनों का पूरक भी करना चाहिए। उच्चतर शिक्षा विभाग को उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना चाहिए

3.15 समिति समुक्ति करती है कि समाज के वंचित वर्गों से आने वाले छात्रों को अक्सर प्रवेश परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा करने या कठोर पाठ्यक्रम का सामना करने में कठिनाई होती है, क्योंकि ग्रामीण या कम वित्त पोषित विद्यालयों में उन्हें कमजोर बुनियादी शिक्षा मिली होती है। प्रमुख संस्थानों में आरक्षित श्रेणी के छात्रों के बीच उच्च ड्रॉप-आउट दर इस अंतर को उजागर करती है। समिति नोट करती है कि अशोका विश्वविद्यालय और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय जैसे कुछ विश्वविद्यालय पहले से ही वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के समर्थन के लिए ओरिएंटेशन और ब्रिज प्रोग्राम लागू कर चुके हैं। अशोका विश्वविद्यालय का अकादमिक ब्रिज प्रोग्राम (एबीपी) तीन सप्ताह के ब्रिज कोर्स और पहले वर्ष के दौरान वर्षभर सहायता प्रदान करने से युक्त है। समिति सिफारिश करती है कि विभाग ऐसे मॉडलों का अध्ययन करे और कुछ मॉडल कार्यक्रम (जैसे ब्रिज कोर्स, प्रवेश परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग आदि) विकसित करे जिन्हें निजी उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) अनुच्छेद 15(5) के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता के लिए अपना सकें। इसी प्रकार, विभाग को उन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान करनी चाहिए जो निजी एचईआई में कोटे के माध्यम से प्रवेश लेते हैं, ताकि छात्रावास में रहने की लागत का बोझ कम किया जा सके।

3.16 समिति यह भी नोट करती है कि प्रमुख संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की घटनाएँ अक्सर सामने आती रही हैं। आरक्षण कोटे के तहत प्रवेश पाने वाले छात्र, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि के, प्रमुख उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अपने साथियों और शिक्षकों से कलंक और भेदभाव का सामना करते हैं, जिसका उनके प्रदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, समिति जाति-आधारित मुद्दों के समाधान हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठों वाले संस्थानों में सख्त भेदभाव-विरोधी नीतियों/कानूनों को लागू करने की पुरजोर सिफारिश करती है। साथ ही, इससंदर्भ में शिक्षकों और छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए।

3.17 समिति यह भी समुक्ति करती है कि विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में हाशिए के वर्गों के कई छात्र आरक्षण के लाभों से अनजान हैं या डिजिटल विभाजन और नौकरशाही बाधाओं के कारण आवेदन प्रक्रियाओं तक उनकी पहुँच नहीं होती। समिति नोट करती है कि सोनीपत स्थित अशोका विश्वविद्यालय जैसे कुछ विश्वविद्यालयों ने जवाहर नवोदय विद्यालयों और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी कर, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के प्रवेश में सहायता की है। समिति ने विभाग से गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक नेताओं के साथ सहयोग करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने की सिफारिश की, ताकि छात्रों को उपलब्ध अवसरों और आवेदन प्रक्रियाओं के बारे में पता चल सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग इन समुदायों के बीच एक जागरूकता अभियान चलाए ताकि संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के बाद निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में उनके लिए उपलब्ध अवसरों की व्यापक जानकारी उन्हें मिल सके।

3.18 समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) को लागू करते हुए ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ सबसे वंचित ओबीसी तक पहुँचें। इसके अलावा, आय और पात्रता मानदंडों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए।

3.19 समिति समुक्ति करती है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है और अनुच्छेद 15(5) इस संवैधानिक दायित्व को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि अनुच्छेद 15(5) के कार्यान्वयन को अनुच्छेद 46 में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी), अनुसूचित जातियों, जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के समग्र उत्थान को बढ़ावा दिया जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग समाज के प्रत्येक वर्ग के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में सामान्य जातियों के ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

3.20 समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग निजी और सार्वजनिक उच्चतर शिक्षा संस्थानों में छात्र जनसंख्या की संरचना पर वर्तमान में एकत्रित आँकड़ों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठाए। वर्तमान में, सबसे अद्यतन और विश्वसनीय आँकड़ा स्रोत 2021-2022 की

एआईएसएचई रिपोर्ट है, यानी तीन साल पहले की। इसके अतिरिक्त, जैसा कि समिति ने उच्चतर शिक्षा विभाग की 2025-26 की अनुदान माँगों संबंधी अपने 364वें प्रतिवेदन में उल्लेख किया है, एआईएसएचई रिपोर्ट के कुछ आँकड़े अविश्वसनीय हैं—उदाहरण के लिए, इसमें दावा किया गया है कि अन्ना विश्वविद्यालय में केवल एक संकाय सदस्य है। समिति पुनः यह दोहराती है कि एआईएसएचई का आयोजन वार्षिक रूप से किया जाना चाहिए और आँकड़ों की सटीकता में सुधार के लिए गुणवत्ता जाँच की आवश्यकता है।

3.21 समिति यह भी सिफारिश करती है कि उच्चतर शिक्षा संस्थान, जिनमें निजी गैर-सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थान भी शामिल हैं, सभी आवेदकों और प्रवेश प्राप्त छात्रों की जाति श्रेणी का डेटा अनिवार्य रूप से एकत्र करें। उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विभाग के लिए छात्र समुदाय की सामाजिक संरचना और संभावित आवेदकों के समूह को समझना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जाति घोषणा को वैकल्पिक बनाने की प्रणाली प्रवेश प्रक्रिया में जातिगत जानकारी के अभाव (कास्ट-ब्लाइंडनेस) का कारण बन सकती है। हालाँकि, आवेदकों और छात्रों को यह घोषित करने का विकल्प दिया जा सकता है कि उनकी कोई जातिगत पहचान नहीं है।

3.22 समिति निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा अपने छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रयासों की सराहना करती है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों का प्रवेश हुआ है। उदाहरण के लिए, समिति को यह जानकारी प्रसन्नता हुई कि अशोका विश्वविद्यालय के 49% छात्र किसी न किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, जो निस्संदेह एक समावेशी और विविध छात्र समूह का निर्माण करता है। इसी प्रकार, समिति ने शिव नाडर विश्वविद्यालय की विद्याज्ञान छात्रवृत्ति की सराहना की, जो स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक छात्रों को सहायता प्रदान करती है। समिति यह भी नोट करती है कि छात्रवृत्तियाँ सामाजिक समूहों में विविधता को भी बढ़ावा देती हैं - उदाहरण के लिए, शिव नाडर विश्वविद्यालय में, ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम लगभग पूरी तरह से छात्रवृत्तियों द्वारा वित्त पोषित है, जिसके परिणामस्वरूप कक्षा संरचना अधिक विविध है (38.8% अनुसूचित जनजाति, 25% अन्य पिछड़ा वर्ग, और 16% अनुसूचित जाति)। समिति अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सामाजिक-आर्थिक वंचितता (एसईडी) सूचकांक की भी सराहना करती है, जो विश्वविद्यालय को प्रत्येक आवेदक की व्यक्तिगत सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखने में सक्षम बनाता है।

समिति की समुक्तियाँ/सिफारिशें -एक नज़र में

1. समिति नोट करती है कि अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008) के मामले में, शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू करने वाले 93वें संविधान संशोधन की वैधता की जाँच की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसमें केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान था। न्यायालय ने ओबीसी के भीतर "क्रीमी लेयर" को इन लाभों से बाहर रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ ओबीसी के सबसे वंचित वर्गों तक पहुँचें और आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय की आवश्यकता को योग्यता के सिद्धांत के बीच संतुलन बना रहे। इस आरक्षण को बरकरार रखते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिए सकारात्मक कार्रवाई लागू करने की राज्य की शक्ति को सुदृढ़ किया। इसके अलावा, आईएमए बनाम भारत संघ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने 12 मई, 2011 को निजी गैर-सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनुच्छेद 15(5) को बरकरार रखा। अंततः, प्रगति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ मामले में, 29 जनवरी, 2014 को, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) की संपूर्णता को स्पष्ट रूप से बरकरार रखा। अतः यह स्पष्ट है कि निजी शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए आरक्षण संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है।

(पैरा 3.7)

2. समिति नोट करती है कि अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2021-22 के अनुसार, 685 सरकारी प्रबंधित विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय-स्तरीय संस्थान (अर्थात्, 240 केंद्र सरकार के संस्थान और 445 राज्य सरकार के संस्थान) और 473 निजी गैर-सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय थे। तब से, निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में केवल वृद्धि हुई है, और वर्तमान में यूजीसी के अनुसार देश में 517 निजी विश्वविद्यालय हैं। एआईएसएचई रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, डिग्री कॉलेजों में, भारत के 45,473 कॉलेजों में से केवल 21.5% सरकारी संस्थान हैं, 13.2% निजी सहायता प्राप्त संस्थान हैं, और 65.3% निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान हैं। समिति समुक्ति करती है कि इन संख्याओं के साथ-साथ देश की बढ़ती जनसंख्या और छात्रों की संख्या तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 50% जीईआर के लिए एनईपी के लक्ष्य को देखते हुए, यह स्पष्ट है

कि सार्वजनिक क्षेत्र के शिक्षण संस्थान सभी छात्रों को समायोजित करने में असमर्थ होंगे और निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को समाज के प्रत्येक वर्ग के छात्रों को समायोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

(पैरा 3.8)

3. समिति उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों 2025-26 संबंधी अपने 364 वें प्रतिवेदन से अपने अवलोकन की पुष्टि करती है, जहां इसने कहा कि "भारत में उच्चतर शिक्षा के दो अलग-अलग क्षेत्रों में बढ़ती प्रवृत्ति देखी जा रही है- एक बेहतर संकाय और संसाधनों वाले निजी और चुनिंदा सरकारी संस्थान हैं, और दूसरे वे अधिकांश उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं जो पूर्व के साथ तालमेल नहीं रख पा रहे हैं।" सार्वजनिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में एससी,एसटीऔरओबीसीके लिए आरक्षण का प्रावधान और निजी एचईआई में इस तरह के प्रावधान की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप इन समुदायों के छात्र अनुपातहीन रूप से उन सार्वजनिक संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं जो तालमेल नहीं रख पा रहे हैं। समिति इस बात पर जोर देती है कि शिक्षा इस देश में सामाजिक न्याय प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन होनी चाहिए, और नोट करती है कि निजी एचईआईमें आरक्षण की वर्तमान अनुपस्थिति उसी में बाधा बन सकती है।

(पैरा 3.9)

4. समिति नोट करती है कि निजी विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली वार्षिक फीस बहुत ज्यादा है और समाज के वंचित वर्गों के छात्र इस फीस को वहन करने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए, समिति यह मानती है कि राज्य के लिए इन वर्गों के छात्रों को समायोजित करने और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) को पूरी तरह से लागू करने के लिए कानून के माध्यम से सकारात्मक कदम उठाना अनिवार्य है।

(पैरा 3.10)

5. समिति नोट करती है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(5), जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित है, राज्य को स्पष्ट रूप से अधिकार देता है कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की योजना में निजी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों को शामिल कर सकता है। हालाँकि, निजी शिक्षण संस्थान वर्तमान में आरक्षण नीतियों को लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए कोई कानून नहीं है।

इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) को संसद द्वारा कानून बनाकर पूरे देश में पूरी तरह से लागू किया जाए। *समिति सिफारिश करती है कि निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 27%, 15% और 7.5% सीटें आरक्षित की जानी चाहिए।*

(पैरा 3.11)

6. समिति हालांकि यह भी नोट करती है कि निष्पक्षता के हित में, निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण की पूरी वित्तीय व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। समिति यह भी नोट करती है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)सी के तहत निजी स्कूलों में 25% आरक्षण की शुरुआत की गई है, जिसकी पूरी प्रतिपूर्ति स्कूलों द्वारा सरकार से की जानी चाहिए - यही वह मॉडल है जिसका पालन सरकार को निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में भी करना चाहिए।

(पैरा 3.12)

7. समिति समुक्ति करती है कि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, निजी विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले कुल छात्रों में से 40% ओबीसी, 14.9% एससी और 5% एसटी छात्रों का प्रतिनिधित्व निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में है। हालांकि, ऊपर उल्लिखित निजी विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, उनमें भर्ती ओबीसी छात्रों की संख्या काफी कम है, जबकि उपर्युक्त विश्वविद्यालयों में एससी और एसटी छात्रों की संख्या बेहद कम है। बिट्स में, वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल 5,137 छात्रों में से लगभग 514 ओबीसी, 29 एससी और 4 एसटी हैं, जो ओबीसी के मामले में लगभग 10 प्रतिशत, एससी के मामले में 0.5 प्रतिशत और एसटी के मामले में लगभग 0.08 प्रतिशत है, हालांकि कुछ छात्रों ने अपनी श्रेणी घोषित नहीं की है। इसी तरह, ओपी ज़िंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में कुल 3,181 छात्रों में से 28 एससी और 29 एसटी हैं, जो 1 प्रतिशत से भी कम है। इसके अलावा, शिव नाडर विश्वविद्यालय में कुल 3,359 छात्रों में से एससी 48 और एसटी 29 हैं, जो क्रमशः 1.5 प्रतिशत और लगभग 0.5 प्रतिशत है। इसलिए, समिति उच्चतर शिक्षा विभाग को निजी सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कोटा लागू करने की सिफारिश करती है। साथ ही, विभाग को यूजीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और एससी/एसटी आयोग जैसे केंद्रीय निरीक्षण/निगरानी निकाय के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) के कार्यान्वयन की निगरानी सुनिश्चित

करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये संस्थान प्रवेश संबंधी आंकड़ों की वार्षिक रिपोर्ट दें।

(पैरा 3.13)

8. समिति यह भी समुक्ति करती है कि आरक्षण का विस्तार करने के लिए सीटें बढ़ानी होंगी। हालांकि, कई निजी संस्थानों में गुणवत्ता से समझौता किए बिना और सामान्य श्रेणी की सीटों में कमी किए बिना एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के अतिरिक्त छात्रों को समायोजित करने के लिए कक्षाओं, छात्रावासों, संकाय आदि जैसे बुनियादी ढांचे का अभाव है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि केंद्र और राज्य सरकारों को निजी शैक्षणिक संस्थानों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए सीटें बढ़ाने, बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और आरक्षण लागू करने वाले संस्थानों में संकाय नियुक्त करने के लिए विशेष धन आवंटित करना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से संसाधनों का पूरक भी करना चाहिए। उच्चतर शिक्षा विभाग को उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना चाहिए

(पैरा 3.14)

9. समिति समुक्ति करती है कि समाज के वंचित वर्गों से आने वाले छात्रों को अक्सर प्रवेश परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा करने या कठोर पाठ्यक्रम का सामना करने में कठिनाई होती है, क्योंकि ग्रामीण या कम वित्त पोषित विद्यालयों में उन्हें कमजोर बुनियादी शिक्षा मिली होती है। प्रमुख संस्थानों में आरक्षित श्रेणी के छात्रों के बीच उच्च ड्रॉप-आउट दर इस अंतर को उजागर करती है। समिति नोट करती है कि अशोका विश्वविद्यालय और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय जैसे कुछ विश्वविद्यालय पहले से ही वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के समर्थन के लिए ओरिएंटेशन और ब्रिज प्रोग्राम लागू कर चुके हैं। अशोका विश्वविद्यालय का अकादमिक ब्रिज प्रोग्राम (एबीपी) तीन सप्ताह के ब्रिज कोर्स और पहले वर्ष के दौरान वर्षभर सहायता प्रदान करने से युक्त है। समिति सिफारिश करती है कि विभाग ऐसे मॉडलों का अध्ययन करे और कुछ मॉडल कार्यक्रम (जैसे ब्रिज कोर्स, प्रवेश परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग आदि) विकसित करे जिन्हें निजी उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) अनुच्छेद 15(5) के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता के लिए अपना सकें। इसी प्रकार, विभाग को उन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान करनी चाहिए जो निजी एचईआई में कोटे के माध्यम से प्रवेश लेते हैं, ताकि छात्रावास में रहने की लागत का बोझ कम किया जा सके।

(पैरा 3.15)

10. समिति यह भी नोट करती है कि प्रमुख संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की घटनाएँ अक्सर सामने आती रही हैं। आरक्षण कोटे के तहत प्रवेश पाने वाले छात्र, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि के, प्रमुख उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अपने साथियों और शिक्षकों से कलंक और भेदभाव का सामना करते हैं, जिसका उनके प्रदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, समिति जाति-आधारित मुद्दों के समाधान हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठों वाले संस्थानों में सख्त भेदभाव-विरोधी नीतियों/कानूनों को लागू करने की पुरजोर सिफारिश करती है। साथ ही, इस संदर्भ में शिक्षकों और छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए।

(पैरा 3.16)

11. समिति यह भी समुक्ति करती है कि विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में हाशिए के वर्गों के कई छात्र आरक्षण के लाभों से अनजान हैं या डिजिटल विभाजन और नौकरशाही बाधाओं के कारण आवेदन प्रक्रियाओं तक उनकी पहुँच नहीं होती। समिति नोट करती है कि सोनीपत स्थित अशोका विश्वविद्यालय जैसे कुछ विश्वविद्यालयों ने जवाहर नवोदय विद्यालयों और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी कर, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के प्रवेश में सहायता की है। समिति ने विभाग से गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक नेताओं के साथ सहयोग करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने की सिफारिश की, ताकि छात्रों को उपलब्ध अवसरों और आवेदन प्रक्रियाओं के बारे में पता चल सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग इन समुदायों के बीच एक जागरूकता अभियान चलाए ताकि संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के बाद निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में उनके लिए उपलब्ध अवसरों की व्यापक जानकारी उन्हें मिल सके।

(पैरा 3.17)

12. समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) को लागू करते हुए ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ सबसे वंचित ओबीसी तक पहुँचें। इसके अलावा, आय और पात्रता मानदंडों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए।

(पैरा 3.18)

13. समिति समुक्ति करती है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक

और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है और अनुच्छेद 15(5) इस संवैधानिक दायित्व को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि अनुच्छेद 15(5) के कार्यान्वयन को अनुच्छेद 46 में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी), अनुसूचित जातियों, जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के समग्र उत्थान को बढ़ावा दिया जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग समाज के प्रत्येक वर्ग के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में सामान्य जातियों के ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

(पैरा 3.19)

14. समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग निजी और सार्वजनिक उच्चतर शिक्षा संस्थानों में छात्र जनसंख्या की संरचना पर वर्तमान में एकत्रित आँकड़ों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठाए। वर्तमान में, सबसे अद्यतन और विश्वसनीय आँकड़ा स्रोत 2021-2022 की एआईएसएचई रिपोर्ट है, यानी तीन साल पहले की। इसके अतिरिक्त, जैसा कि समिति ने उच्चतर शिक्षा विभाग की 2025-26 की अनुदान माँगों संबंधी अपने 364वें प्रतिवेदन में उल्लेख किया है, एआईएसएचई रिपोर्ट के कुछ आँकड़े अविश्वसनीय हैं—उदाहरण के लिए, इसमें दावा किया गया है कि अन्ना विश्वविद्यालय में केवल एक संकाय सदस्य है। समिति पुनः यह दोहराती है कि एआईएसएचई का आयोजन वार्षिक रूप से किया जाना चाहिए और आँकड़ों की सटीकता में सुधार के लिए गुणवत्ता जाँच की आवश्यकता है।

(पैरा 3.20)

15. समिति यह भी सिफारिश करती है कि उच्चतर शिक्षा संस्थान, जिनमें निजी गैर-सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थान भी शामिल हैं, सभी आवेदकों और प्रवेश प्राप्त छात्रों की जाति श्रेणी का डेटा अनिवार्य रूप से एकत्र करें। उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विभाग के लिए छात्र समुदाय की सामाजिक संरचना और संभावित आवेदकों के समूह को समझना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जाति घोषणा को वैकल्पिक बनाने की प्रणाली प्रवेश प्रक्रिया में जातिगत जानकारी के अभाव (कास्ट-ब्लाइंडनेस) का कारण बन सकती है। हालाँकि, आवेदकों और छात्रों को यह घोषित करने का विकल्प दिया जा सकता है कि उनकी कोई जातिगत पहचान नहीं है।

(पैरा 3.21)

16. समिति निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा अपने छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रयासों की सराहना करती है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों

का प्रवेश हुआ है। उदाहरण के लिए, समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अशोका विश्वविद्यालय के 49% छात्र किसी न किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, जो निस्संदेह एक समावेशी और विविध छात्र समूह का निर्माण करता है। इसी प्रकार, समिति ने शिव नाडर विश्वविद्यालय की विद्याज्ञान छात्रवृत्ति की सराहना की, जो स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक छात्रों को सहायता प्रदान करती है। समिति यह भी नोट करती है कि छात्रवृत्तियाँ सामाजिक समूहों में विविधता को भी बढ़ावा देती हैं - उदाहरण के लिए, शिव नाडर विश्वविद्यालय में, ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम लगभग पूरी तरह से छात्रवृत्तियों द्वारा वित्त पोषित है, जिसके परिणामस्वरूप कक्षा संरचना अधिक विविध है (38.8% अनुसूचित जनजाति, 25% अन्य पिछड़ा वर्ग, और 16% अनुसूचित जाति)। समिति अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सामाजिक-आर्थिक वंचितता (एसईडी) सूचकांक की भी सराहना करती है, जो विश्वविद्यालय को प्रत्येक आवेदक की व्यक्तिगत सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखने में सक्षम बनाता है।

(पैरा 3.22)

निजी विश्वविद्यालयों का विवरण

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	पता	राज्य
1	आदित्य विश्वविद्यालय	आदित्य नगर, एडीबी रोड, सुरमपलेम, काकीनाडा	आंध्र प्रदेश
2	अन्नामचार्य विश्वविद्यालय	न्यू बोयानापल्ली, राजमपेट अन्नामय्या जिला,	आंध्र प्रदेश
3	भारतीय इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन यूनिवर्सिटी	गौनिवारीपल्ली, गोरंटला मंडल, अनंतपुर	आंध्र प्रदेश
4	संचुरियन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय	टेक्कली गांव, नेलीमारला मंडल, आनंदपुरम मंडल, विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश
5	गोदावरी ग्लोबल विश्वविद्यालय	एनएच-16, चैतन्य नॉलेज सिटी, राजमहेंद्रवरम	आंध्र प्रदेश
6	केआरईए विश्वविद्यालय	अप्पैयापालेम, सेंट्रल एक्सप्रेसवे, श्री सिटी	आंध्र प्रदेश
7	मोहन बाबू विश्वविद्यालय	श्री साईनाथ नगर, तिरुपति	आंध्र प्रदेश
8	सविता अमरावती विश्वविद्यालय	तीसरी मंजिल, वैष्णवी कॉम्प्लेक्स, विपरीत। कार्यकारी क्लबविजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
9	एसआरएम विश्वविद्यालय	नीरुकोंडा पोस्ट, मंगलगिरि मंडल, गंटूर जिला	आंध्र प्रदेश
10	अपोलो विश्वविद्यालय	अपोलो नॉलेज सिटी, साकेता, मुरुकमबटूर, चित्तूर	आंध्र प्रदेश
11	वीआईटी-एपी विश्वविद्यालय	ऐनावोलु गांव, थुल्लूर मंडलम, अमरावती, गंटूर	आंध्र प्रदेश
12	एपेक्स प्रोफेशनल विश्वविद्यालय	एनएच 52, दूसरा मील, गुमीन नगर	अरुणाचल प्रदेश
13	अरुणाचल अध्ययन विश्वविद्यालय	एनएच-52, नॉलेज सिटी, जिला, नामसाई	अरुणाचल प्रदेश
14	अरुणोदय विश्वविद्यालय	लेखी गांव, नाहरलागुन, ईटानगर, जिला। पापुम पारे	अरुणाचल प्रदेश
15	हिमालय विश्वविद्यालय	401, ताकर कॉम्प्लेक्स, नहलागुन	अरुणाचल प्रदेश

16	इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय	जीरो, निचला सुबनसिरी	अरुणाचल प्रदेश
17	नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल विश्वविद्यालय	सिबू-पुई, आलो (पीओ), पश्चिम सियांग (जिला)	अरुणाचल प्रदेश
18	वैश्विक विश्वविद्यालय	आदर्श गांव, नाहरलागुन, ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश
19	वेंकटेश्वर मुक्त विश्वविद्यालय	लेखी गांव, नाहरलागुन, जिला। पापुम पारे	अरुणाचल प्रदेश
20	असम डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय	अज़ारा, गुवाहाटी	असम
21	असम डाउन टाउन विश्वविद्यालय	शंकर माधब पथ, गांधीनगर, पानीखैती, गुवाहाटी	असम
22	औनियाती विश्वविद्यालय	कालियापानी, टीओक, जिला। जोरहाट	असम
23	गिरिजानंद चौधरी विश्वविद्यालय	हथखोवापारा, अज़ारा, गुवाहाटी, जिला-कामरूप (मेट्रो)	असम
24	कृष्णगुरु आध्यात्मिक विश्व विद्यालय	नासत्रा, बारपेटा	असम
25	महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय	श्रीमंत शंकरदेव संघ परिसर, हलधर भुइयां पथ, कलौंगपार, नागांव	असम
26	प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय	हाजोंगबारी, पी.ओ. - चंद्रपुर, कामरूप, महानगर जिला, गुवाहाटी	असम
27	असम काजीरंगा विश्वविद्यालय	जोरहाट, असम	असम
28	असम रॉयल ग्लोबल विश्वविद्यालय	बेटकुची, तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने, गुवाहाटी	असम
29	अल-करीम विश्वविद्यालय	सिरसा, करीम बाग, कटिहार	बिहार
30	एमिटी विश्वविद्यालय	रूपसपुर, बेली रोड, पटना	बिहार
31	डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय	ब्लॉक-भगवानपुर, एनएच-77, जिला-वैशाली	बिहार
32	गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय	जमुहार, डाकघर-जमुहार, जिला-रोहतास	बिहार
33	के के विश्वविद्यालय	बेरोती, नेपुरा, बिहारशरीफ, नालन्दा	बिहार
34	माता गुजरी विश्वविद्यालय	पूरबपाली रोआ, किशनगंज	बिहार

35	संदीप विश्वविद्यालय	नीलम विद्या विहार, ग्राम-सिजौल, जिला-मधुबनी	बिहार
36	एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स	ग्राम-माठ, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर	छत्तीसगढ़
37	एमिटी विश्वविद्यालय	ग्राम: मंथ (खरोरा); तहसील: तिल्दा; जिला: रायपुर; छत्तीसगढ़तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर	छत्तीसगढ़
38	अंजनेय विश्वविद्यालय	नॉलेज विलेज, नरधा, रायपुर	छत्तीसगढ़
39	भारती विश्वविद्यालय	चंखुरीदुर्ग	छत्तीसगढ़
40	देव संस्कृति विश्वविद्यालय	ग्राम सांकरा कुम्हारी, जिला दुर्ग	छत्तीसगढ़
41	डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय	कारगी रोड कोटा, बिलासपुर, जिला। बिलासपुर	छत्तीसगढ़
42	आईसीएफआई विश्वविद्यालय	कुम्हारी	छत्तीसगढ़
43	आईएसबीएम विश्वविद्यालय	ग्राम-नवापारा (कोसमी) ब्लॉक, तहसील-छुरा, जिला-गरियाबंद	छत्तीसगढ़
44	आईटीएम विश्वविद्यालय	उपरवारा, तह.-अभनपुरनया रायपुर, जिला. रायपुर	छत्तीसगढ़
45	के.के. मोदी विश्वविद्यालय	ग्राम महमरा, जालबंदा (रसमड़ा) रोड, जिला. -दुर्ग	छत्तीसगढ़
46	कलिंगा विश्वविद्यालय	कोटनी, मंत्रालय के पास, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) भारतथासिल: आरंग, नया रायपुर	छत्तीसगढ़
47	महर्षि प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	महर्षि रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर - 10, मंगला, बिलासपुर	छत्तीसगढ़
48	मैट्स यूनिवर्सिटी	आरंग खरोरा राजमार्ग, आरंग, जिला: रायपुर	छत्तीसगढ़
49	ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय	ओपी जिंदल नॉलेज पार्क, पुंजीपथरा, रायगढ़घरघोड़ा रोड पुंजीपथरा, रायगढ़	छत्तीसगढ़
50	रूंगटा इंटरनेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी	भिलाई, रूंगटा एजुकेशनल कैम्पस, कोहाका रोड, कुरुद, भिलाई तहसील और जिला-दुर्ग	छत्तीसगढ़
51	श्री दावरा विश्वविद्यालय	एनएच-30, दवारा एजुकेशनल कैम्पस, नया रायपुर	छत्तीसगढ़

52	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय	शदानी दरबार के पास, ग्राम-धनेली, पोस्ट ऑफिस- माना, धमतरी रोड, रायपुर	छत्तीसगढ़
53	श्री शंकराचार्य व्यावसायिक विश्वविद्यालय	ग्राम जुनवानी, भिलाईजिला-दुर्ग	छत्तीसगढ़
54	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधि शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय	उपसनगर, सैनकोले, एयरपोर्ट रोड, दक्षिण गोवा	गोवा
55	अदानी विश्वविद्यालय	शांतिग्राम टाउनशिप, वैष्णोदेवी सर्कल के पास, अहमदाबाद	गुजरात
56	अहमदाबाद विश्वविद्यालय	अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, कॉमर्स सिक्स रोड्स, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद	गुजरात
57	अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	संस्कारधाम परिसरभोपाल-घुमा-साणंद रोडअहमदाबाद	गुजरात
58	आत्मीय विश्वविद्यालय	योगीधाम गुरुकुल, कालावाड रोड, राजकोटकलावाड रोड राजकोट	गुजरात
59	ऑरो विश्वविद्यालय, सूरत	अर्थस्पेस, हजीरा रोड, ओएनजीसी के सामने, सूरत, गुजरात।	गुजरात
60	भगवान महावीर विश्वविद्यालय	वीआईपी रोड, वेसु, सूरतवेसु, सूरत	गुजरात
61	भाईकाका विश्वविद्यालय	गोकल नगर, करमसाद - 388325 गुजरात, भारत करमसाद	गुजरात
62	सी. यू. शाह विश्वविद्यालय	सुरेंद्रनगर-अहमदाबाद हाईवे नं. कोठारिया गांव, वाधवान सिटी सुरेंद्रनगर	गुजरात
63	सीईपीटी विश्वविद्यालय (पूर्व में पर्यावरण नियोजन एवं प्रौद्योगिकी केंद्र विश्वविद्यालय)	यूनिवर्सिटी रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद	गुजरात
64	चारोतर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	नडियाद-पेटलाड हाईवे रोड, चांगा से बाहर	गुजरात
65	दर्शन विश्वविद्यालय	राजकोट-मोरबी राजमार्ग, जिला। राजकोट	गुजरात

66	धीरूभाई अंबानी विश्वविद्यालय (पूर्व में धीरूभाई अंबानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर)	डीएआईआईसीटी, इंद्रोडा सर्कल के पास, गांधीनगर	गुजरात
67	डॉ. सुभाष विश्वविद्यालय	डॉ. सुभाष रोड, जूनागढ़,	गुजरात
68	डॉ. किरण एवं पल्लवी पटेल ग्लोबल विश्वविद्यालय (केपीजीयू)	कृष्णा एडु कैम्पस, वर्नामा, वडोदरा	गुजरात
69	जी.एल.एस. विश्वविद्यालय	जीएलएस कैम्पस, लॉ गार्डन के सामने, एलिसब्रिज, अहमदाबाद। लॉ गार्डनएलिसब्रिज, अहमदाबाद	गुजरात
70	गांधीनगर विश्वविद्यालय	गांव: मोती भोयान, खटराज-कलोल रोड, गांधीनगर	गुजरात
71	गणपत विश्वविद्यालय	परिसर: गणपत विद्यानगर, मेहसाणा, गोवाज़रिया राजमार्ग, जिला मेहसाणा, ऑफ-कैम्पस: गणेश मेरिडियन, ब्लॉक-ए, सामने। कारगिल पेट्रोल पंप, सोला, एस.जी. हाईवे, अहमदाबाद-380060	गुजरात
72	गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी	गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सुजानपुर पाटिया के पास, आईओसी डिपो के सामने, स्टेट हाईवे-41, सिद्धपुर-384151 जी. आर. एस. एल. के पास, सुजानपुर पाटिया सिद्धपुर, जिला- पाटन	गुजरात
73	जीएसएफसी यूनिवर्सिटी	विज्ञान भवनपीओ फटिलाइजर नगर जिला. वडोदरा	गुजरात
74	गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी	सागर भवन, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-10-ए, सामने। वायु सेना केंद्र, सीएचएच रोड, गांधीनगर	गुजरात
75	ज्ञानमंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी	सर्वे नंबर 30, सिदसर रोड, भावनगर,	गुजरात
76	भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान	वायु सेना मुख्यालय के सामने गांधीनगर, लेकावाड़ा बस स्टॉप के पास, गांधीनगर- चिलोडा रोडसीआरपीएफ, पी. ओ. लेकावाड़ा, गांधीनगर	गुजरात

77	इंद्रशील विश्वविद्यालय	अहमदाबाद-महेसाणा राजमार्ग पर, कलापी होटल से बाएं मुड़ें, छत्रल के पास, कड़ी, जीआईडीसी, राजपुर, तालुका: कड़ी, जिला- महेसाणा	गुजरात
78	इंडस यूनिवर्सिटी	गांव रंचरदा, वाया: शिलाज, अहमदाबादरंचरदा, वाया-थलतेजअहमदाबाद	गुजरात
79	उन्नत अनुसंधान संस्थान	उन्नत अनुसंधान संस्थान, कोबा इंस्टीट्यूशनल एरिया, गांधीनगर, कोबा, गांधीनगर	गुजरात
80	आईटीएम (एसएलएस) बड़ौदा विश्वविद्यालय	ग्राम पालड़ी, जारोड के पास, वडोदरा हलोल हाईवे ताल वाघोडिया, जिला: वडोदरा, जारोड के पास, वडोदरा-हलोल हाईवे, वडोदरा	गुजरात
81	आईटीएम वोक्शनल यूनिवर्सिटी	प्लॉट 6512, अजवा निमेटा रोड, रावल, तालुका, वागोडिया, जिला - वडोदरा, गुजरात। निमेटा रोड, रावल तालुका वाघोडिया, वडोदरा	गुजरात
82	जे.जी. विश्वविद्यालय	उवरसाद, जिला-गांधीनगर	गुजरात
83	के.एन. विश्वविद्यालय	श्रीमती के.एन. पटेल इंटरनेशनल स्कूल, केएनपीआईएस सर्कल के पास, वोडाफोन टॉवर लेन, गोटा, अहमदाबाद	गुजरात
84	कड़ी सर्व विश्वविद्यालय	एलडीआरपीआईटीआर परिसर, केएच 5 सर्कल के पास, सेक्टर 15, गांधीनगर सेक्टर 15/23, गांधीनगर	गुजरात
85	कर्णावती विश्वविद्यालय	907/ए, उवरसादगांधीनगर,	गुजरात
86	लैकुलिश योग विश्वविद्यालय	लोटस व्यू, ऑप. निरमा यूनिवर्सिटी, एस.जी. हाईवे, छारोडी, अहमदाबाद	गुजरात
87	लोक जागृति केंद्र विश्वविद्यालय	एफपी नंबर 74,100+113, टीपीएस नंबर 86, (सरखेज-ओकाफ-फतेवाडी, मकरबा), जिला। अहमदाबाद	गुजरात
88	लोकभारती विश्वविद्यालय ग्रामीण नवप्रवर्तन	सनोसारा, ता. सीहोर जिला- भावनगर	गुजरात
89	एम.के. विश्वविद्यालय	हनुमानपुरा, मातरवाडी पाटन	गुजरात

90	मगनभाई अर्देवाला महागुजरात विश्वविद्यालय	आयुर्वेद महाविद्यालय, कॉलेज रोड, नडियाद	गुजरात
91	मारवाड़ी विश्वविद्यालय	राजकोट-मोरबी हाईवे, गौरीदाद के पास, राजकोटराजकोट	गुजरात
92	मोनार्क विश्वविद्यालय	एट एंड पोस्ट वाहेलाल, नरोदा-दहेगाम रोड, अहमदाबाद	गुजरात
93	नवरचना विश्वविद्यालय	वासना भायली रोड, वडोदरा -391 410 गुजरात, भारत वडोदरागुजरात	गुजरात
94	निरमा विश्वविद्यालय	निरमा यूनिवर्सिटी, एस.जी. हाईवे, अहमदाबाद, गुजरातगांव - छारोडीअहमदाबाद	गुजरात
95	नोबल यूनिवर्सिटी	नोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, पार्थ वाटिका, भेसन रोड, ता. एवं जिला, जूनागढ़	गुजरात
96	पी. पी. सवानी विश्वविद्यालय	एनएच 8, गेटको, बिल्टेक गांव के पास: धमदोद, कोसांबा, ता.: मांगरोल, जिला: सूरत	गुजरात
97	पंडित दीन दयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय (पूर्व में पंडित दीन दयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय)	नॉलेज कॉरिडोर, रायसन गांव, गांधीनगर	गुजरात
98	पारुल विश्वविद्यालय	पी.ओ.लिम्डा, टा: वाघोडिया, जिला: वडोदरा-391760ताल - वाघोडिया जिला। वडोदरा	गुजरात
99	प्लास्टिडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी	डूंगरा, जीआईडीसी, वापी, जिला-वलसाड	गुजरात
100	राय विश्वविद्यालय	सरोदा, ढोलका तालुका, अहमदाबाद, गुजरातअहमदाबाद, गुजरात	गुजरात
101	रज्जू श्रॉफ रोफेल विश्वविद्यालय (आरएसआरयू)	सर्वे क्र. 78-79, रोफेल कैंपस, नामधा-वापी, वलसाड	गुजरात
102	आरके विश्वविद्यालय	आरके विश्वविद्यालय, भावनगर हाईवे, कस्तूरबाधाम, राजकोट - 360020, गुजरात, भारत, राजकोट	गुजरात
103	साबरमती विश्वविद्यालय	ग्रीनवुड, वैष्णोदेवी सर्कल के पास, सरदार पटेल रिंग रोड, ओगनाज, चांदलोडिया,	गुजरात

		अहमदाबाद	
104	सांकलचंद पटेल विश्वविद्यालय	सांकलचंद पटेल विद्याधाम अंबाजी- गांधीनगर स्टेट हाईवे, विसनगर-384315 जिला: मेहसाणा, गुजरात (भारत) विसनगर-384315 गुजरात	गुजरात
105	सरदार वल्लभभाई ग्लोबल यूनिवर्सिटी	चिमनभाई पटेल संस्थान परिसर, कर्णावती क्लब के सामने, अहमदाबाद	गुजरात
106	सार्वजनिक विश्वविद्यालय	एम.टी.बी. कॉलेज परिसर, चौपाटी अठवालाइन्स के सामने, सूरत	गुजरात
107	श्रेयार्थ विश्वविद्यालय	केयर ऑफ गुजरात समाचार भवन, खानपुर, अहमदाबाद	गुजरात
108	सिग्मा विश्वविद्यालय	बकरोल, अजवा-निमेटा रोड, वाघोडिया, वडोदरा	गुजरात
109	सिल्वर ओक विश्वविद्यालय	भाविक प्रकाशन के समीप, भागवत विद्यापीठ के सामने, एस.जी. हाईवे, गोटा, अहमदाबाद गोटा, अहमदाबाद	गुजरात
110	एसकेआईपीएस विश्वविद्यालय	प्लॉट संख्या 411, सनावद, कलोल, गांधीनगर	गुजरात
111	सुरेंद्रनगर विश्वविद्यालय	श्री पंडित नाथूलालजी व्यास तकनीकी परिसर, सुरेंद्रनगर-अहमदाबाद राजमार्ग, कोठारिया गांव के पास, वाधवान	गुजरात
112	स्वामीनारायण विश्वविद्यालय	श्री स्वामीनारायण विश्वमंगल गुरुकुल अहमदाबाद-नेहसाणा हाईवे एटी व पीओ- सैज, तहसील-कलोल, जिला:, गांधीनगर	गुजरात
113	स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन विश्वविद्यालय	भोयन राठौड़, गांधीनगर इफको के सामने, अडालज-सेरथा रोड, गांधीनगर	गुजरात
114	टीम लीज़ स्किल्स विश्वविद्यालय	तरसाली-वडोदरा रोड तरसाली बाईपास, वडोदरा	गुजरात
115	चारुतर विद्या मंडल (सीवीएम) विश्वविद्यालय	बीवीएम कॉलेज के समीप, वल्लभ विद्यानगर, जिला-आणंद	गुजरात
116	ट्रांसस्टेडिया विश्वविद्यालय	कांकरिया गेट क्र.-3 के सामने, कांकरिया, अहमदाबाद	गुजरात

117	यूकेए तारसाडिया विश्वविद्यालय	मालिबा परिसर, गोपाल विद्यानगर बरोली-महुवा रोड जिला सूरत, गुजरात	गुजरात
118	यूपीएल यूनिवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी	ब्लॉक क्र. 402, एटी व पीओ, वटारिया, तालुका वालिया, जिला भरुच	गुजरात
119	वनिता विश्राम महिला विश्वविद्यालय	जवाहरलाल नेहरू मार्ग, अठवा गेट, सूरत	गुजरात
120	विद्यादीप विश्वविद्यालय	अनिता (किम), ताल ओलपाड, जिला सूरत	गुजरात
121	अल-फलाह विश्वविद्यालय	फरीदाबाद	हरियाणा
122	एमिटी विश्वविद्यालय	पंचगांव, मानेसर, गुड़गांव (हरियाणा)पंचगांव, मानेसर जिला गुड़गांव	हरियाणा
123	एपीजे सत्य विश्वविद्यालय	सोहना - पलवल रोड, सोहना, गुरुग्राम - 122103 गुड़गांव	हरियाणा
124	अशोक विश्वविद्यालय	प्लॉट क्र. 2, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, कुंडली, एनसीआर सोनीपत	हरियाणा
125	बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय	अस्थल बोहर, रोहतक, हरियाणा।	हरियाणा
126	बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय	67वां मील पत्थर, राष्ट्रीय राजमार्ग - 8 सिधरावली, गुरुग्राम, हरियाणा -123413 एनएच-8, ग्राम सिधरावली, गुरुग्राम	हरियाणा
127	जी.डी. गोयनका विश्वविद्यालय	जी. डी. गोयनका एजुकेशन सिटी, सोहना, गुरुग्राम रोड, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा-122103, भारतसोहना गुड़गांव रोड सोहना, हरियाणा	हरियाणा
128	गीता विश्वविद्यालय	एनएच-71A, नौल्था पानीपत	हरियाणा
129	आईआईएलएम विश्वविद्यालय	आईआईएलएम यूनिवर्सिटी, 1, नॉलेज सेंटर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-53, गुरुग्राम-हरियाणा-122003 गोल्फ कोर्स रोड सेक्टर-53, गुरुग्राम	हरियाणा
130	जगन्नाथ विश्वविद्यालय	राज्य राजमार्ग 22, बहादुरगढ़-झज्जर रोड, झज्जर	हरियाणा

131	के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय	सोहना रोड, गुरुग्राम	हरियाणा
132	एम.वी.एन. विश्वविद्यालय	74 किमी स्टोन, एनएच-2, दिल्ली-आगरा राजमार्ग, पलवल (हरियाणा) - 121105 दिल्ली-आगरा राजमार्ग, पलवल	हरियाणा
133	महर्षि मार्कण्डेय विश्वविद्यालय	इंस्टीट्यूशनल एरिया, गांव सादोपुर, अंबाला-चंडीगढ़ राजमार्ग, अंबाला	हरियाणा
134	मानव रचना विश्वविद्यालय	सेक्टर-43, अरावली हिल्स, दिल्ली-सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद दिल्ली-सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद	हरियाणा
135	एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय	एनएच-65 अम्बाला रोड, कैथल, अम्बाला रोड, कैथल	हरियाणा
136	ओम स्टर्लिंग ग्लोबल विश्वविद्यालय	एनएच-52, हिसार-चंडीगढ़ रोड, वी.पी.ओ. जुगलान, हिसार, हिसार-चंडीगढ़ रोड, हिसार	हरियाणा
137	पीडीएम विश्वविद्यालय	पोस्ट बॉक्स सं.-15, सेक्टर-3ए, सराय औरंगाबाद, बहादुरगढ़ हरियाणा	हरियाणा
138	ऋषिहुड विश्वविद्यालय	एनएच-44 (जीटी रोड), बहालगढ़ चौक के पास, दिल्ली एनसीआर, सोनीपत	हरियाणा
139	संस्कारम विश्वविद्यालय	गांव-खेड़ी तालुका, पटौदा, जिला-झज्जर	हरियाणा
140	श्री गुरु गोविंद सिंह त्रिशताब्दी विश्वविद्यालय	बुढेरा, गुरुग्राम - बादली रोड, गुरुग्राम (हरियाणा) जिला, गुरुग्राम, हरियाणा - 122 505	हरियाणा
141	एसआरएम विश्वविद्यालय	प्लॉट नंबर - 39, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, डाकघर - पी.एस.राय, सोनीपत	हरियाणा
142	स्टारएक्स विश्वविद्यालय	एनएच-8, गांव, बिनोला, पी.ओ. भोराकलां, गुरुग्राम	हरियाणा
143	सुशांत विश्वविद्यालय (पूर्व में अंसल विश्वविद्यालय)	सेक्टर 55 गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम	हरियाणा
144	नॉर्थकैप विश्वविद्यालय (पूर्व में आईटीएम विश्वविद्यालय)	नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी, सेक्टर 23ए, गुरुग्राम	हरियाणा

145	वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन	प्लॉट नंबर 1, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, राई, सोनीपत, हरियाणा	हरियाणा
146	ए.पी.जी. (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय	शोगी-मेहली बाईपास रोड, शिमला, एच.पी 171013	हिमाचल प्रदेश
147	अभिलाषी विश्वविद्यालय	चैलचौक (चैचियोट)तहसील चच्योट, जिला मंडी	हिमाचल प्रदेश
148	अरनी विश्वविद्यालय	करथगढ़, तहसील, इंदौर, जिला कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश
149	बददी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी	मखनुमाजरा, बददी, जिला सोलन	हिमाचल प्रदेश
150	बाहरा विश्वविद्यालय	वाकनाघाट तहसील कंडाघाट सोलन तहसील-कंडाघाट जिला सोलन	हिमाचल प्रदेश
151	कैरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी	कैरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर, परिसर: भोरंज (टिक्कर - खरवारियां), हमीरपुर, [एच.पी] - 176041 संपर्क: +91-1972-269702, +91-8261001325 ईमेल: hp@cpunivers.in	हिमाचल प्रदेश
152	चितकारा यूनिवर्सिटी	हिमुडा एजुकेशन हबपिंजौर-बरोटीवाला हाईवे (NH_21A)सोलन,	हिमाचल प्रदेश
153	इटरनल यूनिवर्सिटी	इटरनल यूनिवर्सिटी, बरू साहिब, जिला-सिरमौर (हि.प्र.)	हिमाचल प्रदेश
154	आई.ई.सी. (भारत शिक्षा केंद्र) विश्वविद्यालय	बददी, सोलनहिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
155	आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी	प्लॉट नं. 5 अटल शिक्षा कुंज ग्राम कालूझंडा पो मंडाल तेल बददी जिला। सोलन एच.पी	हिमाचल प्रदेश
156	इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी	वी.पी.ओ. बाथूतहसील हरोली जिला। ऊना	हिमाचल प्रदेश
157	जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	जिला-सोलन	हिमाचल प्रदेश
158	महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय	अटल शिक्षा कुंज गांव कालूझंडा, बददी जिला। सोलन के पास बरोटीवाला, तहसील-बददी, जिला। सोनल	हिमाचल प्रदेश

159	महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय	ग्राम लाडो, सुल्तानपुर रोड, डाकघर कुमारहट्टी, जिला। सोलन-एचपीएसोलन शून्य	हिमाचल प्रदेश
160	मानव भारती विश्वविद्यालय	ग्राम - लाडो, डाकघर सुल्तानपुर, तहसील एवं जिला, सोलन	हिमाचल प्रदेश
161	शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज	ग्राम - बझोल, पीओ - सुल्तानपुर, जिला - सोलन	हिमाचल प्रदेश
162	श्री साई विश्वविद्यालय	सुंगल, डाकघर: तारागढ़पालमपुर	हिमाचल प्रदेश
163	आईसेक्ट यूनिवर्सिटी	मटवारी चौक, हज़ारीबाग मटवारी, जिला- हजारीबागहजारीबाग	झारखंड
164	एमिटी यूनिवर्सिटी	रांची सिटी कैंपस, निवारणपुर निकटवर्ती ओवर ब्रिज, मेन रोड, रांची	झारखंड
165	अरका जैन विश्वविद्यालय	मोहनपुर, गम्हरिया, जिला- सरायकेला खरसावांमोहनपुर, गम्हरिया, जिला। सरायकेला खरसावां	झारखंड
166	बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय	फरठिया, गढ़वा	झारखंड
167	कैपिटल यूनिवर्सिटी	रांची-पटना मेन रोड, जिला-कोडरमा,	झारखंड
168	दुर्गा सोरेन यूनिवर्सिटी	शिवम ट्रस्ट, बोमपास टाउन, देवघर	झारखंड
169	झारखंड राय विश्वविद्यालय	राजा उलातू, नामकुम, रांची, झारखंडरातू रोड रांची	झारखंड
170	नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय	पोखरी, पीओ-भिलाई पहाड़ी, पीएस- एमजीएम, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	झारखंड
171	राधा गोविंद विश्वविद्यालय	राधा गोविंद नगर, लालकी घाटीलालकी घाटी, रामगढ़-	झारखंड
172	राम कृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन (आरकेडीएफ) विश्वविद्यालय	604, 5वीं मंजिल, गोपाल मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, अरगोड़ा चौक के पास, रांची	झारखंड
173	रामचन्द्र चंद्रवंसी विश्वविद्यालय	नावाडीहकला, पीओ एवं पीएस बिश्रामपुरपलामू	झारखंड
174	साई नाथ विश्वविद्यालय	जिरावर, चंदवे- कुच्चू रोड, पी.ओ. - ओरमांडी जिला. -रांची	झारखंड

175	सरला बिरला यूनिवर्सिटी	बिरला नॉलेज सिटीरांची-पुरुलिया हाईवे, रांची	झारखंड
176	सोना देवी विश्वविद्यालय	कीताडीह, पीओ एवं पीएस घाटशिला उत्तरी मऊभंडार, पूर्वी सिंहभूम	झारखंड
177	श्रीनाथ विश्वविद्यालय	दिंदली, आदित्यपुरजमशेदपुर	झारखंड
178	178 द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी	प्लॉट नंबर 2065, दलादली चौक, सिमलिया, रिंग रोड के पास, रांची-835222, झारखंड रांची	झारखंड
179	उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी	रांची पुरुलिया रोड, गांव- नारायण सोसो, नेरा अंगारा ब्लॉक ऑफिस, अनागर, रांची, झारखंडरांची खूटी रोड, एनएच-75, रांची	झारखंड
180	वाईबीएन विश्वविद्यालय	राजाउलातू, नामकुम, रांची-10 रांची	झारखंड
181	आदिचुंचनगिरि विश्वविद्यालय	परिसर: एनएच-75, टीक्यू- नागमंगला, जिला- मांड्या, बी.जी. नगर-571448 ऑफ-कैंपस: बीजीएस विजनाथम साउथ कैंपस, नगरूरु, दासनपुरा, बेंगलोर उत्तर-562123	कर्नाटक
182	एलायंस यूनिवर्सिटी	चिक्काहागड़ा क्रॉस, चंदापुरा-अनेकल मेन रोड, बेंगलोर	कर्नाटक
183	एमिटी यूनिवर्सिटी	एनएच 648 (पुराना 207), बीरसंद्रा, अलुरुददनहल्ली पोस्ट, देवनहल्ली तालुक, बेंगलुरु ग्रामीण जिला,	कर्नाटक
184	अटरिया यूनिवर्सिटी	एसकेबी कैंपस1स्ट मेन रोड, एजीएस कॉलोनी, आनंदनगर, हेबबल, बेंगलुरु	कर्नाटक
185	अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी	सर्वे नंबर 66, बुरुगुंटे गांव, बिक्कनहल्ली मेन रोड, सरजापुरा, बेंगलुरु	कर्नाटक
186	चाणक्य विश्वविद्यालय	नंबर 29, हरलुरु, देवनहल्ली तालुक, (बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास), बेंगलुरु ग्रामीण	कर्नाटक
187	सीएमआर यूनिवर्सिटी	#2, 3री सी क्रॉस, 6ठी ए मेन, एचईबीआर लेआउट, कल्याणनगर, बेंगलोरद्वितीय ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बंगोलारे	कर्नाटक

188	दयानंद सागर यूनिवर्सिटी	इनोवेशन कैंपस, होसुर मेन रोड, कुडलू गेट, बेंगलुरुकुमारस्वामी लेआउट, बेंगलुरु कर्नाटक	कर्नाटक
189	जी. एम. विश्वविद्यालय	करूर गांव, कसाबा होबली, दावणगेरे जिला	कर्नाटक
190	गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी	जीसीसी हाउस, #340, 5वां मुख्य, इंदिरानगर डबल रोड, पहला चरण, इंदिरानगर, बेंगलुरु	कर्नाटक
191	जेएसएस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	जेएसएस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जेएसएस तकनीकी संस्थान परिसर, मैसूर मैसूर	कर्नाटक
192	खाजा बंदनवाज़ यूनिवर्सिटी	एडमिन ब्लॉक, रौज़ा-ए बुजुर्ग, कालाबुरागी	कर्नाटक
193	किष्किंदा यूनिवर्सिटी	सिटी कैंपस, बल्लारी बिजनेस कॉलेज, सिरुगुप्पा रोड, बल्लारी	कर्नाटक
194	केएलई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी	बी.वी. भूमरड्डी कॉलेज परिसर, विद्यानगर, हुबली	कर्नाटक
195	एम.एस. रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज	यूनिवर्सिटी हाउस, ज्ञानगंगोत्री कैंपस, न्यू बीईएल रोड, एम एस आर नगर, बेंगलोर, कर्नाटक, भारत - 560 054 एम एस आर नगर, बेंगलोर	कर्नाटक
196	पीईएस यूनिवर्सिटी	100 फीट रिंग रोड, बीएसके III स्टेज, बेंगलोर	कर्नाटक
197	प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी	इटगलपुर, राजनकुंटे, येलहंका, बेंगलुरु, 560064राजनकुंटे बेंगलुरु	कर्नाटक
198	राय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी	11वीं माइल गल्लू, डोड्डाबल्लापुर - नेलमंगला रोड, मल्लोहल्ली गांव, कदनूर (पोस्ट), मदुरे (होबली), डोड्डाबल्लापुर तालुक, बेंगलुरु एसएच-74, ऑफ हाईवे 207, डोड्डाबल्लापुर तालुक, बेंगलुरु	कर्नाटक
199	रेवा यूनिवर्सिटी	रुक्मिणी नॉलेज पार्क, कट्टीगेनहल्लीयेलहंका, बेंगलुरु	कर्नाटक
200	आरवी विश्वविद्यालय	आरवीयू प्रशासनिक भवनआरवी विद्यानिकेतन पोस्ट8वां मील, मैसूर रोड, बेंगलुरु	कर्नाटक
201	सप्तगिरि एनपीएस	14/5, चिक्कासंद्रा, हेसरघट्टा मुख्य	कर्नाटक

	विश्वविद्यालय	सड़क, बेंगलुरु	
202	शार्नबासवा विश्वविद्यालय	कलबुर्गी (गुलबर्गी)	कर्नाटक
203	श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर विश्वविद्यालय	मंजुश्री नगर, सत्तूर, धारवाड़- 09एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल कैंपस सत्तूर, धारवाड़	कर्नाटक
204	श्री जगद्गुरु मुरुगराजेंद्र विश्वविद्यालय	एसजेएम कैमस, चित्रदुर्ग	कर्नाटक
205	श्री सत्य साई मानव उत्कृष्टता विश्वविद्यालय	श्री सत्य साई विद्यानिकेतनम परिसर, नवानिहाला, पोस्ट-ओकाली, तालुक-कमालपुर, जिला- कलबुर्गी	कर्नाटक
206	श्रीनिवास विश्वविद्यालय	श्रीनिवास नगर, मुक्का, मेंगलोरकैंपस, श्रीनिवास नगर, मुक्का, सुरथकलमंगलौर	कर्नाटक
207	सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय	पी ओ बॉक्स 27094, #36, लालबाग रोड बेंगलुरु	कर्नाटक
208	ट्रांस-डिसिप्लिनरी स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	74/2, जराकाबंदे कवल, येलहंका वाया अट्टूर पोस्ट बेंगलोर	कर्नाटक
209	विद्याशिल्प विश्वविद्यालय	नंबर 125, बेटेनहल्ली, कुंडना होबली, चप्परकल्लू रोड, बेंगलुरु	कर्नाटक
210	ए.के.एस. विश्वविद्यालय	शेरगंज, सतना	मध्य प्रदेश
211	अभ्युदय विश्वविद्यालय	गरम मगरिया, खंडवा रोड, खरगोन	मध्य प्रदेश
212	अमलतास विश्वविद्यालय	देवास, देवास-उज्जैन राज्य राजमार्ग, बांगर, जिला-देवास	मध्य प्रदेश
213	एमिटी विश्वविद्यालय	महाराजपुरा, ग्वालियर ग्वालियर	मध्य प्रदेश
214	आर्यावर्त विश्वविद्यालय	राष्ट्रीय राजमार्ग-46, झरखेड़ा, तहसील-श्यामपुर, सीहोर	मध्य प्रदेश
215	अवंतिका विश्वविद्यालय	अवंतिका विश्वविद्यालय, विश्वनाथपुरम, लेकोड़ा ग्राम, उज्जैन, मप्र, भारतीय लेकोड़ा ग्राम उज्जैन	मध्य प्रदेश
216	अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय	बायपास रोड, कान्हासैया, तहसील-हुजूर, भोपाल	मध्य प्रदेश
217	भाभा विश्वविद्यालय	एनएच-12, होशंगाबाद, जाटखेड़ी, भोपाल	मध्य प्रदेश
218	चिरायु विश्वविद्यालय	भोपाल-इंदौर हाईवे, बैरागढ़ के पास,	मध्य प्रदेश

		भैंसाखेड़ी	
219	डॉ. सी वी रमन विश्वविद्यालय	ग्राम एवं पोस्ट छैगांव माखन, जिला- खंडवा पोस्ट-छैगांव माखनखंडवा	मध्य प्रदेश
220	डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय	इंदौर देवास बायपास, अरंडिया, इंदौरग्राम- अरंडिया, पोस्ट- झालारिया, इंदौर	मध्य प्रदेश
221	डॉ. प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी	ग्राम दिनारा, करेरा, जिला-शिवपुरी	मध्य प्रदेश
222	एकलव्य विश्वविद्यालय	ओजस्विनी नगर, सागर रोड, दमोह	मध्य प्रदेश
223	जी.एच. रईसोनी विश्वविद्यालय	धोड़ा बोरगांव, ग्राम साईंखेड़ा, तह सौसर, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) तह-सौसर, जिला- छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश
224	ज्ञानोदय विश्वविद्यालय	गाँव- सुवखेड़ा, जिला- नीमच, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
225	ज्ञानवीर विश्वविद्यालय	गाँव- माँ-एमलिया, फोन-20, ब्लॉक- रहतगढ़, सागर	मध्य प्रदेश
226	आई.ई.एस. विश्वविद्यालय	आईईएस कैंपस रतिबाद मुख्य सड़क भोपाल	मध्य प्रदेश
227	आईटीएम विश्वविद्यालय	सिथौली रेलवे स्टेशन के सामने, एनएच- 75, झाँसी रोड, ग्वालियर	मध्य प्रदेश
228	जे.एन.सी.टी. व्यावसायिक विश्वविद्यालय	न्यू चौकसे नगर, लांबाखेड़ा, बेरासिया रोड, भोपाल,	मध्य प्रदेश
229	जागरण लेक्सिटी विश्वविद्यालय	ग्राम पंचायत मुगलिया छापतहसील हुजूर, भोपाल	मध्य प्रदेश
230	जेपी इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	राघोगढ़, गुना मप्र राघोगढ़ जिला, गुना	मध्य प्रदेश
231	एलएनसीटी विश्वविद्यालय	जेके टाउन सर्वधर्म सी सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल	मध्य प्रदेश
232	एलएनसीटी विद्यापीठ विश्वविद्यालय	एलएनसीटी कैम्पस, ग्राम-कनाडिया, कनाडिया रोड, इंदौर	मध्य प्रदेश
233	मध्यांचल व्यावसायिक विश्वविद्यालय	पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैंपस, रातीबड़, भोपाल	मध्य प्रदेश
234	महाकौशल विश्वविद्यालय	अंठाखेड़ा, चरगवां रोड, तिलवारा, जबलपुर	मध्य प्रदेश
235	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय	ग्राम-करौंदी, डाकघर-महनेर, तहसील- ढीमरखेड़ा, शहर-ढीमरखेड़ा, जिला-कटनी	मध्य प्रदेश

236	मालवांचल विश्वविद्यालय	इंडेक्स सिटी, एनएच-59ए, नेमावर रोड, खुंडेल के पास, जिला-इंदौर	मध्य प्रदेश
237	मंदसौर विश्वविद्यालय	महोड नीमच बायपास, रेवास देवड़ा, रोड, मंदसौर एसएच-31, मंदसौर	मध्य प्रदेश
238	मंगलायतन विश्वविद्यालय	एनएच-30, मंडला रोड, श्रद्धा देवी मंदिर के पास, रिचार्ड-बरेला, जबलपुर	मध्य प्रदेश
239	मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी	ग्राम गादिया एवं रत्नाखेड़ी, ब्लॉक-बिलकिसगंज सीहोर	मध्य प्रदेश
240	मेडी-कैम्पस विश्वविद्यालय	ए बी रोड, पिगडम्बर, राऊ, इंदौर पिगडम्बर, राऊ इंदौर	मध्य प्रदेश
241	ओरिएंटल यूनिवर्सिटी	रेवती रेंज गेट नंबर 1 के सामने, पोस्ट श्री अरबिंदो, जाख्या, इंदौर पोस्ट अरबिंदो, सांवेर रोड, जाख्या, इंदौर	मध्य प्रदेश
242	पी.के. विश्वविद्यालय	ग्राम-थानरा, तह-करेरा, एनएच-27, जिला-शिवपुरी	मध्य प्रदेश
243	पीपुल्स यूनिवर्सिटी	पीपुल्स कैम्पस, भानपुर, भोपाल (म.प्र.)	मध्य प्रदेश
244	प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी	ग्राम रिंगनोदिया, इंदौर-उज्जैन, इंदौर	मध्य प्रदेश
245	रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय (पूर्व में एआईएसईसीटी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था)	चिकलोद रोड, बंगरासिया चौराहा के पास, भोपाल	मध्य प्रदेश
246	पुनर्जागरण विश्वविद्यालय	ग्राम रेवती, अरबिंदो अस्पताल के पीछे, सांवेर-रोड, इंदौर (एमपी) 51/1/1 ग्राम रेवती, सांवेर रोड, अरबिंदो अस्पताल के पीछे, इंदौर	मध्य प्रदेश
247	आरकेडीएफ विश्वविद्यालय	एयरपोर्ट बाय पास रोड, गांधी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश गांधी नगर भोपाल	मध्य प्रदेश
248	सेज विश्वविद्यालय	कैलोद करताल राऊ बायपास इंदौर-इंदौर-देवास बायपास रोड, राऊ, इंदौर	मध्य प्रदेश
249	एसएएम ग्लोबल यूनिवर्सिटी	अगरिया चौपड़ा, बिलखिरिया, भोपाल	मध्य प्रदेश
250	संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी	कटारा एक्सटेंशन, सहारा बाईपास रोड, भोपाल	मध्य प्रदेश

251	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	सरदार पटेल नॉलेज सिटी, डोंगरिया (वारासिवनी रोड), पोस्ट-चिल्लौद, तहसील-लालबुर्रा, जिला-बालाघाट (म.प्र.) वारासिवनी रोड, डोंगरियाबालाघाट	मध्य प्रदेश
252	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय	एनएच-12, होशंगाबाद रोड जाटखेड़ी, भोपाल	मध्य प्रदेश
253	स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय	स्कोप कैंपस, एनएच-12, भैरोपुर, मिसरोद के पास, होशंगाबाद रोड, भोपाल	मध्य प्रदेश
254	श्री कृष्ण विश्वविद्यालय	एनएच-86ग्राम चौका सागर रोड छतरपुर एम.पी.ग्राम चौका, सागर रोड, छतरपुर	मध्य प्रदेश
255	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय	उज्जैन रोड, इंदौर (मध्य प्रदेश) इंदौर मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
256	शुभम विश्वविद्यालय	सेमरा सैय्यद, तहसील-हुजूरजिला-भोपाल	मध्य प्रदेश
257	श्री अरबिंदो विश्वविद्यालय	एसएआईएमएस परिसर, इंदौर-उज्जैन राज्य राजमार्ग, एमआर-10 क्रॉसिंग के पास, सांवेर रोड, इंदौर	मध्य प्रदेश
258	श्री सत्य साई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय	भोपाल-इंदौर रोड, पचामा ऑयल फेड प्लांट के सामने, पचामा सीहोर	मध्य प्रदेश
259	स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय	एन.एच.26, नरसिंहपुर रोड, सिरोंजा सागर	मध्य प्रदेश
260	सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज (एसयूएस)	सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, बड़ा बांगड़ा, सुपर कॉरिडोर, एयरपोर्ट के पास, इंदौरसुपर कॉरिडोर, इंदौर	मध्य प्रदेश
261	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय	लटेरी रोड सिरोंजा (गोशाला के पास) जिला- विदिशा	मध्य प्रदेश
262	विक्रान्त विश्वविद्यालय	ग्राम- रतवई, चितौरा रोड, बड़ा गाँव, मोरार	मध्य प्रदेश
263	वीआईटी भोपाल विश्वविद्यालय	भोपाल-इंदौर हाईवे, कोथरीकलां, सीहोरकोथरीकलां, सीहोर, भोपाल	मध्य प्रदेश
264	अजिंक्य डी.वाई. पाटिल विश्वविद्यालय	चारहोली बुद्रुकवाया लोहेगांव, पुणे	महाराष्ट्र

265	अलार्ड विश्वविद्यालय	अलार्ड नॉलेज पार्क, सर्वे नंबर 47 और 50, मारुंजी, राजीव गांधी पार्क के पास, आईटी पार्क, हिंजेवाडी, पुणे	महाराष्ट्र
266	एमिटी विश्वविद्यालय	मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, भाटान, पोस्ट - सोमाथने, पनवेल, मुंबई	महाराष्ट्र
267	अथर्व विश्वविद्यालय	एस.एन. 263, प्लॉट नंबर 8-12, मलाड-मार्वे रोड, चारकोप, नाका, मलाड (पश्चिम), मुंबई	महाराष्ट्र
268	एटलस स्किलटेक विश्वविद्यालय	टावर 1, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), एलबीएस मार्ग, कुर्ला पश्चिम, मुंबई	महाराष्ट्र
269	छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय	शेडुंग टोल प्लाजा के पास, पुरानी मुंबई-पुणे हाईवे, पनवेल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, पुरानी मुंबई पुणे हाईवे, पनवेल, नवी मुंबई	महाराष्ट्र
270	डी वाई पाटिल अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	सेक्टर नंबर 29, प्राधिकरण, अकुर्डी, पुणे, अकुर्डी, पुणे	महाराष्ट्र
271	डी. वाई. पाटिल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय	तलसंडे कोल्हापुर	महाराष्ट्र
272	डी. वाई. पाटिल विश्वविद्यालय	क्रमांक 124 और 126, अंबी, ताल-मावल, एमआईडीसी रोड, तलेगांव दाभाडे, पुणे	महाराष्ट्र
273	डीईएस पुणे विश्वविद्यालय	पुणे मुकुंददास लोहिया अकादमिक कॉम्प्लेक्स, बीएमसीसी, शिवानीनगर, तालुका-हवेली, पुणे	महाराष्ट्र
274	डॉ. डी.वाई. पाटिल ज्ञान प्रसाद	संत तुकाराम नगर, पिंपरी चिंचवड, सर्वे नंबर 180/2/1 और 180/2/2, तालुका हवेली, पुणे और सर्वे नंबर 87/1, 88, 138/1ए, 138/1बी और 62/4/3, ताथवडे, पुणे	महाराष्ट्र
275	डॉ. पी. ए. इनामदार विश्वविद्यालय	के.बी. हिदायतुल्लाह रोड, आजम कैपस, कैप, पुणे	महाराष्ट्र
276	डॉ. विश्वनाथ कराड एमआईटी विश्व शांति विश्वविद्यालय	क्रमांक-124, पौड रोड, कोथरुड, पुणे	महाराष्ट्र
277	फ्लेम विश्वविद्यालय	जीएटी नंबर 1270 ग्राम लावले तालुका मुलशी, पुणे	महाराष्ट्र

278	जी.एच.रायसोनी विश्वविद्यालय	अंजनगांव बारी रोड, अमरावती महाराष्ट्र बारी रोड,अमरावती	महाराष्ट्र
279	इंदिरा विश्वविद्यालय	इंदिरा तपस्या परिसर पुणे मुख्यालय, सर्व नंबर 85/5ए, न्यू पुणे-मुंबई हाईवे तथावडे, तालुका, मुलशी, पुणे।	महाराष्ट्र
280	आईटीएम स्किल्स विश्वविद्यालय	प्लॉट 24 और 25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, खारघर, नवी मुंबई	महाराष्ट्र
281	जेएसपीएम विश्वविद्यालय	गुट संख्या 719/1 और 719/2, वाघोली, तालुका, हवेली, जिला पुणे	महाराष्ट्र
282	एमजीएम विश्वविद्यालय	एमजीएम कैंपस एन6, सिडको,औरंगाबाद	महाराष्ट्र
283	एमआईटी कला डिजाइन और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	राजबाग, पुणे सोलापुर हाईवे, हडपसर के बगल में, हडपसर के बगल में, लोनी कालभोर, पुणे	महाराष्ट्र
284	एमआईटी विश्वप्रयाग विश्वविद्यालय, सोलापुर	ग्राम केगांव, सोलापुर-पुणे राजमार्ग, तालुका उत्तर सोलापुर, जिला सोलापुर	महाराष्ट्र
285	नयनता विश्वविद्यालय	अंतरिम परिसर, सर्व क्रमांक 58 और 59/4, पौड रोड, बावधन, खुर्द, पुणे	महाराष्ट्र
286	एनआईसीएमएआर विश्वविद्यालय	बिल्डिंग नं./प्लॉट नं. 25/1 एनआईए पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी तालुका हवेली, जिला पुणे	महाराष्ट्र
287	पिंपरी चिंचवाड विश्वविद्यालय	गुट संख्या-44, 46, 48, 49 और 50, राज्य तालुका मावल, जिला-पुणे	महाराष्ट्र
288	रामदेवबाबा विश्वविद्यालय	रामदेव टेकाडी, काटोल रोड, नागपुर	महाराष्ट्र
289	संदीप विश्वविद्यालय	त्र्यंबक रोड महिरावणी, नासिक, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
290	संजय घोड़ावत विश्वविद्यालय	ए/पी. अतीग्रे, ताल. हटकंगला, जिला. कोल्हापुरजिला-कोल्हापुर	महाराष्ट्र
291	संजीवनी विश्वविद्यालय	गाट संख्या 24 और 25, कोपरगांव, तालुका कोपरगांव, जिला-अहमदनगर	महाराष्ट्र
292	सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार कार्यालय, 101, आर्यभट्ट बिल्डिंग, सोमैया विद्याविहार	महाराष्ट्र

		विश्वविद्यालय विद्याविहार (पूर्व), मुंबई	
293	स्पाइसर एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय	औंध रोड, गणेशखिंड पोस्ट, पुणे	महाराष्ट्र
294	श्री बालाजी विश्वविद्यालय, पुणे	क्रमांक 55/2-7, ताथावडे, मुंबई-बैंगलोर बाईपास के पास, पुणे	महाराष्ट्र
295	सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (पूर्व में सिम्बायोसिस स्किल एंड ओपन यूनिवर्सिटी)	किवाले, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे से सटे, पुणे - 412 101 पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे से सटे, ताल- हवेली, पुणे	महाराष्ट्र
296	एसवीकेएम एनएमआईएमएस ग्लोबल विश्वविद्यालय	क्र.सं. 499/1 से 4-ए/1 और 499/1 से 4-ए/2, गुरुद्वारा के पीछे, मुंबई-आगरा राजमार्ग, तालुका धुले, जिला-धुले	महाराष्ट्र
297	यूनिवर्सल एआई विश्वविद्यालय	ग्राम कुशीवल, कुशिनीली, तालुका कर्जत	महाराष्ट्र
298	यूनिवर्सल स्किलटेक विश्वविद्यालय	वसई, पुण्यधाम के पास, कमान भिवानी रोड, वसई	महाराष्ट्र
299	विजयभूमि विश्वविद्यालय	परिसर: ग्राम जामरुंग, तहसील कर्जत, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र तालुका कर्जत, जिला रायगढ़	महाराष्ट्र
300	विश्वकर्मा विश्वविद्यालय	सर्वे नंबर 2,3,4 लक्ष्मीनगर, कोंढवा (बीके.) पुणे लक्ष्मी नगर कोंढवा बुद्रुक, पुणे	महाराष्ट्र
301	एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी	घरी, अवांग लीकाई, जिला- इम्फाल पश्चिम	मणिपुर
302	बीर टिकेन्द्रजीत विश्वविद्यालय	साउथ व्यू, कांचीपुर, इम्फाल पश्चिम मणिपुर	मणिपुर
303	खोंगनांगथाबा विश्वविद्यालय	खुरई कोन्सम लीकाई, इम्फाल पूर्वी जिला	मणिपुर
304	मणिपुर अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय	एमआईयू प्लेस, घड़ी, एयरपोर्ट रोडइम्फाल	मणिपुर
305	सीएमजे विश्वविद्यालय	जीएस रोड, जोराबाट, राइट-भोई जिला, मेघालय, री-भोई जिला, मेघालय	मेघालय

306	महाराष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय विश्वविद्यालय (पूर्व में प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय)	वर्तमान कार्यालय: नोंगशिलियांग, नोंगथिम्मई, शिलांग, मेघालय आगामी स्थायी परिसर: मावाकाशियांग, गांव- उमरोह, शिलांग।	मेघालय
307	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	13वीं मील, जी एस रोड, कानापारा, जिला। री-भोई	मेघालय
308	मार्टिन लूथर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी	ब्लॉक 1, डोंगकतीह, नोंगरा, शिलांग, मेघालय 793006 नोंगरा, शिलांग, मेघालय	मेघालय
309	नॉर्थ ईस्ट एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी	खलीहतिर्शी, पी.ओ. थड्लास्केन, पश्चिम जैतिया हिल्स जिला	मेघालय
310	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय	पाहवा विले, धनखेती सर्कुलर रोड, तुरा बाजार शिलांग	मेघालय
311	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेघालय	टेक्नो सिटी, क्लिंग रोड 9वीं मील, बारिडुआ जिला। री-भोई	मेघालय
312	विलियम कैरी विश्वविद्यालय	नोंगमेनसोंग, उमकदैत, सीमा सड़क संगठन के पास, शिलांग - 793019, मेघालय - भारत उमकदैत, शिलांग	मेघालय
313	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय	डर्टलेंग नॉर्थ, आइजोल, मिजोरम	मिजोरम
314	आईसीएफआईआई विश्वविद्यालय	छठा मील, सोविमा गांव, कोहिमा रोड, दीमापुर	नगालैंड
315	नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी	एंकर कॉम्प्लेक्स, ईस्ट ब्लॉक बर्मा कैंप, पोस्ट बॉक्स-109 दीमापुर	नगालैंड
316	सेंट जोसफ विश्वविद्यालय	वर्जिन टाउन, खेकिहो-झिमोमी रोड, इकिशे मॉडल विलेज, थाना- दिफूपर, दीमापुर	नगालैंड
317	ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी	सोडजुल्हौ गांव, पीओ-एआरटीसी, एनएच- 39, दीमापुर, नागालैंड सोडजुल्हौ गांव, पीओ-एआरटीसी एनएच-29, दीमापुर	नगालैंड
318	एपीएच विश्वविद्यालय	एपीइएक्स भवन, पहल, भुवनेश्वर-कट्टक एनएच16 भुवनेश्वर-कट्टक रोड, एनएच-5 भुवनेश्वर	ओडिशा

319	एसबीएम विश्वविद्यालय	शिक्षा विहार, डाकघर-भोला, चंदका, जिला-खुर्धा, भुवनेश्वर	ओडिशा
320	बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी	आईडीसीओ प्लॉट-2, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गोथापटना, भुवनेश्वर, ओडिशा इंस्टीट्यूशनल एरिया, VIII-गोथापटना, पी.एस-चंदका, भुवनेश्वर	ओडिशा
321	सी. वी. रामन ग्लोबल यूनिवर्सिटी	बिद्यानगर, महुरा, जांला, भुवनेश्वर	ओडिशा
322	सेंचुरियन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय	एटी: अल्लूरी नगर, डाकघर: आर.सीतापुर, वाया: उप्पलाडा, परलाखेमंडी, गजपति, ओडिशाविया-उप्पलाडा, परलाखेमंडी नल	ओडिशा
323	डीआरआईईएमएस विश्वविद्यालय	कैरापारी, पी.ओ. कोटसाही, तहसील टांगी, जिला कटक, ओडिशा	ओडिशा
324	गांधी संस्थान प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय ओडिशा, गुनुपुर (जीआईईटी विश्वविद्यालय)	गुनुपुर, जिला. रायगढ़,ओडिशा	ओडिशा
325	एनआईएसटी विश्वविद्यालय	इंस्टीट्यूट पार्क, पल्लूर हिल्स, जिला-गंजम	ओडिशा
326	सिलिकॉन विश्वविद्यालय	सिलिकॉन हिल्स, पाटिया, जिला- खोर्दा, भुवनेश्वर	ओडिशा
327	श्री श्री विश्वविद्यालय	वार्ड नंबर - 3, संधापुर, गोदी साही, कटक विधाधरपुर, ओडिशा 754006 गोदी साही, वार्ड नंबर 3 कटक ओडिशा।	ओडिशा
328	एक्सआईएम विश्वविद्यालय	प्लॉट नंबर: 12 (ए) निजिगाडा कुर्की, हरिराजपुर, जिला-पुरी	ओडिशा
329	आदेश विश्वविद्यालय	एनएच-7, बरनाला रोड, भुच्चो, बठिंडा, बठिंडा	पंजाब
330	अकाल विश्वविद्यालय	तलवंडी साबो जिला बठिंडा	पंजाब
331	एमटी विश्वविद्यालय	सेक्टर-82 अल्फा, आईटी सिटी, एसएस नगर, मोहाली	पंजाब
332	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय	NH-95, चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे, घडुआं, मोहाली, पंजाब.पंजाब	पंजाब

333	चितकारा विश्वविद्यालय	चंडीगढ़-पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग, गांव झांसला, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला	पंजाब
334	सीटी विश्वविद्यालय	वीपीओ-सिधवां खुर्द, चौकी मान, तहसील-जगराओं, लुधियानालुधियाना	पंजाब
335	डी.ए.वी. विश्वविद्यालय	ग्राम सरमस्तपुर, जालंधर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग, जालंधरसमस्तपुर गांव, जालंधर, भारत	पंजाब
336	देश भगत विश्वविद्यालय	देश भगत यूनिवर्सिटी, गांव सौंटी, तहसील अमलोह, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब 147203 मंडी गोबिंदगढ़ (पंजाब)	पंजाब
337	जीएनए विश्वविद्यालय	श्री हरगोबिंदगढ़, फगवाड़ा-होशियारपुर रोड, फगवाड़ा, जिला। कपूरथला	पंजाब
338	गुरु काशी विश्वविद्यालय	सरदूलगढ़ रोड, तलवंडी साबो बठिंडा, पंजाब	पंजाब
339	खालसा विश्वविद्यालय	जी.टी. रोड, अमृतसर	पंजाब
340	लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी	चंडीगढ़-जालंधर एनएच 344ए, चंडीगढ़ से 40 किमी और चंडीगढ़-रोपड़-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोपड़ से 5 किमी दूर जिला शहीद भगत सिंह नगर	पंजाब
341	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी	जालंधर-दिल्ली जी.टी. रोड, लुधियाना, फगवाड़ा, जिला। कपूरथला	पंजाब
342	प्लाक्ष विश्वविद्यालय	पंजाब, ब्लॉक बी, सेक्टर-101, अल्फा, आईटी सिटी, एसएसएस नगर, मोहाली	पंजाब
343	रयात बाहरा विश्वविद्यालय	वीपीओ - सहौरां, तहसील - खरड़ जिला। मोहालीपंजाब	पंजाब
344	आरआईएमटी विश्वविद्यालय	विपरीत फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, सिरहिंद साइड, मंडी गोबिंदगढ़	पंजाब
345	संत बाबा भाग सिंह विश्वविद्यालय	गांव खियाला, पीओ पाधियाना, डियात जालंधर, पंजाब पीओ-पाधियाना जिला-जालंधर	पंजाब
346	श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्व विश्वविद्यालय	फतेहगढ़ साहिब	पंजाब

347	श्री गुरु राम दास स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	श्री गुरु राम दास स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मेहता रोड, वल्लाहश्री अमृतसर	पंजाब
348	एमिटी विश्वविद्यालय	एसपी-1, कांत कलवार, रीको औद्योगिक क्षेत्र, एनएच-11सी, जयपुर, राजस्थानअजमेर रोड, जयपुर	राजस्थान
349	एपेक्स यूनिवर्सिटी	जयपुर, राजस्थान	राजस्थान
350	भगवंत विश्वविद्यालय	सीकर रोड, अजमेर,	राजस्थान
351	भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय	प्लॉट नंबर एसआई/आईएनएसटी/001, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ोन, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, ऑफ अजमेर रोड, जयपुर	राजस्थान
352	भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय	महाराणा प्रताप स्टेशन रोड, सेवाश्रम सर्किल, उदयपुर	राजस्थान
353	कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी	अलनिया, एनएच-52, झालावाड़ रोड, कोटा, राजस्थान	राजस्थान
354	डॉ के एन मोदी विश्वविद्यालय	क्षेत्र फेज़-2, पोस्ट बॉक्स क्र. 01, नेवई, जिला टोंक	राजस्थान
355	गीतांजलि विश्वविद्यालय	गीतांजलि मेडिसिटी, हिरन मगरी एक्सटेंशन,	राजस्थान
356	होम्योपैथी विश्वविद्यालय	सायपुरा, सांगानेर जयपुर	राजस्थान
357	आईसीएफआई विश्वविद्यालय	खसरा क्र. 505/1 ग्राम जामडोली, आगरा रोड जयपुर-302 031 राजस्थान ग्राम: जामडोली, आगरा रोड जयपुर	राजस्थान
358	आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय	1, प्रभु दयाल मार्ग, सांगानेर हवाई अड्डे के पास, जयपुर, सांगानेर हवाई अड्डे के पासजयपुर	राजस्थान
359	जे.ई.सी.आर.सी विश्वविद्यालय	प्लॉट नंबर आईएस-2036 से 2039, रामचन्द्रपुरा औद्योगिक क्षेत्र, विधानी, सीतापुरा एक्सटेंशन, जयपुररामचन्द्रपुरा, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र एक्सटेंशन, महात्मा गांधी अस्पताल के पास, विधानी गांव, जयपुर	राजस्थान
360	जगन्नाथ विश्वविद्यालय	एनएच-12, चाकसू बाईपास, टोंक रोड, तेशिल-चाकसू, जयपुर	राजस्थान
361	जय मिनेश आदिवासी	आईआईआईटी के सामने, राणपुर, कोटा,	राजस्थान

	विश्वविद्यालय		
362	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	जयपुर-आगरा बाईपास, नए आरटीओ कार्यालय के पास, जयपुरजगतपुरा	राजस्थान
363	जयोति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय	वेदांत ज्ञान वैली विलेज झरना महिला-जोबनेर लाइन रोडजबनेर, जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस वे, जयपुर	राजस्थान
364	जेके लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय	ललिया का वास पी.ओ. महापुरा, अजमेर रोडजयपुर	राजस्थान
365	जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	नारनाडी, झंवर रोड, बोरानाडा जोधपुर	राजस्थान
366	लॉर्ड्स विश्वविद्यालय	अलवर-तिजारा-दिल्ली राजमार्ग, चिकानी, अलवर	राजस्थान
367	माधव विश्वविद्यालय	माधव हिल्स, बनास ब्रिज टोल के सामने एनएच-14, आबू रोडजिला-सिरोही	राजस्थान
368	महाराज विनायक वैश्विक विश्वविद्यालय	ढांड, आमेर, जयपुर	राजस्थान
369	महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय, जयपुर	मुंडियारामसर, बिंदायका औद्योगिक क्षेत्र के पास, जयपुर	राजस्थान
370	महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	रीको इंस्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुर, टोंक रोड, जयपुर-302 022 राजस्थान	राजस्थान
371	महात्मा ज्योति राव फूले विश्वविद्यालय	एसपी-2 और 3, कांत कलवार, रीको औद्योगिक क्षेत्र, एनएच-8 अचरोल के पास, जयपुर	राजस्थान
372	मणिपाल विश्वविद्यालय	मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर, देहमी कलां, जयपुर-अजमेर एक्सप्रेसवे से दूर, जयपुर, (राजस्थान) राजस्थान 303007.जयपुर-अजमेर एक्सप्रेसजयपुर	राजस्थान
373	मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय	ग्राम - बुझावर, तहसील लूणी, जोधपुर - 342802 (राज.)जोधपुर	राजस्थान
374	मेवाड़ विश्वविद्यालय	एनएच-79 गंगरार,चित्तौड़गढ़	राजस्थान
375	मोदी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	लक्ष्मणगढ़जिला-सीकर राजस्थान	राजस्थान

376	एनआईआईटी विश्वविद्यालय	एनएच-08, दिल्ली-जयपुर हाईवे, नीमराना जिला अलवर राजस्थान नीमराना, जिला अलवर	राजस्थान
377	एनआईएमएस विश्वविद्यालय	एनएच-11 सी, जयपुर- दिल्ली हाईवे, जयपुर, राजस्थान (एनएच-11सी), जयपुर	राजस्थान
378	निर्वाण विश्वविद्यालय	एनएच-21, ग्राम झार, बस्सी के पास, मुख्य आगरा रोड, जयपुर	राजस्थान
379	ओपीजेएस विश्वविद्यालय	वीपीओ - रावतसर कुंजला, सांखू फोर्ट झुंझुनू रोड के पास	राजस्थान
380	पैसिफिक उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी (पीएचईआर)	एयरपोर्ट रोड, प्रताप नगर एक्सटेंशनदेबारी, उदयपुर शून्य	राजस्थान
381	पैसिफिक मेडिकल विश्वविद्यालय	भीलो का बेदला, बाई पास एनएच-27, उदियापुर	राजस्थान
382	पूर्णिमा विश्वविद्यालय	आईएस-2027-31, पी.ओ-विधान वाटिका, रामचन्द्रपुरा, सीतापुरा एक्सटेंशन, जयपुरजयपुर, राजस्थान	राजस्थान
383	प्रताप विश्वविद्यालय	प्रताप विश्वविद्यालय, सुंदरपुरा (चंदवाजी), दिल्ली-मुंबई हाईवे, जयपुर, राजस्थान-303104	राजस्थान
384	आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय	आरएनबी ग्लोबल सिटी गंगानगर रोडबीकानेर	राजस्थान
385	रैफल्स विश्वविद्यालय	जापानी जोन, एमएच-48, नीमराना, अलवर, राजस्थान जिला: अलवर, नीमराना	राजस्थान
386	साई तिरुपति विश्वविद्यालय	आम्बुआ रोड ग्राम उमर्दा, गिरवा उदयपुर	राजस्थान
387	संगम विश्वविद्यालय	एनएच.79, भीलवाड़ा चित्तौड़ पासचित्तौड़ रोड, भीलवाड़ा, राजस्थान	राजस्थान
388	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाला विश्वविद्यालय	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाला विश्वविद्यालय, विद्यानगरी, झुंझुनू बिसाऊ रोड, चुडेला, जिला - झुंझुनू, राजस्थान -333001 चुडेला, जिला, - झुंझुनू	राजस्थान
389	श्री कल्लाजी वैदिक	कामधज नगर, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़	राजस्थान

	विश्वविद्यालय		
390	श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय	7 एसटीजी, सूरतगढ़ रोड, हनुमानगढ़ जंक्शन, पीलीबंगन	राजस्थान
391	श्रीधर विश्वविद्यालय	पिलानी-चिरावा रोड, पिलानी	राजस्थान
392	श्याम विश्वविद्यालय	देहला-डीडवाना, तहसील लालसोट, जिला दौसा, राजस्थानलालसोट, जिला-दौसा	राजस्थान
393	सिंघानिया विश्वविद्यालय	पचेरी बाड़ी जिला झुंझुनू	राजस्थान
394	सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय	भटेवर, उदियापुर	राजस्थान
395	सनराइज यूनिवर्सिटी	बागड़ राजपूत टेक रामगढ़, अलवर राजस्थान	राजस्थान
396	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय	महल, जगतपुरा, जयपुरजयपुर	राजस्थान
397	टांटिया विश्वविद्यालय	रीको बस स्टैंड के पास हनुमानगढ़ रोड श्री गंगानगर	राजस्थान
398	इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय	जयपुर, राजस्थान	राजस्थान
399	प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	वाटिका, तहसील-सांगानेर, जयपुर	राजस्थान
400	विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी	सेक्टर 36, सिस्वावास, एनआरआई रोड जगतपुरा जयपुर	राजस्थान
401	मेधावी कौशल विश्वविद्यालय, सिक्किम	सिंगताम परिसर, टोपाखानी, लोअर चिसोपानी, सिंगताम बाजार, सिंगताम, जिला- पूर्वी सिक्किम	सिक्किम
402	श्री रामासामी स्मारक विश्वविद्यालय, सिक्किम	एसआरएम विश्वविद्यालय, सिक्किम, 5वां मील, ताडोंग, गंगटोक, पूर्वी सिक्किम, ताडोंग, रानीपूल, डाकघर, गंगटोक	सिक्किम
403	सिक्किम अल्पाइन विश्वविद्यालय (पूर्व में ईआईआईएलएम विश्वविद्यालय)	कामरांग, नामची, जिला- दक्षिण सिक्किम	सिक्किम
404	सिक्किम वैश्विक तकनीकी विश्वविद्यालय	लिंक रोड, भूटिया बस्ती, जिला नामची, रिलायंस के सामने	सिक्किम
405	सिक्किम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	डाकघर, श्रीबादम, डाकघर कलुक, पश्चिम सिक्किम सिक्किम-737121	सिक्किम

406	सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय	5वां माइल ताडोंग, गंगटोक, पूर्वी सिक्किम	सिक्किम
407	सिक्किम व्यावसायिक विश्वविद्यालय (पूर्व में विनायक मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय)	एनएच 31-ए ताडोंग, गंगटोक, पूर्वी सिक्किम	सिक्किम
408	सिक्किम कौशल विश्वविद्यालय	नामथांग, नामथांग बाजार, दक्षिण सिक्किम,	सिक्किम
409	आईसीएफएआई विश्वविद्यालय सिक्किम	(आईसीएफएआई), सिक्किम, रंका रोड, लोअर सिची, गंगटोक	सिक्किम
410	धनलक्ष्मी श्रीनिवासन विश्वविद्यालय	समयपुरम तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु
411	जेप्पियार विश्वविद्यालय	राजीव गांधी सलाई, चेन्नई	तमिलनाडु
412	जॉय विश्वविद्यालय	राजा नगर, अलंगानेरी, वडक्कंगुलम, राधापुरम तालुक, तिरुनेलवेली जिला	तमिलनाडु
413	साई विश्वविद्यालय	वन हब चेन्नई, पर्यानूर ओल्ड महाबलीपुरम रोड, चेन्नई	तमिलनाडु
414	शिव नादर विश्वविद्यालय	राजीव गांधी सलाई (ओएमआर) कलावक्कम	तमिलनाडु
415	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	एट्टायपुरम, थूथुक्की जिला,	तमिलनाडु
416	तक्षशिला विश्वविद्यालय	ऑंगुर (पोस्ट), टिंडीवनम तालुक, विल्लुपुरम जिला	तमिलनाडु
417	अनुराग विश्वविद्यालय	वेंकटपुर (वी) घाटकेसर (एम) मेडचल-मलकाजीगिरी (जिला), हैदराबाद	तेलंगाना
418	गुरु नानक विश्वविद्यालय	इब्राहिमपटनम, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद	तेलंगाना
419	कावेरी विश्वविद्यालय	गौराराम (वी), वारगल (एम), सिद्दीपेट जिला	तेलंगाना
420	महिंद्रा विश्वविद्यालय	बहादुरपल्ली (वी), कुदबुल्लापुर मंडल, मदचल मल्काजगिरी में	तेलंगाना
421	मल्ला रेड्डी विश्वविद्यालय	मैसम्मागुडा, धुलापल्ली, पोस्ट वाया कोमपल्ली, मेडचल- मल्काजगिरी जिला	तेलंगाना

422	एमएनआर विश्वविद्यालय	एमएनआर नगर, फसलवाड़ी, संगारेड्डी, जीआर। हैदराबाद	तेलंगाना
423	एनआईसीएमएआर निर्माण अध्ययन विश्वविद्यालय	जगमगुडा शमीरपेट, पी.ओ. का सर्वे नंबर 371-384, 389 और 390। - अलियाबाद, मेडचल-मलकजगिरी जिला, हैदराबाद	तेलंगाना
424	एस.आर. विश्वविद्यालय	अनंतसागर (वी), हसनपर्थी (एम), वारंगल	तेलंगाना
425	श्रीनिधि विश्वविद्यालय	यमनामपेट (गांव), घटकेसर (मंडल), मेडचल-मलकजगिरी जिला, हैदराबाद	तेलंगाना
426	वॉक्ससेन विश्वविद्यालय	वॉक्ससेन कैपस, कामकोले, सदाशिवपेट, मेडक जिला	तेलंगाना
427	माता त्रिपुरा सुंदरी मुक्त विश्वविद्यालय	1.नहीं. कॉलोनी, चंद्रपुर कॉलोनी, वीटीसी इंदिरानगर, जिला गोमती	त्रिपुरा
428	टेकनो इंडिया विश्वविद्यालय	महेशखोला, ग्राम आनंदनगर, थाना-अमताली, जिला-पश्चिम त्रिपुरा,	त्रिपुरा
429	आर्यवर्त अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	तिलथल, धर्मनगर, उत्तरी त्रिपुरा	त्रिपुरा
430	धम्मदीप अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय	पी.ओ. बिष्णुपुर, मनु बंकुल, सबरूम, दक्षिण त्रिपुरा	त्रिपुरा
431	आईसीएफआई विश्वविद्यालय	अगरतला-सिमना रोड, डाकघर: कमलघाट, पश्चिम त्रिपुरा	त्रिपुरा
432	अग्रवान हेरिटेज विश्वविद्यालय	बमरौली कटारा, फतेहाबाद रोड, आगरा	उत्तर प्रदेश
433	एमिटी विश्वविद्यालय	प्लॉट नंबर 4, गौतम बुद्ध नगर, सेक्टर-125, नोएडा, उत्तर प्रदेश पिन 201313 गौतम बुद्ध नगर	उत्तर प्रदेश
434	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय	55, बाबू बनारसी दास नगर, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
435	बरेली अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज परिसर, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली	उत्तर प्रदेश
436	बेनेट विश्वविद्यालय	प्लॉट नंबर 8-11, टेक जोन II, ग्रेटर नोएडाटेक जोन II, ग्रेटर नोएडा	उत्तर प्रदेश
437	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय	लखनऊ-कानपुर राजमार्ग-27, उन्नाव,	उत्तर प्रदेश

438	एरा विश्वविद्यालय	सरफराजगंज, हरदोई रोड, लखनऊ हरदोई रोड लखनऊ	उत्तर प्रदेश
439	एफ.एस. विश्वविद्यालय	NH-19, बालाजी मंदिर के पास, शिकोहाबाद, जिला फ़िरोज़ाबाद,	उत्तर प्रदेश
440	फ्यूचर विश्वविद्यालय	बरेली-लखनऊ रोड, फरीदपुर के पास, बरेली	उत्तर प्रदेश
441	जीएलए विश्वविद्यालय	परिसर: 17 किमी स्टोन एनएच#2, दिल्ली मथुरा हाईवे, पो-चौमुहान, मथुरा। परिसर के बाहर: प्लॉट संख्या 15 ए, नॉलेज पार्क-2, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (यूजीसी अनुमोदित)	उत्तर प्रदेश
442	जी.एस. विश्वविद्यालय	एनएच-9, पिलखुवा, जिला। हापुड	उत्तर प्रदेश
443	गलगोटिया विश्वविद्यालय	प्लॉट नंबर 2, सेक्टर 17 ए, यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश यमुना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्धनगर	उत्तर प्रदेश
444	एचआरआईटी विश्वविद्यालय	8वां किमी स्टोन, दिल्ली-मेरठ रोड, एचआरआईटी कैंपस, गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
445	आईएफटीएम विश्वविद्यालय	लोधीपुर राजपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद (यूपी) मुरादाबाद-244102	उत्तर प्रदेश
446	आईआईएलएम विश्वविद्यालय	प्लॉट नंबर 16-18 नॉलेज पार्क-II, ग्रेटर नोएडा	उत्तर प्रदेश
447	आईआईएमटी विश्वविद्यालय	ओ पॉकेट, गंगा नगर, मवाना रोड, मेरठ मवाना रोड मेरठ	उत्तर प्रदेश
448	इंटीग्रल विश्वविद्यालय	इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, दसौली, कुर्सी रोड, लखनऊ लखनऊ	उत्तर प्रदेश
449	इन्वर्टिस विश्वविद्यालय	इन्वर्टिस विलेज, बरेली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-24, बरेली, यू.पी.	उत्तर प्रदेश
450	जे.एस. विश्वविद्यालय	5 किमी मैनपुरी रोड शिकोहाबाद फ़िरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
451	जेपी विश्वविद्यालय	अलीगढ़ रोड, अनूपशहर, जिला-बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, भारत जिला बुलन्दशहर	उत्तर प्रदेश
452	जेएसएस विश्वविद्यालय	सी-20/1, सेक्टर-62, नोएडा,	उत्तर प्रदेश

		गौतमबुद्धनगर	
453	के.एम. (कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय	पाली डूंगरा, सौंख रोड, मथुरा	उत्तर प्रदेश
454	महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	महर्षि बाल विद्या मंदिर एवं विश्वविद्यालय परिसर, सीतापुर रोड, पोस्ट-डिबुरिया, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
455	महावीर विश्वविद्यालय	पोहाली, सरधना रोड, मेरठ	उत्तर प्रदेश
456	महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर	आरोग्य धाम, बालापार रोड, सोनबरसा, जिला-गोरखपुर	उत्तर प्रदेश
457	मेजर एस. डी. सिंह विश्वविद्यालय	भोजपुर, कानपुर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद	उत्तर प्रदेश
458	मंगलायतन विश्वविद्यालय	विस्तारित एनसीआर, 33वां माइलस्टोन मथुरा-अलीगढ़ राजमार्ग बेसवां अलीगढ़	उत्तर प्रदेश
459	मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय	जौहर नगर सिगन खेड़ा रामपुर (यूपी)ब्लॉक सैदनगर, जिला रामपुर	उत्तर प्रदेश
460	मोनाड विश्वविद्यालय	मोनाड यूनिवर्सिटी कैंपस एन.एच. 9, दिल्ली हापुड रोड, गांव और पोस्ट कस्तला, कासमाबाद, पिलखुवा, जिला हापुड	उत्तर प्रदेश
461	नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	प्लॉट 1, सेक्टर-17 ए, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर	उत्तर प्रदेश
462	रामा विश्वविद्यालय	एनएच-91, रामा सिटी, मंथना, कानपुर, उत्तर प्रदेश मंथना, कानपुर	उत्तर प्रदेश
463	एस. के. एस. अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	21वां माइलस्टोन, एनएच-2, तहसील छत्ता, मथुरा	उत्तर प्रदेश
464	संस्कृति विश्वविद्यालय	28 किमी स्टोन मथुरा दिल्ली हाईवे छत्ता मथुरा यूपीमथुरा-दिल्ली हाईवे, छत्ता, मथुरा	उत्तर प्रदेश
465	सरोज अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	12वां किमी स्टोन, चांद सराय गोसाईगंज, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
466	एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय	एनएच-9, दिल्ली-हापुड रोड, गाजियाबाद, दिल्ली-एनसीआर	उत्तर प्रदेश
467	शारदा विश्वविद्यालय	प्लॉट 32,34, नॉलेज पार्क III, ग्रेटर नोएडा ग्रेटर नोएडा	उत्तर प्रदेश

468	शारदा विश्वविद्यालय आगरा	18 किमी पत्थर आगरा-दिल्ली राजमार्ग (एनएच-19) , कीठम, आगरा	उत्तर प्रदेश
469	शोभित विश्वविद्यालय	आदर्श विजेंद्र इंस्टीट्यूशनल एरिया गंगोह, सहारनपुर (उ.प्र.) बाबू विजेंद्र मार्ग गंगोह, जिला-सहारनपुर	उत्तर प्रदेश
470	श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय	ग्राम.-हड़ौरी, पोस्ट-टिंडोला, लखनऊ-देवा रोड, बाराबंकी लखनऊ-देवा रोड, बाराबंकी,	उत्तर प्रदेश
471	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	एनएच-24, रजबपुर, गजरौला, अमरोहा, उत्तर प्रदेश गजरौला, जिला:-अमरोहा,	उत्तर प्रदेश
472	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय	सुभारतीपुरम, एनएच-58, दिल्ली-हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश बाईपास रोड, मेरठ	उत्तर प्रदेश
473	टी. एस. मिश्रा विश्वविद्यालय	17/9, विंडसर प्लेस, योजना भवन के पीछे, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
474	तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय	एन.एच.-24, दिल्ली रोड, मुरादाबाद - 244001, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
475	ग्लोकल विश्वविद्यालय	दिल्ली यमुनोत्री मार्ग, राज्य राजमार्ग 57, मिर्जापुर पोल, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर पोल, सहारनपुर उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
476	यूनाईटेड विश्वविद्यालय	रावतपुर, प्रयागराज	उत्तर प्रदेश
477	वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय	एनएच-24, बंधरा, जिला शाहजहाँपुर	उत्तर प्रदेश
478	विद्या विश्वविद्यालय	विद्या नॉलेज पार्क, बागपत रोड, मेरठ एनसीआर	उत्तर प्रदेश
479	विवेक विश्वविद्यालय	मुरादाबाद रोड, बिजनौर यूपी	उत्तर प्रदेश
480	आम्रपाली विश्वविद्यालय	शिक्षा नगर, ग्राम-लामाचौड़, कालाढूंगी रोड, हलद्वानी, नैनीताल	उत्तराखंड
481	भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय	गांव एवं पोस्ट-उत्तरी झंडी चौर तहसील-कोटद्वार, जिला-पौड़ी गढ़वाल	उत्तराखंड
482	सीओईआर विश्वविद्यालय	7 किमी. रुड़की-हरिद्वार रोड, वर्धमानपुरम, रुड़की	उत्तराखंड

483	डीबीएस ग्लोबल विश्वविद्यालय	122 एमआई, फार्मा सिटी के पीछे, सेलाकुई, देहरादून	उत्तराखंड
484	देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय	नवगांव, मांडुवाला देहरादून	उत्तराखंड
485	देव संस्कृति विश्वविद्यालय	गायत्रीकुंज, शांतिकुंज, हरिद्वार	उत्तराखंड
486	डीआईटी विश्वविद्यालय	मसूरी डायवर्जन रोड, मक्कावाला, पी.ओ. भगवंतपुर, देहरादून, उत्तराखंड मक्कावाला, देहरादून	उत्तराखंड
487	ग्राफिक एरा हिल विश्वविद्यालय	510, सोसाइटी एरिया, क्लेमेंट टाउन देहरादून (मुख्य परिसर देहरादून में, दूसरा परिसर गढ़वाल क्षेत्र (बेलखेत ग्राम, जिला पौड़ी गढ़वाल) और तीसरा परिसर जिला नैनीताल, देहरादून (उत्तराखंड) के भीमताल क्षेत्र)	उत्तराखंड
488	हरिद्वार विश्वविद्यालय	5वां किलोमीटर, रुड़की-हरिद्वार नहर मार्ग, ग्राम-बाजूहेड़ी, रुड़की	उत्तराखंड
489	आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय	मक्कावाला ग्रीन्स, मसूरी डायवर्जन रोड, देहरादून	उत्तराखंड
490	जिज्ञासा विश्वविद्यालय (पूर्व नाम हिमगिरी जी विश्वविद्यालय)	पी.ओ. शेरपुर, चकराता रोड, देहरादून	उत्तराखंड
491	महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय	धैड़ गांव, शिव नगरब्लॉक पोखरा जिला पौड़ी गढ़वाल	उत्तराखंड
492	माया देवी विश्वविद्यालय	एनएच-72, होटल द कॉम्पिटेंट पैलेस के पास, सेंट्रल होप टाउन सेलाकुई, चकराता रोड, देहरादून	उत्तराखंड
493	माइंड पावर विश्वविद्यालय	गाँव- बोहराकून रोड, भीमताल, नैनीताल	उत्तराखंड
494	मदरहुड विश्वविद्यालय	ग्राम-करौंदी पोस्ट-भगवानपुर रुड़की, जिला हरिद्वार	उत्तराखंड
495	क्वांटम विश्वविद्यालय	22 किमी माइलस्टोन, रुड़की-देहरादून राजमार्ग (एनएच-73), रुड़की	उत्तराखंड
496	रासबिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय	सुभारतीपुरम कोटडा संतौर, आमवाला रोड, पी.ओ.- चंदनवाड़ी, नंदा की चौकी, प्रेम नगर, देहरादून	उत्तराखंड

497	सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय	बालावाला, देहरादून, उत्तराखंड देहरादून उत्तराखंड	उत्तराखंड
498	श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय	पटेल नगर देहरादून	उत्तराखंड
499	श्रीमती मंजीरा देवी विश्वविद्यालय	हितानु धनारी, डुंडा, उत्तरकाशी	उत्तराखंड
500	स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय	मुख्यालय फतेहपुर टांडा, जीवनवाला, वाया डोईवाला, देहरादून	उत्तराखंड
501	सूरजमल विश्वविद्यालय	सिरौली, किच्छा, उधम सिंह नगर	उत्तराखंड
502	स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय	स्वामी राम नगर, जॉली ग्रांट, देहरादून, उत्तराखंड, पोस्ट-डोईवाला, देहरादून	उत्तराखंड
503	आईसीएफआई विश्वविद्यालय	आईसीएफआई विश्वविद्यालय, देहरादून राजावाला रोड, सेंट्रल होप टाउन, सेलाकुई, देहरादून, उत्तराखंड सेलाकुई, देहरादून	उत्तराखंड
504	पतंजलि विश्वविद्यालय	महर्षि दयानंद ग्राम, दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, बहादुराबाद हरिद्वार के पास	उत्तराखंड
505	पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय	एनर्जी एक्स बिधौली वाया प्रेम नगर, देहरादून, उत्तराखंड देहरादून	उत्तराखंड
506	उत्तरांचल विश्वविद्यालय	अर्काडिया ग्रांटपी.ओ. चंदनवारी प्रेम नगर, देहरादून	उत्तराखंड
507	एडमस विश्वविद्यालय	बारासात - बैरकपुर रोड, बारबेरिया, पीओ जगन्नाथपुर, पीएस बारासात, कोलकाता	पश्चिम बंगाल
508	एमिटी विश्वविद्यालय	राजारहाट, न्यू टाउन, जिला उत्तर 24 परगना	पश्चिम बंगाल
509	ब्रेनवेयर विश्वविद्यालय	398, रामकृष्णपुर रोड, बारासात, कोलकाता उत्तर 4 पीजी, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल
510	जेआईएस विश्वविद्यालय	81, नीलगंज रोड, अगरपारा, कोलकाता, ज़िला उत्तर 24 परगना	पश्चिम बंगाल

511	सीकॉम स्किल्स विश्वविद्यालय	ग्राम-केंद्रडांगा, डाकघर - सतोर, थाना - पनरुई, जिला - बीरभूम	पश्चिम बंगाल
512	सिस्टर निवेदिता विश्वविद्यालय	डीजी-1/2, एक्शन एरिया-1, न्यूटाउन, कोलकाता राजरहाट कोलकाता	पश्चिम बंगाल
513	सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय, कोलकाता	एक्शन एरिया III-बी, न्यूटाउन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल एक्शन एरिया IIIबी, पी.एस. न्यू टाउन, कोलकाता	पश्चिम बंगाल
514	स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय	सेवली, तेलिनीपारा, बारा कंथालिया, बारासात - बैरकपुर रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल उत्तर 24 परगना, बैरकपुर, कोलकाता	पश्चिम बंगाल
515	टेक्नो इंडिया विश्वविद्यालय	ईएम 4, सेक्टर V, साल्ट लेक, कोलकाता-700091 साल्ट लेक कोलकाता	पश्चिम बंगाल
516	नियोटिया विश्वविद्यालय	झिंगा, सरिसा, डी.एच.रोड 24 परगना (एस)	पश्चिम बंगाल
517	इंजीनियरिंग और प्रबंधन विश्वविद्यालय	यूनिवर्सिटी एरिया, प्लॉट नंबर III - बी/5, न्यू टाउन, एक्शन एरिया - III, कोलकाता - 700 160, कोलकाता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 700160 मेन आर्टेरियल रोड (पूर्व-पश्चिम), न्यू टाउन, एक्शन एरिया- III, कोलकाता	पश्चिम बंगाल

सार्वजनिक क्षेत्र के 504 राज्य विश्वविद्यालयों की सूची

Sr.No	Type	Name of the University	Zip	state
1	State	"Kaushalya" the Skill University	380052	Gujarat
2	State	A.P.J. Abdul Kalam Technological University	695016	Kerala
3	State	Acharaya N.G.Ranga Agricultural University	522034	Andhra Pradesh
4	State	Acharya Nagarjuna University	522510	Andhra Pradesh
5	State	Acharya Narendra Deva Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya	224229	Uttar Pradesh
6	State	Adikavi Nannaya University	533296	Andhra Pradesh
7	State	Agriculture University	342304	Rajasthan
8	State	Alagappa University	630003	Tamil Nadu
9	State	Aliah University	700160	West Bengal
10	State	Alipurduar University	736122	West Bengal
11	State	Anand Agricultural University	388001	Gujarat
12	State	Andhra Kesari University	523225	Andhra Pradesh
13	State	Andhra Pradesh Fisheries University	521134	Andhra Pradesh
14	State	Andhra University	530003	Andhra Pradesh
15	State	Anna University	600025	Tamil Nadu
16	State	Annamalai University	608002	Tamil Nadu
17	State	Arunachal Pradesh University	791102	Arunachal Pradesh
18	State	Aryabhatta Knowledge University	800001	Bihar
19	State	Assam Agricultural University	785013	Assam
20	State	Assam Rajiv Gandhi University of Co-operative Management	785665	Assam
21	State	Assam Science & Technology University	781013	Assam
22	State	Assam Skill University	784125	Assam
23	State	Assam Women's University	785004	Assam
24	State	Atal Bihari Bajpayee Vishwavidyalaya (Formerly Bilaspur Vishwavidyalaya)	495009	Chhattisgarh
25	State	Atal Bihari Vajpayee Hindi	462038	Madhya Pradesh

		Vishwavidyalaya		
26	State	Atal Bihari Vajpayee Medical University	226210	Uttar Pradesh
27	State	Atal Medical and Research University(Formerly Himachal Pradesh University of Health Sciences)	175008	Himachal Pradesh
28	State	Awadesh Pratap Singh University	486003	Madhya Pradesh
29	State	Ayush and Health Sciences University of Chhattisgarh	493661	Chhattisgarh
30	State	Baba Amte Divyang University	303017	Rajasthan
31	State	Baba Farid University of Health Sciences	151203	Punjab
32	State	Baba Ghulam Shah Badshah University	185234	Jammu and Kashmir
33	State	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University	842001	Bihar
34	State	Bagalkot University	587301	Karnataka
35	State	Banda University of Agriculture & Technology	210001	Uttar Pradesh
36	State	Bangalore University	560056	Karnataka
37	State	Bankura University	722155	West Bengal
38	State	Barkatullaah University	462026	Madhya Pradesh
39	State	Bengaluru City University	560064	Karnataka
40	State	Bengaluru Dr. B. R. Ambedkar School of Economics University	560072	Karnataka
41	State	Bengaluru North University	563103	Karnataka
42	State	Berhampur University	760007	Odisha
43	State	Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya	131305	Haryana
44	State	Bhakta Kavi Narsinh Mehta University	362640	Gujarat
45	State	Bharathiar University	641046	Tamil Nadu
46	State	Bharathidasan University	620024	Tamil Nadu
47	State	Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya	226001	Uttar Pradesh
48	State	Bhattadev University	781325	Assam
49	State	Bhupendra Narayan Mandal University	852113	Bihar
50	State	Bidar University	585415	Karnataka
51	State	Bidhan Chandra Krishi	741252	West Bengal

		Vishwavidyalaya		
52	State	Bihar Agricultural University	813210	Bihar
53	State	Bihar Animal Sciences University	800014	Bihar
54	State	Bihar Engineering University	800001	Bihar
55	State	Bihar Sports University	803116	Bihar
56	State	Bihar University of Health Sciences	800001	Bihar
57	State	Biju Patnaik University of Technology	769015	Odisha
58	State	Bikaner Technical University	334004	Rajasthan
59	State	Binod Bihari Mahto Koyalanchal University	828130	Jharkhand
60	State	Birangana Sati Sadhani Rajyik Vishwavidyalaya	785621	Assam
61	State	Birsa Agricultural University	834006	Jharkhand
62	State	Birsa Munda Tribal University	393145	Gujarat
63	State	Biswa Bangla Biswabidyalay	731204	West Bengal
64	State	Bodoland University	783370	Assam
65	State	Bundelkhand University	284128	Uttar Pradesh
66	State	Burdwan University	713104	West Bengal
67	State	Calcutta University	700073	West Bengal
68	State	Calicut University	673635	Kerala
69	State	Captain Williamson Sangma State University	794105	Meghalaya
70	State	Chamarajanagara University	571313	Karnataka
71	State	Chanakya National Law University	800001	Bihar
72	State	Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology	208002	Uttar Pradesh
73	State	Chaudhary Bansi Lal University	127021	Haryana
74	State	Chaudhary Charan Singh University	200005	Uttar Pradesh
75	State	Chaudhary Devi Lal University	125055	Haryana
76	State	Chaudhary Ranbir Singh University	126102	Haryana
77	State	Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishwavidyalaya	176062	Himachal Pradesh

78	State	Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University	208024	Uttar Pradesh
79	State	Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya	491001	Chhattisgarh
80	State	Chhattisgarh Swami Vivekanad Technical Universty	490009	Chhattisgarh
81	State	Children's University	382021	Gujarat
82	State	Choudhary Charan Singh Haryana Agricultural Univeersity	125004	Haryana
83	State	Cluster University	518007	Andhra Pradesh
84	State	Cluster University of Jammu	180016	Jammu and Kashmir
85	State	Cluster University of Srinagar	190008	Jammu and Kashmir
86	State	Cochin Unviersity of Science & Technology	682022	Kerala
87	State	COEP Technological University	411005	Maharashtra
88	State	Cooch Behar Panchanan Barma University	736101	West Bengal
89	State	Cotton University	781001	Assam
90	State	Dada Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts (SUPVA)	124001	Haryana
91	State	Dakshin Dinajpur University	733101	West Bengal
92	State	Damodaram Sanjivayya National Law University	531035	Andhra Pradesh
93	State	Darjeeling Hills University	734313	West Bengal
94	State	Davangere University	577007	Karnataka
95	State	Deen Bandhu Chhotu Ram University of Sciences & Technology	131039	Haryana
96	State	Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University	273009	Uttar Pradesh
97	State	Delhi Pharmaceutical Sciences & Research University	110017	Delhi
98	State	Delhi Skill and Entrepreneurship University	110007	Delhi
99	State	Delhi Sports University	110054	Delhi
100	State	Delhi Teachers University	110009	Delhi
101	State	Delhi Technological University	110042	Delhi
102	State	Devi Ahilya Vishwavidyalaya	452001	Madhya Pradesh
103	State	Dhanamanjuri University	795001	Manipur

104	State	Dharanidhar University	758001	Odisha
105	State	Dharmashastra National Law University	482001	Madhya Pradesh
106	State	Dharmsinh Desai University	387001	Gujarat
107	State	Diamond Harbour Women's University	743368	West Bengal
108	State	Dibrugarh University	786004	Assam
109	State	Doon University	248001	Uttarakhand
110	State	Dr Y. S. R. Architecture & Fine Arts University	516162	Andhra Pradesh
111	State	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University	226031	Uttar Pradesh
112	State	Dr. Abdul Haq Urdu University	518002	Andhra Pradesh
113	State	Dr. B. R. Ambedkar University	532410	Andhra Pradesh
114	State	Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences	453441	Madhya Pradesh
115	State	Dr. B.R. Ambedkar National Law University	131029	Haryana
116	State	Dr. B.R. Ambedkar University	282004	Uttar Pradesh
117	State	Dr. B.R. Ambedkar University	110006	Delhi
118	State	Dr. B.R. Ambedkar Open University	500033	Telangana
119	State	Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University	431004	Maharashtra
120	State	Dr. Babasaheb Ambedkar Open University	382481	Gujarat
121	State	Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University	402103	Maharashtra
122	State	Dr. Bhimrao Ambedkar Law University	302015	Rajasthan
123	State	Dr. Homi Bhabha State University	400032	Maharashtra
124	State	Dr. N.T.R. University of Health Sciences	520008	Andhra Pradesh
125	State	Dr. Punjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth	444104	Maharashtra
126	State	Dr. Rajendra Prasad National Law University	211013	Uttar Pradesh
127	State	Dr. Ram Manohar Lohia Awadh University	224001	Uttar Pradesh
128	State	Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences	226010	Uttar Pradesh

129	State	Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University	226012	Uttar Pradesh
130	State	Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University	226017	Uttar Pradesh
131	State	Dr. Shyama Prasad Mukherjee University	834008	Jharkhand
132	State	Dr. Y.S.Parmar University of Horticulture & Forestry	173230	Himachal Pradesh
133	State	Dr. Y.S.R. Horticultural University	534101	Andhra Pradesh
134	State	Dravidian University	517426	Andhra Pradesh
135	State	Fakir Mohan University	756020	Odisha
136	State	G.B.Pant University of Agriculture & Technology	263145	Uttarakhand
137	State	Gangadhar Meher University	768004	Odisha
138	State	Gauhati University	781014	Assam
139	State	Gautam Buddha University	201308	Uttar Pradesh
140	State	Goa University	403206	Goa
141	State	Gondwana University	422605	Maharashtra
142	State	Govind Guru Tribal University	327001	Rajasthan
143	State	Gujarat Ayurveda University	361008	Gujarat
144	State	Gujarat Biotechnology University	382011	Gujarat
145	State	Gujarat National Law University	382426	Gujarat
146	State	Gujarat Natural Farming and Organic Agricultural University	388001	Gujarat
147	State	Gujarat Technological University	382424	Gujarat
148	State	Gujarat University	380009	Gujarat
149	State	Gujarat University of Transplantation Sciences	380016	Gujarat
150	State	Gulbarga University	585106	Karnataka
151	State	Guru Angad Dev Veterinary & Animal Sciences University	141004	Punjab
152	State	Guru Gobind Singh Indraprastha Vishwavidyalaya	110078	Delhi
153	State	Guru Jambheshwar University of Science and Technology	125001	Haryana

154	State	Guru Jambheshwar University	244001	Uttar Pradesh
155	State	Guru Nanak Dev University	143005	Punjab
156	State	Guru Ravidas Ayurved University	146001	Punjab
157	State	Gurugram University	122018	Haryana
158	State	Harcourt Butler Technical University	208002	Uttar Pradesh
159	State	Harichand Guruchand University	743245	West Bengal
160	State	Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication	302015	Rajasthan
161	State	Hassan University	573226	Karnataka
162	State	Haveri University	581110	Karnataka
163	State	Hemchand Yadav Vishwavidyalaya(Earlier known as Durg Vishwavidyalaya)	491001	Chhattisgarh
164	State	Hemchandracharya North Gujarat University	384265	Gujarat
165	State	Hemvati Nandan Bahuguna Medical Education University	248001	Uttarakhand
166	State	Hidayatullah National Law University	492002	Chhattisgarh
167	State	Himachal Pradesh National Law University	171014	Himachal Pradesh
168	State	Himachal Pradesh Technical University	177001	Himachal Pradesh
169	State	Himachal Pradesh University	171005	Himachal Pradesh
170	State	Hindi University	711106	West Bengal
171	State	Hyderabad (SIND) National Collegiate University	400018	Maharashtra
172	State	I.K. Gujaral Punjab Technical University	144603	Punjab
173	State	Indian Institute of Teacher Education	382016	Gujarat
174	State	Indira Gandhi Delhi Technical University for Women	110006	Delhi
175	State	Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya	492012	Chhattisgarh
176	State	Indira Gandhi University	122502	Haryana
177	State	Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya	491881	Chhattisgarh
178	State	Indraprastha Institute of	110020	Delhi

		Information Technology		
179	State	Institute of Infrastructure Technology Research and Management	380026	Gujarat
180	State	International Institute of Information Technology	493661	Chhattisgarh
181	State	International Institute of Information Technology (IIIT)	751029	Odisha
182	State	International Sports University, Maharashtra	411045	Maharashtra
183	State	Islamic University of Sciences & Technology University	192 122	Jammu and Kashmir
184	State	J. C. Bose University of Science & Technology, YMCA	121006	Haryana
185	State	Jadavpur University	700032	West Bengal
186	State	Jagadguru Ramanandacharya Sanskrit University	302026	Rajasthan
187	State	Jagadguru Rambhadracharya Divyang State University	210204	Uttar Pradesh
188	State	Jagat Guru Nanak Dev Punjab State Open University	147001	Punjab
189	State	Jai Narain Vyas University	342011	Rajasthan
190	State	Jai Prakash University	841302	Bihar
191	State	Jammu University	180006	Jammu and Kashmir
192	State	Jamshedpur Women's University	831001	Jharkhand
193	State	Jananayak Chandrashekhar University	277001	Uttar Pradesh
194	State	Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University	500028	Telangana
195	State	Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya	482004	Madhya Pradesh
196	State	Jawaharlal Nehru Technological University		Telangana
197	State	Jawaharlal Nehru Technological University	535003	Andhra Pradesh
198	State	Jawaharlal Nehru Technological University (Anantapur)	515002	Andhra Pradesh
199	State	Jawaharlal Nehru Technological University	533003	Andhra Pradesh

		(Kainada)		
200	State	Jharkhand Raksha Shakti University	834002	Jharkhand
201	State	Jharkhand State Open University	834006	Jharkhand
202	State	Jharkhand University of Technology	834010	Jharkhand
203	State	Jiwaji University		Madhya Pradesh
204	State	Junagarh Agricultural University	362001	Gujarat
205	State	Kakatiya University		Telangana
206	State	Kalahandi University	766001	Odisha
207	State	Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences	506007	Telangana
208	State	Kalyani University		West Bengal
209	State	Kamdheni University	382410	Gujarat
210	State	Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit Vishwavidyalaya	846008	Bihar
211	State	Kannada University	583276	Karnataka
212	State	Kannur University	670567	Kerala
213	State	Kanyashree University		West Bengal
214	State	Karmaveer Bhaurao Patil University	415001	Maharashtra
215	State	Karnatak University	580003	Karnataka
216	State	Karnataka State Law University		Karnataka
217	State	Karnataka State Open University		Karnataka
218	State	Karnataka Folklore University	581205	Karnataka
219	State	Karnataka Samskrit University	580018	Karnataka
220	State	Karnataka State Akkamahadevi Women University (Formerly "Karnataka State Women's University)	586108	Karnataka
221	State	Karnataka State Rural Development and Panchayat Raj University	582101	Karnataka
222	State	Karnataka Veterinary, Animal & Fisheries Science University	585226	Karnataka
223	State	Kashmir University	190006	Jammu and Kashmir
224	State	Kavayitri Bahinabai	425001	Maharashtra

		Chadhari North Maharashtra University		
225	State	Kavi Kulguru Kalidas Sanskrit Vishwavidyalaya	441106	Maharashtra
226	State	Kazi Nazrul University	713 304	West Bengal
227	State	Keladi Shivappa Nayaka University of Agriculture and Horticultural Sciences	577412	Karnataka
228	State	Kerala Agricultural University	680656	Kerala
229	State	Kerala University		Kerala
230	State	Kerala University of Digital Sciences Innovation and Technology	695317	Kerala
231	State	Kerala University of Fisheries & Ocean Studies	682506	Kerala
232	State	Kerala University of Health Sciences	680596	Kerala
233	State	Kerala Veterinary & Animal Sciences University	673576	Kerala
234	State	Khallikote Unitary University	760001	Odisha
235	State	Khangchendzonga State University (Formerly Sikkim State University)	737102	Sikkim
236	State	Khwaja Moinuddin Chishti Language University	226013	Uttar Pradesh
237	State	King Georges Medical University	226003	Uttar Pradesh
238	State	Kodagu University	571232	Karnataka
239	State	Kolhan University	833202	Jharkhand
240	State	Konkan Krishi Vidyapeeth	415712	Maharashtra
241	State	Koppal University	583231	Karnataka
242	State	Krantiguru Shyamji Krishna Verma Kachchh University	370001	Gujarat
243	State	Krantisurya Tantya Bhil Vishwavidyalaya	451001	Madhya Pradesh
244	State	Krantivir Tatya Tope Vishwavidyalaya	473001	Madhya Pradesh
245	State	Krishna Kanta Handiqui State Open University	781022	Assam
246	State	Krishna University	521001	Andhra Pradesh
247	State	KSGH Music and Performing Arts University	570004	Karnataka
248	State	Kumar Bhaskar Varma	781337	Assam

		Sanskrit & Ancient Studies University		
249	State	Kumaun University	263001	Uttarakhand
250	State	Kurukshetra University	136119	Haryana
251	State	Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya	492013	Chhattisgarh
252	State	Kuvempu University	577451	Karnataka
253	State	Lala Lajpat Rai University of Veterinary & Animal Sciences	125004	Haryana
254	State	Lalit Narayan Mithila University	846008	Bihar
255	State	Laxminarayan Innovation Technological (LIT) University	440033	Maharashtra
256	State	M.B.M. University	342011	Rajasthan
257	State	M.P.Bhoj (open) University	462016	Madhya Pradesh
258	State	Maa Pateswari University	271201	Uttar Pradesh
259	State	Maa Shakumbhari University	247120	Uttar Pradesh
260	State	Maa Vindhyavasini University	231001	Uttar Pradesh
261	State	Madan Mohan Malaviya University of Technology	273010	Uttar Pradesh
262	State	Madhabdev University	784164	Assam
263	State	Madhusudan Law University	750003	Odisha
264	State	Madhya Pradesh Medical Science University	482003	Madhya Pradesh
265	State	Madras University		Tamil Nadu
266	State	Madurai Kamraj University		Tamil Nadu
267	State	Magadh University	824234	Bihar
268	State	Maharashtra University of Health Sciences	422004	Maharashtra
269	State	Maharaja Bir Bikram University		Tripura
270	State	Maharaja Chhatrasal Bundelkhand Vishwavidyalaya	471001	Madhya Pradesh
271	State	Maharaja Ganga Singh University	334004	Rajasthan
272	State	Maharaja Krishnakumarsinji Bhavnagar University	364001	Gujarat
273	State	Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical	151001	Punjab

		University		
274	State	Maharaja Sayajirao University of Baroda	390002	Gujarat
275	State	Maharaja Sriram Chandra Bhanja Deo University(Earlier North Orissa University)	757003	Odisha
276	State	Maharaja Suhel Dev State University	276001	Uttar Pradesh
277	State	Maharaja Surajmal Brij University	321201	Rajasthan
278	State	Maharana Partap Horticultural University	132001	Haryana
279	State	Maharana Pratap University of Agriculture & Technology	313001	Rajasthan
280	State	Maharani Cluster University	560001	Karnataka
281	State	Maharashtra Animal & Fishery Sciences University	440001	Maharashtra
282	State	Maharashtra National Law University, Aurangabad	431005	Maharashtra
283	State	Maharashtra National Law University, Mumbai	400076	Maharashtra
284	State	Maharashtra National Law University, Nagpur	440001	Maharashtra
285	State	Maharashtra State Skills University	400001	Maharashtra
286	State	Maharishi Balmiki Sanskrit University	136027	Haryana
287	State	Maharshi Dayanand Saraswati University	305001	Rajasthan
288	State	Maharshi Dayanand University	124001	Haryana
289	State	Maharshi Panini Sanskrit Evam Vedic Vishwavidyalaya	456010	Madhya Pradesh
290	State	Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth		Uttar Pradesh
291	State	Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya	485334	Madhya Pradesh
292	State	Mahatma Gandhi Udyanikee and Vanikee Vishwavidyalaya	491111	Chhattisgarh
293	State	Mahatma Gandhi University	721628	West Bengal
294	State	Mahatma Gandhi University	508 254	Telangana

295	State	Mahatma Gandhi University		Kerala
296	State	Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University		Uttar Pradesh
297	State	Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth		Maharashtra
298	State	Major Dhyanchand Sports University	250342	Uttar Pradesh
299	State	Majuli University of Culture	787054	Assam
300	State	Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism & Communication	462011	Madhya Pradesh
301	State	Mandya University	571401	Karnataka
302	State	Mangalore University	574199	Karnataka
303	State	Manipur Technical University	795004	Manipur
304	State	Manipur University of Culture	795001	Manipur
305	State	Manonmaniam Sundarnar University		Tamil Nadu
306	State	Marathwada Agricultural University	431402	Maharashtra
307	State	Marwar Medical University	342003	Rajasthan
308	State	Maulana Abul Kalam Azad University of Technology	700064	West Bengal
309	State	Maulana Mazharul Haque Arabic & Persian University	800001	Bihar
310	State	Mohanlal Sukhadia University	313001	Rajasthan
311	State	Mother Teresa Women's University	624101	Tamil Nadu
312	State	Mumbai University	400032	Maharashtra
313	State	Munger University	811201	Bihar
314	State	Murshidabad University	742101	West Bengal
315	State	Mysore University	570006	Karnataka
316	State	Nalanda Open University	800001	Bihar
317	State	Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya	482004	Madhya Pradesh
318	State	National Academy of Legal Studies & Research University	500101	Telangana
319	State	National Law Institute University	462044	Madhya Pradesh
320	State	National law School of India University	560072	Karnataka

321	State	National Law University	342304	Rajasthan
322	State	National Law University	753015	Odisha
323	State	National Law University	110078	Delhi
324	State	National Law University and Judicial Academy	781031	Assam
325	State	National Law University Tripura	799009	Tripura
326	State	National University of Advanced Legal Studies (NUALS)	683503	Kerala
327	State	National University of Study & Research in Law	834006	Jharkhand
328	State	Navsari Agriculture University	396450	Gujarat
329	State	Netaji Shubhash Open University	700064	West Bengal
330	State	Netaji Subhas University of Technology	110078	Delhi
331	State	Nilamber-Pitamber University		Jharkhand
332	State	Nizam's Institute of Medical Sciences	500082	Telangana
333	State	Nrupathunga University		Karnataka
334	State	Odia University	752014	Odisha
335	State	Odisha State Open University	768004	Odisha
336	State	Odisha University Of Agriculture & Technology	751003	Odisha
337	State	Odisha University of Health Sciences	751009	Odisha
338	State	Odisha University of Technology and Research	751003	Odisha
339	State	Osmania University	500007	Telangana
340	State	P. V. Narsimha Rao Telangana Veterinary University	500030	Telangana
341	State	Palamuru University	509001	Telangana
342	State	Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University	332001	Rajasthan
343	State	Pandit S N Shukla University	484001	Madhya Pradesh
344	State	Pandit Sundarlal Sharma (Open) University	495009	Chhattisgarh
345	State	Panjab University	160014	Chandigarh
346	State	Patliputra University	800020	Bihar
347	State	Patna University	800005	Bihar
348	State	Periyar University	636011	Tamil Nadu
349	State	Potti Sreeramulu Telugu		Telangana

		University		
350	State	Presidency University	700073	West Bengal
351	State	Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University (Formerly Allahabad State University)	211009	Uttar Pradesh
352	State	Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University	500030	Telangana
353	State	Pt. Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences		Haryana
354	State	Pt. Ravishankar Shukla University	492010	Chhattisgarh
355	State	Puducherry Technological University	605014	Puducherry
356	State	Punjab Agriculture University	141004	Punjab
357	State	Punjabi University	147002	Punjab
358	State	Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University	413255	Maharashtra
359	State	Purnea University	854301	Bihar
360	State	Rabindra Bharati University	700050	West Bengal
361	State	Rabindranath Tagore University	782435	Assam
362	State	Raichur University	584133	Karnataka
363	State	Raiganj University	733134	West Bengal
364	State	Raj Rishi Bhartrihari Matsya University	301001	Rajasthan
365	State	Raja Mahendra Pratap Singh State University	202140	Uttar Pradesh
366	State	Raja Mansingh Tomar Music & Arts University	474009	Madhya Pradesh
367	State	Raja Shankar Shah University, Chhindwara	480001	Madhya Pradesh
368	State	Rajasthan Technical University		Rajasthan
369	State	Rajasthan University	302004	Rajasthan
370	State	Rajasthan University of Health Sciences	302033	Rajasthan
371	State	Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences	334001	Rajasthan
372	State	Rajendra University	767002	Odisha
373	State	Rajiv Gandhi Prodyogiki Vishwavidyalaya	462036	Madhya Pradesh
374	State	Rajiv Gandhi University of Health Science		Karnataka

375	State	Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies	522501	Andhra Pradesh
376	State	Rajiv Gandhi University of Knowledge Technology	504107	Telangana
377	State	Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya	474002	Madhya Pradesh
378	State	Rama Devi Women's University	751022	Odisha
379	State	Ranchi University		Jharkhand
380	State	Rani Awantibai Lodhi Vishwavidyalaya	470002	Madhya Pradesh
381	State	Rani Channamma University	591156	Karnataka
382	State	Rani Durgavati Vishwavidyalaya		Madhya Pradesh
383	State	Rani Rashmoni Green University(formerly West Bengal Green University.)	712409	West Bengal
384	State	Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University	440001	Maharashtra
385	State	Ravenshaw University	753003	Odisha
386	State	Rayalaseema University	518002	Andhra Pradesh
387	State	Sadhu Ram Chand Murmu University of Jhargram(formerly Jhargram University)	721507	West Bengal
388	State	Sambalpur University	768019	Odisha
389	State	Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya		Uttar Pradesh
390	State	Sanchi University of Buddhist-Indic Studies	462003	Madhya Pradesh
391	State	Sant Gadge Baba Amravati University		Maharashtra
392	State	Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya (formerly Sarguja University)	497001	Chhattisgarh
393	State	Sardar Beant Singh State University	143521	Punjab
394	State	Sardar Krushinagar Dantiwada Agricultural University	385506	Gujarat
395	State	Sardar Patel University	388120	Gujarat
396	State	Sardar Patel University Mandi	175001	Himachal Pradesh
397	State	Sardar Patel University of Police, Security & Criminal Justice	342304	Rajasthan
398	State	Sardar Vallabh Bhai Patel University of Agriculture		Uttar Pradesh

		& Technology		
399	State	Satavahana University	505002	Telangana
400	State	Saurashtra University	360005	Gujarat
401	State	Savitribai Phule Pune University	411007	Maharashtra
402	State	Shaheed Bhagat Singh State University	152001	Punjab
403	State	Shaheed Mahendra Karma Vishvidyalaya	494001	Chhattisgarh
404	State	Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya	496001	Chhattisgarh
405	State	Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science & Technology	190025	Jammu and Kashmir
406	State	Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science & Technology, Jammu		Jammu and Kashmir
407	State	Shivaji University	416004	Maharashtra
408	State	Shree Sankaracharya University of Sanskrit		Kerala
409	State	Shree Somnath Sanskrit University		Gujarat
410	State	Shri Govind Guru University	389001	Gujarat
411	State	Shri Jagannath Sanskrit Vishwavidyalaya	752003	Odisha
412	State	Shri Krishna AYUSH University		Haryana
413	State	Shri Mata Vaishno Devi University	182320	Jammu and Kashmir
414	State	Shri Vishwakarma Skill University	121102	Haryana
415	State	Sibsagar University	785665	Assam
416	State	Siddharth University	272202	Uttar Pradesh
417	State	Sidho-Kanho-Birsha University	723104	West Bengal
418	State	Sido Kanhu Murmu University	814110	Jharkhand
419	State	Sikkim National Law University	737101	Sikkim
420	State	Smt. Nathibai Damodar Thackersey Women's University		Maharashtra
421	State	Soban Singh Jeena University		Uttarakhand
422	State	Sports University of Haryana	131029	Haryana
423	State	Sree Narayanguru Open University	691601	Kerala

424	State	Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidyalaya	249 199	Uttarakhand
425	State	Sri Guru Teg Bahadur State University of Law	143416	Punjab
426	State	Sri Karan Narendra Agriculture University	303329	Rajasthan
427	State	Sri Konda Laxman Telangana State Horticultural University	502279	Telangana
428	State	Sri krishnadevaraya University	515003	Andhra Pradesh
429	State	Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalayam	517502	Andhra Pradesh
430	State	Sri Sri Aniruddhdeva Sports University	786003	Assam
431	State	Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences	517507	Andhra Pradesh
432	State	Sri Venkateswara University	517502	Andhra Pradesh
433	State	Sri Venkateswara Vedic University	517502	Andhra Pradesh
434	State	Sri Venkateswara Veterinary University	517502	Andhra Pradesh
435	State	Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences	781032	Assam
436	State	Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University	334006	Rajasthan
437	State	Swami Ramanand Teerth Marathwada University	431606	Maharashtra
438	State	Swarnim Gujarat Sports University	382016	Gujarat
439	State	T.M. Bhagalpur University		Bihar
440	State	Tamil Nadu Fisheries University	611002	Tamil Nadu
441	State	Tamil Nadu Open University	600015	Tamil Nadu
442	State	Tamil Nadu Physical Education and Sports University	600006	Tamil Nadu
443	State	Tamil Nadu Teacher Education University	600097	Tamil Nadu
444	State	Tamil University		Tamil Nadu
445	State	Tamilnadu Agricultural University	641003	Tamil Nadu
446	State	Tamilnadu Dr. Ambedkar Law University		Tamil Nadu
447	State	Tamilnadu Dr.	600032	Tamil Nadu

		M.G.R.Medical University		
448	State	Tamilnadu National Law University	620009	Tamil Nadu
449	State	Tamilnadu Veterinary & Animal Sciences University	600051	Tamil Nadu
450	State	Telangana University	503322	Telangana
451	State	The Bengal Engineering & Science University		West Bengal
452	State	THE Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University	342037	Rajasthan
453	State	The Maharaja Bhupinder Singh Punjab Sports University	147001	Punjab
454	State	The National Law University of Meghalaya	793014	Meghalaya
455	State	The Rajiv Gandhi National University of Law	147006	Punjab
456	State	The Sanskrit College and University	700073	West Bengal
457	State	The Tamil Nadu Dr.J Jayalalithaa Music and Fine Arts University	600028	Tamil Nadu
458	State	The West Bengal National University of Juridical Science		West Bengal
459	State	The West Bengal University of Health Sciences	700064	West Bengal
460	State	Thiruvalluvar University	632115	Tamil Nadu
461	State	Thunchath Ezhuthachan Malayalam University	676502	Kerala
462	State	Tumkur University	572103	Karnataka
463	State	U.P. Pandit Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidhyalaya Evam Go-Anusandhan Sansthan	281001	Uttar Pradesh
464	State	U.P. Rajarshi Tandon Open University	211013	Uttar Pradesh
465	State	U.P.King George's University of Dental Sciences		Uttar Pradesh
466	State	University of Agricultural Sciences	584104	Karnataka
467	State	University of Agricultural Sciences Bangalore	560024	Karnataka
468	State	University of Agricultural	580005	Karnataka

		Sciences Dharwad		
469	State	University of Gour Banga	732103	West Bengal
470	State	University of Horticultural Sciences	587104	Karnataka
471	State	University of Kota	324005	Rajasthan
472	State	University of Ladakh	194101	Ladakh
473	State	University of Lucknow	226007	Uttar Pradesh
474	State	University of North Bengal	734013	West Bengal
475	State	University of Visvesvaraya College of Engineering	560001	Karnataka
476	State	Utkal University	751004	Odisha
477	State	Utkal University of Culture	752054	Odisha
478	State	Uttar Banga Krishi Vishwavidyalaya	736165	West Bengal
479	State	Uttar Pradesh University of Medical Sciences	206130	Uttar Pradesh
480	State	Uttarakhand Ayurved University	248001	Uttarakhand
481	State	Uttarakhand Open University	263139	Uttarakhand
482	State	Uttarakhand Sanskrit University	249402	Uttarakhand
483	State	Uttarakhand Technical University	248007	Uttarakhand
484	State	Vardhman Mahaveer Open University	324021	Rajasthan
485	State	Veer Bahadur Singh Purvanchal University		Uttar Pradesh
486	State	Veer Chandra Singh Garhwali Uttarakhand University of Horticulture & Forestry	246123	Uttarakhand
487	State	Veer Kunwar Singh University	802301	Bihar
488	State	Veer Narmad South Gujarat University	395007	Gujarat
489	State	Veer Surendra Sai Institute of Medical Science and Research	768017	Odisha
490	State	Veer Surendra Sai University of Technology	768018	Odisha
491	State	Veeranari Chakali Ilamma Women's University	500095	Telangana
492	State	Vesveswaraiah Technological University	590018	Karnataka
493	State	Vidya Sagar University		West Bengal
494	State	Vijayanagara Sri Krishnadevaraya	583105	Karnataka

		University		
495	State	Vikram University	456 010	Madhya Pradesh
496	State	Vikrama Simhapuri University	524324	Andhra Pradesh
497	State	Vinoba Bhave University		Jharkhand
498	State	Vishvakarma Skills University	302015	Rajasthan
499	State	West Bengal State University	700126	West Bengal
500	State	West Bengal University of Animal and Fishery Sciences	700037	West Bengal
501	State	West Bengal University of Teachers, Training, Education Planning and Administration	700019	West Bengal
502	State	Yashwant Rao Chavan Maharashtra Open University	422222	Maharashtra
503	State	Yogi Vemana University	516005	Andhra Pradesh
504	State	Young India Skills University	600032	Telangana